लोक-सभा

मंगलवार,
२ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

	स्तम्भ
अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ .	२९३ ३४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . .	३४४–३५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५	३५८-३८२
अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ .	३८३-४२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० .	४२१–४२४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . .	४२४–४३६
अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ .	४३७ ४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . .	४८१ ४८५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ .	४८५-४८९
अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ .	४९९ ५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ .	५४५ ५४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ .	५४९ ५६२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८	५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक सभा

मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बन्दरों का निर्यात

*३१५. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९५५ में अब तक कितने बन्दरों का निर्यात विदेशों के लिये किया गया है ;

(ख) उपरोक्त समय में किस देश को सब से अधिक बन्दरों का निर्यात किया गया और उस देश ने इनका कुल कितना मूल्य दिया तथा प्रति बन्दर क्या मूल्य दिया ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बन्दरों की मांग अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष निर्यात का क्या कार्यक्रम है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). यह जानकारी प्रदान करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर उपस्थित किया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ग) जी, हां।

(घ) बन्दरों की निर्यात सम्बन्धी एक नीति निर्धारित करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस बीच आयातक देशों की सरकारों द्वारा प्रार्थना किये जाने पर निम्न शर्तों पर बन्दरों के निर्यात की अनुमति दी जा रही है :—

(१) बन्दरों का केवल चिकित्सा अनुसंधान तथा टीकों के उत्पादन के लिये ही प्रयोग किया जायेगा।

(२) बन्दरों को केवल हवाई जहाज़ से ही ले जाया जायेगा तथा ले जाने वाला मार्ग में उनके साथ मानवीय व्यवहार किये जाने की गारंटी देगा।

(३) निर्यात से पूर्व सुयोग्य पशु-चिकित्सक द्वारा बन्दरों का परीक्षण कराया जायेगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक जो निर्यात हुआ है क्या उसके बारे में सरकार को यह मालूम हुआ है कि बन्दरों के साथ अमानुषिक व्यवहार हुआ है, और यदि हां, तो जिन देशों के द्वारा यह व्यवहार किया गया है उनके प्रति सरकार ने क्या रुख अपनाया है ?

श्री करमरकर : गये बरस यह बात हमारे सामने आयी थी कि कुछ बन्दर ठीक प्रबन्ध न होने के कारण रास्ते में मर गये। इसके बाद हमने बन्दरों के निर्यात को रोका था। हमको संशोधक संस्था वगैरा ने बतलाया है कि वह बन्दरों को साइंटिफिक रिसर्च के लिये चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य कोई

सूचना हमको देना चाहें तो हम उसको मानने को तैयार हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मंत्री महोदय ने यह बतलाया कि इन बन्दरों का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों के लिये होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि वह इस काम के लिये ही इस्तैमाल किये जाते हैं और कामों के लिये नहीं ?

श्री करमरकर : हम समझते हैं कि मंगाने वाले इनका उपयोग रिसर्च लेबारेटरीज़ में ही करते होंगे। हमने हर एक बन्दर के बारे में तो तलाश नहीं किया कि उसका क्या इस्तैमाल किया जाता है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि प्रिवेंशन आफ क्रुएलिटी टू एनीमल्स सोसाइटी की तरफ से इसका सख्त विरोध किया गया है क्योंकि ये बन्दर बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं ?

श्री करमरकर : सवाल का उत्तरार्ध समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

बहुरंगा चलचित्र संयंत्र

*३१६. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई बहुरंगा चलचित्र संयंत्र स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और उक्त संयंत्र कब स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). एक विदेशी सार्थ टैक्निकसन लिमिटेड के सहयोग से एक बहुरंगा संयंत्र स्थापित करने के लिये एक निजी व्यापारिक संस्था की प्रस्थापना पर विचार किया गया था और भारतीय पक्षों तथा विदेशी सार्थों के मध्य निश्चित हुई साझेदारी की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उसे स्वीकृत नहीं किया गया था इस निर्णय पर पुर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त एक अग्रेतर प्रतिनिधान का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या मैं उक्त क़रार के ब्यौरे अथवा विदेशी सार्थ से की गई शर्तों को जान सकता हूं ?

डा० केसकर : प्रस्तावित प्रस्थापना के सम्बन्ध में हुई ब्यौरेवार चर्चा का विवरण मेरे पास नहीं है। और यह मंत्रालय ऐसी स्वीकृतियां देता भी नहीं है। वास्तव में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ऐसी बातों के लिये स्वीकृति देता है। मेरे विचार से विवाद-विषय दोनों सार्थों की पूंजी प्रतिशतता के सम्बन्ध में था।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को भारत की कच्ची फिल्मों की बहुरंग या अन्य प्रकार की, वार्षिक आवश्यकताओं का कोई अनुमान है ; और क्या यह तथ्य नहीं है कि यह सब परिमात्रा आयात की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है। इस का सम्बन्ध संयंत्र से है।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या जिस सार्थ ने यहां प्रतिनिधान किया था उसका प्रतिनिधित्व श्री हैरीसन द्वारा, जो हाल ही में यहां आये थे, किया गया था, और क्या यही वही सार्थ है जिसने इस सरकार से बातचीत की थी ?

डा० केसकर : मुझे नाम मालूम नहीं है परन्तु जो व्यक्ति यहां आया था टैक्निकसन लिमिटेड का एक प्रतिनिधि था।

छोटे पैमाने के उद्योग

*३१७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब के जल विद्युत् शक्ति से लाभ उठाने वाले क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये कोई सहायता या अर्थ साहाय्य दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन मांगा गया है; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८**]

श्री डी० सी० शर्मा : कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विक्रय के लिये केन्द्र, जिसके लिये एक पुनरीक्षित योजना स्वीकृत की गई है, कब स्थापित किये जाने को है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे दूंगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण किस आधार पर वितरित किये जाने को हैं ?

श्री कृष्णमाचारी : वह आधार राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित आवश्यकतायें हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह तथ्य नहीं है कि क्या होशियारपुर ज़िले में, जहां भाखड़ा-नंगल परियोजना स्थित है, ऐसा एक भी केन्द्र नही खोला जाने को है, और यदि हां, तो होशियारपुर ज़िले के प्रति ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन सुविधाओं के प्रादेशिक वितरण का मामला राज्य सरकार के स्वविवेक पर है। मेरे विचार से यह प्रश्न राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिये ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या भाखड़ा-नंगल से जनन की जाने वाली समस्त शक्ति—प्रायः समस्त शक्ति—भारी पानी (हैवी वाटर) और उर्वरक परियोजनाओं के लिये पृथक-रक्षित कर दी गई है, यदि हां, तो इन कार्यों के लिये कितनी अतिरेक शक्ति बचती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से अभी तक शक्ति का इस प्रकार से पृथक-रक्षण नहीं किया गया है ।

रेशम उद्योग

*३१९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **उत्पादन** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) १९५४–५५ में रेशम उद्योग के विकास तथा गवेषणा के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किन किन राज्यों को अनुदान दिये गये थे; और

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी धन राशि का अनुदान दिया गया था ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). एक सूची सभा-पटल पर रख दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९**]

श्री नवल प्रभाकर : जो राशियां अनुदान में दी गयी हैं वे किस आधार पर दी गयी हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : स्टेट गवर्नमेंट्स से जो स्कीमें आती हैं उन पर सिल्क बोर्ड ग़ौर करता है । जो सिल्क के व्यवसाय की उन्नति

के लिये उपयुक्त समझी जाती हैं उनके लिये ग्रांट और एड दी जाती है ?

श्री नवल प्रभाकर : विवरण में दिया हुआ है कि १३ राज्यों को अनुदान दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त क्या किसी और राज्य ने इस तरह की राशि की मांग की थी ?

श्री सतीश चन्द्र : इन १३ राज्यों को अनुदान सन् १९५३–५४ में दिये गये थे। इस वर्ष कुछ और राज्यों से भी योजनायें आयी हैं और उन पर ग़ौर हो रहा है। कुछ मंजूर हो गयी हैं। कुछ पर अभी विचार किया जा रहा है।

डा० रामा राव : १९५४–५५ में रेशम बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों को स्वीकृत किये गये १८ लाख रुपये में से अब तक कितनी राशि काम में लाई जा चुकी है ?

श्री सतीश चन्द्र : इन में से कुछ योजनायें. . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह अंग्रेजी में उत्तर दे सकते हैं।

श्री सतीश चन्द्र : इन में से कुछ योजनाये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पहले ही प्रारम्भ कर दी गई हैं। कुछ अभी प्रारम्भ नहीं की गई हैं, परन्तु उनको यथासंभव शीघ्र चालू कर देने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

श्री तिम्मय्या : रेशम उद्योग के विकास के लिये राज्यों को बहुत अधिक राशि के अनुदान दिये जाने पर भी इसका क्या कारण है कि हम अब भी कच्चा रेशम बाहर से आयात कर रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : देश में उपलब्ध रेशमी धागे की परिमात्रा हमारी सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है; परन्तु स्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है, और यदि स्थानीय उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होता है तो आयातों को प्रतिबन्धित कर दिया जाता है।

श्री तिम्मय्या : हम कितनी मात्रा का आयात कर रहे हैं ?

जापान में भारतीय व्यापारी

*३२०. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को जापान में रह रहे भारतीय व्यापारियों की कठिनाइयों को बताने वाला एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने यह अभिवेदन किया है कि उनको गत युद्ध में नष्ट हुई सम्पत्ति के लिये कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके अभिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी हां। बम्बई की अखिल भारतीय सिन्डवर्क मर्चेन्ट्स एसोसियेशन से एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें सरकार से उन भारतीय सम्पत्तियों के लिये, जिनको गत युद्ध में हानि पहुंची थी या जो नष्ट हो गई थीं, क्षतिपूर्ति के शीघ्र भुगतान कराये जाने के लिये सरकार से प्रार्थना की गई है।

(ग) जापान सरकार के साथ दावा भुगतान की बातचीत अभी चल रही है।

श्री गिडवानी : गत युद्ध में नष्ट हुई अपनी सम्पत्ति के दावों की कुल रक़म कितनी है ?

श्री करमरकर : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री गिडवानी : प्रतिकर अदा करने में अथवा मामले के निर्णय करने में इतनी देरी होने के कारण क्या है ?

श्री करमरकर : कारण केवल यही है कि अभी तक इस के विषय में निर्णय नहीं किया गया है। हम इसके विषय में जापानी सरकार से बातचीत कर रहे हैं। कई मामलों पर सोच विचार करना है, इसीलिये देरी लग रही है।

श्री कामत : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या जापान में भारतीयों की यह सम्पत्ति युद्ध काल में उस समय नष्ट हुई थी जबकि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जापान के माननीय मित्र थे अथवा उसके उपरान्त नष्ट हुई थी जबकि अमरीकन सेनाओं ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम फेंकने के उपरान्त जापान पर अधिकार जमा लिया था ?

श्री करमरकर : प्रश्न तो बहुत उलझा हुआ सा है, परन्तु फिर भी मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि यह सम्पत्ति युद्धकाल में नष्ट हुई थी।

श्री एम० एम० गांधी : क्या मैं श्री डाभी की ओर से प्रश्न संख्या ३२१ पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महादय : माननीय सदस्य कार्य प्रणाली को जानते हैं। यदि उनके पास लिखित रूप में अधिकार है तो वह ऐसा परन्तु अन्त में कर सकते हैं इस समय नहीं।

सेना छात्र निकाय

*३२२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि कोसी बांध पर राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय और सहायक सेना छात्र निकाय के सेना छात्रों द्वारा किया गया कार्य वहीं पर अन्य स्वयं सेवक श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य की तुलना में कैसा है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०**]

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न यह है कि कोसी बांध पर राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय और सहायक सेना छात्र निकाय के सेना छात्रों द्वारा किया गया कार्य अन्य स्वयं सेवक श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य की तुलना में कैसा है। परन्तु विवरण से तो यह ज्ञात नहीं होता है कि राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय और सहायक सेना छात्र निकाय के कितने सेना छात्र काम पर लगाये गये थे और कितने श्रमदानी काम पर लगाये गये थे और उन पर कुल कितना खर्च हुआ था।

श्री हाथी : विवरण में श्रमदान में भाग लेने वाले सहायक सेना छात्र निकाय के सेना छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया काम बताया गया है। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा किया गया काम किस कोटि का था तो इसका उत्तर यह है कि वह अपेक्षित स्तर के अनुकूल ही था। जहां तक ठीक ठीक खर्च का सम्बन्ध है, इसी समय निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता है, परन्तु परियोजना द्वारा उन पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

श्री केशवैयंगार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह राष्ट्र निर्माण कार्य नवयुवक सेना छात्रों के मन में उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं, देश के अन्य भागों से भी सेना-छात्रों के इस कार्य के लिए क्यों नहीं निमंत्रित किया गया था ?

श्री हाथी : इसका मुख्य कारण हमारे पास समय की कमी थी। उन्हें शिविर संगठित करने थे। तो भी, इसमें २६,००० छात्र सैनिकों ने भाग लिया था और यह एक बहुत बड़ी संख्या है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या कोसी बांध पर लगाया गया इसका शिविर उनके सामान्य वार्षिक कार्य का ही एक भाग था अथवा कोई अतिरिक्त व्यय किया गया था ?

श्री हाथी : इसका प्रबन्ध रक्षा मन्त्रालय द्वारा किया गया था ।

पाकिस्तान को सिख यात्री

*३२३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की इस प्रार्थना को, कि गुरु अर्जुनदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर मई, १९५५, में सिख यात्रियों के एक जत्थे को लाहौर के डेहरा साहिब गुरुद्वारे की यात्रा करने की अनुमति दी जाय, ठुकरा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस अस्वीकृति के कारण क्या थे ;

(ग) क्या कमेटी ने कोई और वैकल्पिक प्रस्थापना भेजी थी ; तथा

(घ) यदि हां, तो वह क्या थी और उसे क्यों स्वीकार नहीं किया गया था ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां): (क) से (घ). हां, श्रीमान् । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की प्रार्थना पर कराची स्थित भारतीय प्रधान प्रदेष्टा ने पाकिस्तान सरकार से ५०० यात्रियों के एक दल को २३ मई से २५ मई, १९५५ तक लाहौर के गुरुद्वारा देहरा साहिब तथा अन्य ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारों की यात्रा करने की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की थी । पाकिस्तान सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, परन्तु यह कहा कि वह इस बात से सहमत हो सकती है कि यात्रियों का दल गुरुद्वारा देहरा साहिब और महाराज रंजीत सिंह की समाधी की यात्रा करे, परन्तु शर्त यह है कि यह यात्रा ईद के उपरान्त अर्थात् २६ मई, १९५५ के उपरान्त की जाये । क्योंकि श्री गुरु अर्जुनदेव का बलिदान दिवस २५ मई, १९५५ को पड़ता था, अतः पाकिस्तान सरकार से २० यात्रियों के एक छोटे से दल को २३ मई को अखण्ड पाठ प्रारम्भ करने की अनुमति देने और अन्य यात्रियों को २५ मई को गुरुद्वारे की यात्रा करने के लिए दृष्टांक दिये जाने की प्रार्थना की गई थी । पाकिस्तान सरकार ने यह उत्तर दिया कि ईद के कारण उसके लिये इस प्रार्थना को भी स्वीकार करना सम्भव नहीं था ।

श्री एस० सी० सामन्त : यात्रियों की इस प्रार्थना की अस्वीकृति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : प्रतिक्रिया सामान्य ही थी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या पाकिस्तान से आने वाले किसी दल की प्रार्थना को इसी प्रकार से अस्वीकार किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तान सरकार द्वारा यह कारण दिया गया था कि यह बलिदान दिवस ईद के उत्सव के दिन ही पड़ता था । यह एक ऐसा कारण था जिसमें बहुत कुछ औचित्य था । यह उनकी यात्रा करने की प्रार्थना को अस्वीकार करना नहीं है परन्तु ईद के कारण उस विशेष दिन के लिये इसकी स्वीकृति नहीं दी गई थी—यह औचित्य समुचित था अथवा नहीं, यह तो एक पृथक् प्रश्न है, परन्तु उसने यह कहा था कि, 'वे ईद के उपरान्त आ सकते हैं ।' और मैं नहीं समझता कि जब वह ऐसा औचित्य प्रस्तुत करते हैं तो भारत सरकार कोई महान् आपत्ति उठा सकती है । साधारणतया वहां से लोग यहां आते हैं और यहां से वहां जाते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि दो त्यौहार सिक्खों तथा मुसलमानों के अक्सर एक ही दिन पड़ें, ऐसी हालत में सिक्खों का जत्था गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, इस को दूर करने के लिये भारत सरकार क्या कोई क़दम उठायगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं। यह सवाल तो जो भारतीय सरकार या मुकामी सरकार देखेगी कि झगड़े फ़साद का अंदेशा तो नहीं है, अगर झगड़े फ़साद का अंदेशा है तो जो मनासिब कार्यवाही समझेगी करेगी।

पटसन की बनी हुई वस्तुएं

*३२४. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय पटसन की बनी हुई वस्तुओं की कितनी मांग है ; और

(ख) भारतीय पटसन की बनी हुई वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से उनके गुण प्रकार को सुधारने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) विदेशों में भारतीय पटसन की बनी हुई वस्तुओं की मांग वर्ष प्रतिवर्ष बदलती रहती है। यह कुछ एक विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि अन्य उत्पन्न करने वाले मुख्य मुख्य देशों की फसल की मात्रा पर, संसार में अन्न के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाने पर, उपभोक्ता देशों में इसकी अधिक मात्रा को किस सीमा तक प्रयुक्त किया जाता है, बांधने के काम आने वाली अन्य वस्तुओं जैसे कि काग़ज़, प्लास्टिक आदि की उपलब्धता पर, और विदेशों में पटसन के उद्योग से प्रतियोगिता पर निर्भर करता है। इन्हीं बातों के आधार पर भारतीय पटसन से बनी हुई वस्तुओं की मांग प्रतिवर्ष ७ से ९ लाख टन के बीच घटती बढ़ती रहती है।

(ख) भारतीय पटसन की बनी हुई वस्तुओं का गुण प्रकार प्रायः सन्तोषजनक समझा जाता रहा है। तो भी भारतीय पटसन मिल्स संस्था की प्रयोगशालाओं में इसके सम्बन्ध में निरन्तर गवेषणा की जा रही है।

श्री इब्राहीम : क्या सरकार ने भारत में पटसन की वस्तुएं तैयार करने वालों को इस योग्य बनाने के उद्देश्य से, कि वे विश्व मार्केट में होने वाली प्रतियोगिता का सामना कर सकें जिस पर सम्भवतः पाकिस्तानी रुपये के अवमूल्यन के उपरान्त प्रभाव पड़े, कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह : क्या यह सत्य है कि अन्य देशों के पटसन की क़िस्म हमारे पटसन की अपेक्षा बढ़िया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पाकिस्तानी पटसन निश्चय ही भारतीय सामान्य पटसन की अपेक्षा बढ़िया समझा जाता है, परन्तु हम अपने पटसन को भी बढ़िया बनाने का निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या यह सत्य है कि भारतीय निर्यातकों द्वारा घटिया किस्म की वस्तुएं निर्यात किये जाने के सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां तो इसकी रोक थाम करने के विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : हमें इस प्रकार की किन्हीं भी शिकायतों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है, यदि और जब भी इसके सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त होंगी, हम उनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर से हम ठीक ठीक यह समझ नहीं सके हैं कि पटसन की वस्तुओं के गुण प्रकार को उन्नत करने के सम्बन्ध में सरकार ने वास्तव में क्या प्रयत्न किये हैं ; आज ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि पटसन की वस्तुओं पर से निर्यात शुल्क हटा लिया गया है ; इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या हम यह

समझें कि पटसन की वस्तुओं के लिये कोई मार्केट ढूंढने में सब से बड़ी कठिनाई गुण प्रकार की अपेक्षा मूल्य सम्बन्धी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह मामला कुछ उलझा हुआ सा है । उस समय हमने ऐसा सोचा था कि जब तक कि हम उन तुलनात्मक असुविधाओं को दूर नहीं कर देते जो कि भारतीय पटसन की बनी हुई वस्तुओं को पाकिस्तान में बनी पटसन की बनी हुई वस्तुओं तथा अन्य देशों में पाकिस्तानी पटसन से बनी वस्तुओं का मुकाबला करते समय उठानी पड़ती है पटसन का मूल्य भी रुकावट डालने वाला एक कारण हो सकता है ।

कोयले का विनियंत्रण

*३२५. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **उत्पादन मंत्री** २९ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोयले के मूल्य का विनियंत्रण करने के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): वह प्रस्थापना जो कि वास्तव में एक प्रसिद्ध गैर-सरकारी संस्था के एक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की गयी थी, बाद में उसी संस्था द्वारा वापिस ले ली गई थी । सरकार उनके उस निर्णय से सहमत है कि कोयले पर नियंत्रण रहना चाहिये ।

श्री पी० सी० बोस : यदि नियंत्रण हटा दिया गया तो क्या रेलवे खाली माल डब्बों को पर्याप्त सीमा तक संभरित कर सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न होता मालूम नहीं होता है, यह प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जबकि कोयले पर से नियंत्रण हटा लिया जायेगा ।

भारतीय चल-चित्र समारोह

*३२६. **श्री पी० रामस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २१ जून, १९५५ को लन्दन में एक भारतीय चलचित्र समारोह हुआ था; और

(ख) यदि हां तो उस समारोह की मुख्य मुख्य बातें क्या थीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वह समारोह एशियाई चलचित्र संस्था नामक एक संस्था द्वारा आयोजित किया गया था । उस संस्था की प्रार्थना पर उसे चलचित्र विभाग से कुछ एक प्रलेखीय चित्र उधार देने के अतिरिक्त सरकार को उक्त समारोह के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री पी० रामस्वामी : इंगलैण्ड में भारतीय चलचित्रों के प्रदर्शन पर कुल कितना खर्च आया था, और कुल कितनी आय हुई थी ?

डा० केसकर : वह एक निजी संस्था है और मेरे लिये उन भारतीय चलचित्रों के सम्बन्ध में, जिनका हो सकता है कि इस प्रयोजन के लिये निर्यात किया गया हो, बताना अत्यन्त कठिन है ।

श्री पी० रामस्वामी : प्रदर्शन के लिये किस प्रकार के चलचित्र चुने गये थे और उनके चुनाव का आधार क्या था ?

डा० केसकर : जैसा कि मैं ने कहा, सरकार को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस संस्था ने इस समारोह को आयोजित किया था वह एक निजी संस्था है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस प्रतियोगिता समारोह में हमारे चलचित्रों को उनमें

से किसी वर्ग में जिनके लिये प्रदर्शन किया गया था, कोई स्थान प्राप्त हुआ है ?

डा० केसकर : हमें इस समारोह के विस्तार के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है; अर्थात् यह कितने दिन तक रहा इत्यादि।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय चलचित्रों ने वहां पर प्रदर्शित किये गये चलचित्रों की किसी कोटि में कोई सम्मानित स्थान प्राप्त किया है।

डा० केसकर : मुझे ठीक ठीक जानकारी नहीं है, परन्तु मैं समझता हूं कि क्योंकि यह एशियाई चलचित्र समारोह था, अतः उस प्रदर्शन में भारतीय चलचित्रों ने एक महान भाग लिया था। हम ने लगभग छः प्रलेखीय चित्र और कई भारतीय फ़ीचर चलचित्र भेजे थे। समाचार पत्रों की रिपोर्टों में कहा गया है कि एक दो भारतीय चलचित्रों को पारितोषिक भी दिये गये थे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या समारोह से पूर्व ऐसे भारतीय चलचित्रों का चुनाव करने का कोई प्रयत्न किया गया था जो कि भारतीय जीवन को अभिव्यक्त कर सकें और विदेशों को भारतीय समाज की उन विशेषताओं को जो कि हमारे सर्वोत्तम चलचित्रों में अभिव्यक्त की गयी हैं बता सकें ?

डा० केसकर : किसी भी चलचित्र समारोह में, जिसमें भारत भाग लेना चाहता है, हम ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने बताया है यह समारोह तो एक निजी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था, और वह हमसे कुछ एक चलचित्र चाहती थी और वह हम ने भेज दिये थे। हमारे लिये यह संभव नहीं है और न अब तक ऐसी कोई विधि ही है कि हम सभी प्रकार के चलचित्र समारोहों में चलचित्रों के भेजे जाने पर कोई ऐसा नियंत्रण लगायें जिससे कि केवल चुने हुए चलचित्र ही भेजे जायें।

बृहद् बांध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*३२७. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बृहद् बांध सम्बन्धी जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस में मई, १९५५ में हुआ था उसमें भारत के बारे में किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : सम्मेलन में भारतवर्ष से सम्बन्धित किसी खास विषय पर वाद विवाद नहीं हुआ। बांध निर्माण सम्बन्धी प्रावैधिक (टैक्निकल) प्रश्नों पर विवाद हुआ। यह प्रश्न सामान्य अभिरुचि (आम दिलचस्पी) के थे।

श्री रघुनाथ सिंह : अगर भारत के सम्बन्ध में वाद विवाद नहीं हुआ तो वह जाने से क्या फायदा हुआ ?

श्री हाथी : भारत के बारे में कुछ वहां विवाद नहीं हुआ, लेकिन जिन प्रश्नों पर व वाद विवाद हुआ वह अगत्य के प्रश्न थे, जैसे परमिएबुल स्वायल, पोली मिट्टी से बनाये जाने वाले बांध के नक्शे व निर्माण विधि तथा उनके उपचार और उपाय के प्रश्नों पर भी वाद विवाद हुआ था।

कृषि

*३२८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिसके अधीन तम्बाकू की खेती जैसे असमाजिक प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग को प्रतिशिद्ध किया गया हो ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): जी नहीं।

श्री बंसल : क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि तम्बाकू खाना या पीना एक समाज-विरोधी काम है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी नहीं । यह सुझाव . . . .

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि तम्बाकू से समाज का कोई फायदा नहीं होता फिर भी तम्बाकू के लिये सर्वोत्तम जमीन ली जाती है ? तो क्या सरकार इस बात को सोचती है कि इस जमीन पर दूसरी चीज़ें पैदा की जायें ?

श्री एस० एन० मिश्र : सरकार के सामने भूमि के उपयोग की पूरी तस्वीर होती है जिसमें तम्बाकू की खेती का भी स्थान होता है ।

श्री विभूति मिश्र : तम्बाकू की खेती से समाज का कौन सा फायदा होता है, मैं यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । और कोई तर्क-वितर्क नहीं होने चाहिए ।

नंगल विद्युत् संभरण

*३२९. **श्री नानादास :** क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जब से इस वर्ष अप्रैल में नंगल से दिल्ली को बिजली दी गई है इसमें कई बार बिगाड़ पैदा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ;

(ग) क्या यह सच है कि इस बिगाड़ के कारण दिल्ली को बिजली का संभरण काफ़ी कम करना पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । पहले मास में कुछ बार बिजली बन्द हो गई थी. किन्तु १४ मई १९५५ से ऐसा नहीं हुआ ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नानादास : बिजली बन्द हो जाने से बिजली कितनी कम मिली है और घरेलू उपभोक्ताओं और औद्योगिक समवायों को किस हद तक असुविधा हुई है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है बिजली लम्बे समय के लिए बन्द नहीं हुई थी । यह नौ बार बन्द हुई थी और अधिक से अधिक केवल ३ से ५ मिनट के लिए । ऐसा केवल पहले मास में हुआ था और १४ मई १९५५ के बाद बिजली फिर बन्द नहीं हुई ।

श्री नानादास : क्या यह सच है कि पंजाब लाइन के उस सिरे पर जहां से बिजली भेजी जा रही है नियन्त्रण चाबी रखे बिना इन बिगाड़ों को कम करना असम्भव होगा ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है ये बिगाड़ गंगुवाल बिजली घर के संचालन में आरम्भिक कठिनाइयों के कारण हुए थे । इन्हें दूर कर दिया गया है । १४ मई १९५५ से आज तक बिजली कभी बन्द नहीं हुई ।

राजेन्द्रनगर में मकान

*३३०. **डा० रामा राव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराने राजेन्द्र-नगर में नये मकान बनाने के लिए सरकार का वर्तमान मकानों को गिराने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । इस आशय का एक प्रस्ताव

विचाराधीन है किन्तु अब तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) ब्यौरा अभी तयार किया जाना है ।

डा० रामा राव : क्या यह सच है कि सैकड़ों शरणार्थियों ने किस्तों पर मकान खरीदे हैं और उन के सुधार पर काफ़ी रुपया खर्च किया है और यदि हां, तो सरकार का उन्हें क्या प्रतिकर देने का विचार है ?

श्री करमरकर : सारा प्रश्न विचाराधीन है । मेरे विचार में यह सच है कि लगभग दो सौ शरणार्थियों ने अपने मकान बना लिये हैं ।

डा० रामा राव : क्या सरकार उन लोगों को जो इन मकानों से उठाये जायेंगे और मकान देने की गारंटी देगी ?

श्री करमरकर : एक मानवीय समस्या के रूप में इन के लिए अवश्य कोई अन्य प्रबन्ध करना पड़ेगा । किन्तु सारे मामले पर विचार हो रहा है ।

डा० रामा राव : यह योजना कितने मकानों के सम्बन्ध में है ?

श्री करमरकर : लगभग ३६ बंगला प्लाट हैं । कुछ भूमि ऐसी है जो शिक्षा संस्थाओं को दी गई है । इनके बारे में कोई समस्या नहीं है । अन्य स्थान २३५२ परिवारों के लिए ढूंढना पड़ेगा जिन्हें एक कमरे वाले और दो कमरे वाले मकानों से उठाया जायेगा । इससे पता चलता है कि समस्या कितनी बड़ी है ।

श्री एन० एल० जोशी : सरकार इन मकानों को क्यों गिरा रही है ?

श्री करमरकर : विचार यह है कि गंदी बस्तियों की समाप्ति की जाये । कठिनाइयां अवश्य हैं और मानवीय दृष्टिकोण से भी देखना है क्योंकि लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा अतः सारे मामले पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशी विशेषज्ञ

*३३१. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांधों पर काम करने वाले कितने विदेशी विशेषज्ञ अब भी संघ सरकार की सेवा में हैं; और

(ख) उन्हें प्रति मास कुल कितना वेतन आदि दिया जाता है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अणु शक्ति

*३३२. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नाभिकीय विस्फोट' से प्राप्त की गई अणु शक्ति को नदियों के तलहटी को गहरा करने और बाढ़ नियन्त्रण के लिए नदियों का रुख ठीक करने के लिए प्रयोग करने की सम्भावना पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस का क्या फल निकला है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). जी नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसे प्रयोग करने का विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि ऐसे प्रयोग अन्य देशों में किये जा रहे हैं और यदि हां तो क्या भारत सरकार ने इस विषय में टेकनिकल सहायता मांगी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्या मैं जान सकती हूं कि भविष्य में हमारे देश में अणु शक्ति और इस के अनुसंधान का उपयोग किन दिशाओं में किया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका उपयोग करने से पहले हमें इसे पैदा करना है और इस समय हर देश में इस प्रयोजन के लिये अणु शक्ति पैदा करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है । जहां तक मुझे मालूम है, केवल अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने अणु शक्ति का थोड़ा सा प्रयोग किया है । अणु शक्ति के उपयोग के लिये उन की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, अर्थात् वे शक्ति पैदा कर रहे हैं और इस शक्ति का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिये किया जा सकता है । जिस प्रयोजन के लिये भी शक्ति का उपयोग किया जा सके, वह शक्ति उसके लिये प्रयोग की जायेगी । अतः समस्या शक्ति पैदा करने की है ।

आज़ाद हिन्द फौज की आस्तियां

*३३४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्पत्ति-अभिरक्षक, सिंगापुर के पास आजाद हिन्द फौज और भारतीय स्वतन्त्रता संघ की जो आस्तियां जमा थीं, वह तब से वापस मिल गई हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : अभी नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें इतनी देरी होने का क्या कारण ह और कब तक इसकी आशा की जा सकती है ?

श्री सादत अली खां : देरी होने का कारण यह है कि मलाया और सिंगापुर की तरफ से देरी होती है, हम तो अपनी कोशिश जारी रखते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेन्ट की जानकारी में यह बात है भी कि जापान के आत्म समर्पण के बाद जब नेता जी सुभाष चन्द्र बोस रंगून से चले थे तब यह कहा जाता है कि उनके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति थी । क्या इसके बारे में पता लगाने का प्रयत्न किया गया है और क्या उस में कुछ सफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां, काफी कोशिश की गई और वह कोशिश बहुत कामयाब भी हुई । कुछ थोड़ा सा रुपया मिला था । आज से ९ वर्ष पहले सन् १९४६ में मैं सिंगापुर गया था । वहां भी दर्याफ्त किया था और थोड़ी संख्या में वहां भी मिला था । आखिर में बमुश्किल तमाम वह हमारे कब्जे में भी आया था । कोई लाख, डेढ़ लाख रुपया मुझे मिला था । उसका हम ने वहां पर एक ट्रस्ट बनाया और उससे हिन्दुस्तानी स्टूडेन्ट्स को कुछ स्कालर्शिप्स दिये जाते हैं । और जो कुछ होगा उस का खास पता नहीं चला । और पता नहीं कि अब चलेगा या नहीं ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि कथित घातक विमान दुर्घटना के बाद टोकियो में श्री एस० ए० आयर ने श्री रामामूर्ति को बहुत सा सोना गहने और कीमती जवाहरात दिये थे और यदि हां तो क्या ये और संभवतः नकदी भी श्री रामामूर्ति ने भारत सरकार को दे दिये थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बहुत से माल के बारे में नहीं जानता किन्तु कुछ माल हमें दे दिया गया था और संभवतः माननीय सदस्य इसी की ओर निर्देश कर रहे हैं इसका मूल्य अधिक नहीं है । ये कुछ सोने के गहने और

कुछ अन्य जली हुई या बिगड़ी हुई चीज़ें थीं जिन्हें हम ने रख छोड़ा है और इन्हें संभवतः किसी अद्भुतालय में रखा जायेगा । यदि माननीय सदस्यों ने कोई और सुझाव देना हो, तो हम इस पर विचार करेंगे ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो एसैट्स वग़ैरह वापस आयेंगे, क्या इन का इस्तैमाल जो आई० एन० ए० के लोग हैं, उनके वास्ते किया जायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह एसैट्स वग़ैरह कुछ वापस नहीं आयेंगे, क्योंकि उनको वापस लाने में पहले से ही बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और इसके साथ ही यह थोड़ी सी रकम है, बहुत बड़ी रकम भी नहीं है । इसलिये इन दिक्कतों को दूर करने के लिये हम ने तय किया है कि यह रुपया वहीं रहे और वहां पर जो हिन्दुस्तानी और खास कर जिनका सम्बन्ध आई० एन० ए० से था उन के बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई के लिये स्कालरशिप्स के रूप में यह रुपया दे दिया जाये ।

स्टोरों का क्रय

*३३५. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में मंत्रालय के क्रय संगठनों द्वारा भारत सरकार ने कुल कितने मूल्य के स्टोर खरीदे;

(ख) इस में से कितने देशी थे और कितने विदेशी; और

(ग) क्या भारतीय उत्पाद के सम्बन्ध में सरकार मूल्य अधिमान की किसी नीति का अनुसरण करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लगभग १६२ करोड़ रुपये ।

(ख) देशी ४७ करोड़ रुपये, आयात ११५ करोड़ रुपये ।

(ग) जी हां ।

श्री जेठालाल जोशी : १९५४–५५ में मूल्य अधिमान की नीति के अनुसरण में सरकार ने कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों की जो वस्तुएं खरीदी हैं, उनका कुल मूल्य क्या है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचन चाहिये ।

श्री जेठालाल जोशी : क्या उत्सर्जन विभाग और संभरण विभाग में समन्व होता है और यदि हां, तो कैसे ?

श्री करमरकर : अवश्य होता है, जब इन वस्तुओं की आवश्यकता न हो, तो इन्हें बेच दिया जाता है और जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनके लिये सरकार आर्डर दे देती है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : रेलवे और रक्षा के क्रय के सहित क्रय की कुल राशि क्या है और इसके अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

श्री करमरकर : मेरे पास मंत्रालय-वार आंकड़े नहीं हैं किन्तु यदि मोटे तौर पर ब्यौरा जानना चाहते हों, तो मैं देशी स्टोरों की कुछ वस्तुएं बता सकता हूं । वे यह हैं : इस्पात ट्रफ़ स्लीपर, फिश बोल्ट और नट, क्रांसिंग, स्पिलवे रेडियल गेट, सैंट्रीफ्यूगल प्रणाली से ढाले गये लोहे के स्पन पाइप, तम्बू, सूती कपड़ा, गाड़ियां और भारतीय प्लाइवुड ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

*३३७. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९५५ में जम्मू और काश्मीर राज्य में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में बोर्ड ने किन-किन विषयों की चर्चा की थी; और

(ग) बोर्ड ने सरकार को क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां। यह बैठक २७ और २९ मई, १९५५ को श्रीनगर में हुई थी।

(ख) रेशम बोर्ड की स्थापना और संगठन सम्बन्धी मामलों के अतिरिक्त, असली रेशम के कपड़े को लोकप्रिय बनाने और देशी रेशम उद्योग के टेकनिकल विकास के प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

(ग) बोर्ड ने यह सिफ़ारिश की है कि :

(१) कुछ व्यक्तियों को अध्ययन के लिये जापान भेजा जाये;

(२) दो जापानी व्यक्तियों की सेवाएं जो कि अंडा उत्पादन जैसे विषयों में विशेषज्ञ हों, कोलम्बो योजना के अधीन प्राप्त की जाये;

(३) बुने हुए रेशम के सूत का आयात केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किया जाये;

(४) कोयों के व्यय के ढांचे का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट किया जाय; और

(५) विभिन्न राज्यों से प्राप्त रुपये १२,१७,४९५–८–० के व्यय की योजनाओं को अनुमोदित किया जाय।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि हाल ही में ककून (कोये) का मूल्य बहुत गिर गया है, और केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मूल्यों की इस गिरावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह सच है कि कोयों का मूल्य हाल ही में कुछ गिर गया है और केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस प्रश्न के इस पहलू की ओर ध्यान दे रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या विदेशों से, विशेषतया चीन से काते हुए रेशम के आयात का स्थानीय उत्पादन पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह उन परिस्थितियों पर निर्भर है, जिनके अधीन आयात किया जायेगा। इस विषय का शान्त भाव से लगातार ध्यान रखना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में समय समय पर संभव तथा व्यावहारिक कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच नहीं है कि चीन से जो रेशम मंगवाया जाता है वह साफ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस की मांग नहीं है, और इस आयात के कारण बाजार में भी साफ न किये गये रेशम का मूल्य गिर रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का कथन ठीक है। जहां तक मुझे स्मरण है, बोर्ड इस आयात के विरुद्ध नहीं था। मुझे विश्वास है कि बोर्ड को इसका ज्ञान था कि आयात किये गये थे ?

मूंगफली का तेल

*३३८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई १९५४ से मार्च १९५५ के अन्दर देश में मूंगफली के तेल का कितना उत्पादन हुआ है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह उत्तर जुलाई १९५४ से मार्च १९५५ के बीच

के समय के बारे में है। क्या मैं इससे यह समझ सकता हूं कि सरकार ने अभी तक कोई जानकारी एकत्र नहीं की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्। खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही है, किन्तु वह अधिकतर केवल अनुमान हैं, क्योंकि, जो तेल पेरा जाता है, वह विभिन्न स्थानों पर पेरा जाता है, और हमें विशेषकर गांवों में निकाली जाने वाली घानियों के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सकते।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विदेशों को कुल कितनी लागत का मूंगफली का तेल भेजा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस का योग करना होगा। मेरे पास यहां जुलाई से अप्रैल तक प्रत्येक मास के पृथक् पृथक् आंकड़े हैं, किन्तु मैं ने उनका योग नहीं किया है। मैं बाद में ये आंकड़े माननीय सदस्य को बता सकता हूं।

प्रमाप एकड़

*३४०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री २१ मार्च को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कृषकीय भूमि के प्रमाप एकड़ का मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय कर लिया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): जी, हां।

सरदार इकबाल सिंह : सरकार ने कृषकीय भूमि के एक प्रमाप एकड़ का क्या मूल्य निश्चित किया है ?

श्री जे० के० भोंसले : पहले पांच प्रमाप एकड़ों के लिये ४५० रुपये और उसके बाद प्रति एकड़ ३५० रुपये।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि बख्शी टेक चन्द समिति ने प्रमाप एकड़ का मूल्य ८०० रुपये रखने की सिफारिश की है ?

श्री जे० के० भोंसले : इसके लिये बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ता है, अर्थात् भूस्वामी का भाग, अन्य परिव्यय जो लगभग ३३ १/३ प्रतिशत होते हैं, खाद्यान्नों का वास्तविक मूल्य और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विविध विधियां। इन सब बातों का विचार करते हुए मान्य एकड़ का मूल्य ४५० रुपये प्रति एकड़ बैठता है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या भार सरकार भूमि का कम मल्य निश्चित करने से कृषकों को होने वाली क्षति के लिये प्रतिकर देने के लिये अन्य उपायों का विचार करेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : यदि माननीय सदस्य पथक् प्रश्न पूछें, तो मैं इसका उत्त दूंगा।

भारत-पाक कार्यसंचालन समितियां

*३४२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान सरकारी द्वारा नियुक्त दो कार्य संचालन समितियों की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं; और

(ख) क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). अब तक भारत-पाक कार्य संचालन समितियों की तीन बैठकें हुई हैं। इन बैठकों के अन्दर, समितियों से दोनों सरकारों द्वारा तैयार की गई अवशेष मामलों की सूचियों का श्रेणीकरण किया है और उनके

निबटारे के लिये विभिन्न स्तरों पर चर्चा की प्रक्रिया सूत्रबद्ध की है। अपनी अन्तिम बैठक में, समिति ने कुछ मदों पर विचार भी किया, जिन पर इस श्रेणीकरण के अनुसार, भारत सरकार के वैदेशिक कार्य मंत्रालय, तथा पाकिस्तान सरकार के वैदेशिक कार्य एवं राष्ट्रमंण्डल सम्बन्धी मंत्रालय अथवा दोनों कार्य संचालन समितियों द्वारा चर्चा की जानी थी। बहुत सी बातों के सम्बन्ध में समझौता हो गया था।

कार्य संचालन समितियों की बैठकों के संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या, एस--२३१/५५]

श्री डी० सी० शर्मा : संक्षिप्त विवरणों से पता चलता है कि चर्चा के लिये चार श्रेणियां निश्चित की गई थीं। "सी" (ग) श्रेणी के अन्दर पुनः चार उपविभाग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रियों की बैठक कब होगी और उस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होगी।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है इसलिये कोई कार्यवाही तैयार नहीं की गई है।

श्री डी० सी० शर्मा : पूर्वी बंगाल में निरुद्ध भारत रक्षा दल के कर्मचारियों के प्रश्न के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये। संभवतः यह कार्यावलि के पदों में से एक है।

श्री डी० सी० शर्मा : "डी" श्रेणी के स्तर पर, अर्थात कूटनीति स्तर पर, किस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा होगी, और उस स्तर पर होने वाली चर्चाओं में कौन कौन व्यक्ति होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कराची स्थित उच्च आयुक्त पाकिस्तान सरकार से बात करेगा और भारत स्थित उन का उच्च आयुक्त हमारे मंत्रालय से मिलेगा। प्रश्नों को सुलझाने के लिये कूटनीति का यही सामान्य ढंग है।

प्रशिक्षण संस्थायें

*३४४. **श्री गिडवानी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के संगठन के निमित्त उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये कितनी प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने का निर्णय किया है;

(ख) ३० जून, १९५५ तक ऐसी कितनी संस्थाएं खोली जा चुकी हैं;

(ग) इस काम के लिये कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(घ) प्रशिक्षण की अवधि क्या है; और

(ङ) प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उनको क्या वेतन दिया जायेगा ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]

श्री गिडवानी : १९५५-५६ के अन्दर प्रशिक्षण योजना का विस्तार क्या होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : इस प्रश्न की मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये।

श्री गिडवानी : क्या इन प्रशिक्षार्थियों की भरती के लिये कोई गैर सरकारी अभिकरण है ?

श्री सतीश चन्द्र : खादी बोर्ड के सदस्य जानते हैं कि किन स्थानों से प्रशिक्षार्थी भरती

किये जा सकते हैं। वे साधारणतया उन क्षेत्रों से नवीन प्रशिक्षार्थियों को भरती करते हैं, जहां पहले रचनात्मक कार्य किया गया हो।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सच है कि खादी बोर्ड भी विकास खण्ड चला रहा है जहां, इन प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त, पहले से गांवों के लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : यदि माननीय सदस्य उस विवरण को देखें, जो मैं ने सभा पटल पर रखा है, तो वह देखेंगे कि इन केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो ये लोग प्रशिक्षित किये जा रहे हैं, क्या ये अन्य केन्द्रों में भी भेजे जायेंगे, जहां इनकी मांग होगी, अथवा इनको केवल खादी उद्योग बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले केन्द्रों में ही रखा जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं ने एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ दिन हुए कहा था कि एक गवेषणा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, जहां प्रशिक्षण देने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। ये अध्यापक देश के विभिन्न भागों में काम करने के लिये भेजे जायेंगे।

भीलाई इस्पात संयंत्र

*३४५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलाई में स्थापित होने वाले प्रस्तावित इस्पात संयंत्र का नक्शा तैयार कर लिया गया है;

(ख) क्या इसके निर्माण के लिये प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया जा चुका है; और

(ग) इस काम के लिये अब तक भारत में कितने रूसी शिल्पिक एवं विशेषज्ञ आये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अन्तिम नक्शा तैयार होने वाला है और साथ ही परियोजना प्रतिवेदन दिसम्बर १९५५ में हमारे हाथों में आ जायेगा, ऐसी आशा की जाती है।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) रूसी शिल्पिकों और विशेषज्ञों की संख्या ६ से १२ तक रही है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह संयंत्र स्थापित करने और उपनगर निर्माण के लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है; और यदि हां, तो उपनगर निर्माण करने में कितनी लागत आयेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आवश्यक क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग १२० वर्गमील की अधिसूचना जारी की है। अधिग्रहण के सम्बन्ध में, मुझे बताया गया है कि शीघ्र ही कार्यवाही आरम्भ होगी। जहां तक उपनगर के नक्शों का प्रश्न है, वे बनाए जा रहे हैं और हमें अन्तिम रूप में नक्शे तैयार करने में कुछ समय लगेगा।

डा० राम सुभग सिंह : मीलहास और समीपवर्ती गांवों में, तथा दूसरे क्षेत्रों में जहां संयंत्र स्थापित किये जाएंगे, कुछ लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है, इस बात का विचार करते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार, इन संयंत्रों की स्थापना के कारण विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को कारोबार देने की योजना बनाएगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास को हमारी योजना में उच्च प्राथमिकता दी जायगी।

श्री बंसल : क्या भारत सरकार के शिल्पिकों तथा रूसी शिल्पिकों ने इस ढंग से

नक्शे तैयार करने की वांछनीयता का विचार किया है कि क्रमानुसार संयंत्र निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा सके, ताकि समस्त संयंत्र स्थापित होने से पहले पिघलाने की एक या दो भट्ठियां लगाई जा सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निश्चय ही मैं माननीय सदस्य की मंत्रणा को ध्यान में रखूंगा ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में जल का अभाव है और यदि हां, तो इस संयंत्र को पर्याप्त जल पहुंचाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जलाभाव की पूर्ति सदा वर्षा से की जाती है और मुझे बताया गया है कि यहां लगभग ५५ इंच वर्षा होती है और मैं आशा करता हूं कि यदि दो वर्ष से अधिक समय तक भी सोखा रहे, तो भी यह हमें पर्याप्त जल दे सकेगा ।

मिलान नगर में नमूनों का मेला

*३४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने १९५५ में हुए मिलान के नमूनों के मेले, १९५५ में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मेले में जिन देशों ने सरकारी तौर पर भाग लिया था, उनमें से भारत को सर्वाधिक सफल प्रदर्शकों में समझा गया था । इससे मालूम होता है कि हमारा काम ठीक हुआ ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस मेले में भारतवर्ष का कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री करमरकर : हमने जितना मंजूर किया था, उससे कुछ कम ही खर्च हुआ——हमने २,६०,००० रुपये मंजूर किये थ और उसमें से १५,००० रुपये बच गये ।

मोटर सर्विस स्टेशन

*३४७. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में मोटर सर्विस स्टेशनों के निरीक्षण की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस योजना का ब्यौरा किस प्रकार है ; तथा

(ग) यह व्यवस्था किन कारणों से की जा रही है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). सरकार ने मोटर निर्माताओं से देश भर में सर्विस स्टेशनों की व्यवस्था करने के लिए कहा है और उनसे इस आशय का ब्यौरा मांगा है कि ऐसे स्टेशन कहां कहां स्थापित किए गए हैं । हो सकता है कि सम्बद्ध विकास पदाधिकारी जनता द्वारा मरम्मत की सुविधाओं की अपर्याप्तता की शिकायत मिलने पर समय समय पर किसी सर्विस स्टेशन का निरीक्षण करें । यह कार्यवाही जनहित के लिए की गई है ।

श्री नानादास : कितने सर्विस स्टेशनों की व्यवस्था की गई है और वह वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए कहां तक पर्याप्त हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि अभी इस प्रश्न के पूछने का समय नहीं आया । हमने अभी तो इन लोगों द्वारा सर्विस स्टेशनों की व्यवस्था कराने का प्रयत्न किया है ।

श्री नानादास : इस बात को देखते हुए कि मोटर निर्माताओं ने सरकार को पूर्ण सहयोग का वचन दिया है क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे इन सर्विस स्टेशनों को चालू रखने में किस प्रकार और कहां तक सहयोग देंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वचन दे दिया गया है और हमें आशा है कि इसकी अभिपूर्ति की जाएगी। यदि अभिपूर्ति नहीं होगी तो हम पता चलाएंगे कि इसका कारण क्या है।

विस्थापितों के लिये मकान

*३४८. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विस्थापितों को मकान देने के लिये कोई नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत विस्थापितों को कितने मूल्य के मकान दिये जायेंगे ; और

(ग) इन मकानों की लागत उनसे कितने समय में वसूल की जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्री भागवत झा आज़ाद : पुरानी योजना के अन्तर्गत अब तक सरकार कितने विस्थापित परिवारों के लिए मकानों का प्रबन्ध कर चुकी है और कितने विस्थापित परिवार ऐसे हैं जो अब तक बिना मकान के हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : करीबन ३७,८८३ मकान बनाये जा चुके हैं और हम समझते हैं कि ४,००० और लोगों को मकान देने की ज़रूरत है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार इस प्रश्न को शीघ्रातिशीघ्र हल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संस्था के साथ मिल कर कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे उसको इस काम के लिए आर्थिक सहायता मिल सके ?

श्री जे० के० भोंसले : हम इस सवाल को पहली योजना से ही हल करना चाहते हैं। हमारे ख्याल में दूसरी योजना से कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होगी।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार यह बता सकती है कि जो योजनायें अब तक बन चुकी हैं उनके आधार पर वह कब तक सब विस्थापितों के लिये मकानों का प्रबन्ध कर सकेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : करीबन एक या डेढ़ साल के अन्दर।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या विस्थापित व्यक्तियों को मकानों के लिये धन मिलने में काफी देर लग जाती है और यदि ऐसा है तो क्या इसमें शीघ्रता लाई जा सकती है, क्योंकि उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं नहीं समझता कि इस प्रयोजन के लिये कोई धन देने में कोई विलम्ब हुआ हो। यदि कोई विशेष उदाहरण बताये जायेंगे तो हम उनकी जांच करेंगे।

लाला अचिंत राम : क्या सरकार के ध्यान में ऐसे परिवार भी हैं जो अब तक अपने रिश्तेदारों के साथ रहते रहे हैं और जिनको अब तक मकान नहीं मिला ? क्या सरकार उनको भी मकान देने के बारे में ख्याल कर रही है ?

श्री जे० के० भोंसले : उसका भी सरकार ख्याल कर रही है और सैकिंड फाइव इयर प्लान में उनका भी इन्तिजाम हो जायेगा।

श्री कामत : हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी विस्थापित व्यक्तियों को मकान दिलवाने के उद्देश्य की पूर्ति में क्या काम करेगी, और क्या उसने यह काम अभी से शुरू कर दिया है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे इस विशेष प्रश्न के बारे में कुछ सूचना नहीं है ।

छोटे पैमाने के उद्योग निगम

*३४९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह कौन से छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनकी व्यवस्था छोटे पैमाने के उद्योग निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के व्यादेशों की पूर्ति के विचार से की जाने वाली है ;

(ख) बड़े उद्योगों द्वारा अपेक्षित संघटकों और अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिये छोटे एककों की सहायता के हेतु इस निगम द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; तथा

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) छोटे उद्योग निगम सर्वप्रथम चमड़े के बूट, होज़ियरी और लोह-भाण्ड के उद्योगों का संगठन कर रहा है ।

(ख) निगम इन एककों को यथावश्यक टेक्निकल और वित्तीय सहायता भी देगा ।

(ग) इस समय सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस निगम की पूंजी कितनी है और क्या सरकार का इस राशि में वृद्धि करने का कोई विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसकी अधिकृत पूंजी १० लाख है । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है किसी ऐसे निगम की पूंजी, जिसमें सरकार को अभिरुचि हो, काल्पनिक प्रकार की होती है । यदि निगम के प्रयोजनों के लिये अधिक धन की आवश्यकता होगी तो सरकार उसकी व्यवस्था कर देगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : संघटकों और अन्य भागों के बारे में जो भाग (ख) में उल्लिखित हैं सरकार और क्या कार्यवाही कर रही है और किन किन उद्योगों के लिये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं बता चुका हूं कि अभी हम प्रारम्भिक प्रक्रमों पर ही हैं । इस समय इस विषय में सर्वेक्षण किया जा रहा है । और आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ और सूचना प्राप्त करनी होगी ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस सर्वेक्षण के लिये कौन सा ढंग अपनाया गया है और क्या इस में केवल वही चीज़ें होंगी जिनका उल्लेख माननीय मंत्री द्वारा किया गया है वा अन्य सभी छोटे उद्योग भी होंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस सर्वेक्षण में वह सभी चीज़ें होनी चाहियें जिनका उल्लेख में ने किया है और कुछ अन्य ऐसे उद्योग भी जिन में अभिरुचि रखने का हमारा विचार है । सर्वेक्षण का ढंग साधारण प्रकार का है, अर्थात् सूचना एकत्रित करने के लिये लोगों को भेजा जाना ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह निगम पूर्णरूपेण एक कम्पनी होगी जो समवाय अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध होगी या क्या सरकार इसे केवल प्रशासनीय ढंग पर ही चलाना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह समवाय अधिनियम के अधीन पूर्णरूपेण पंजीबद्ध एक समवाय है और उस स्थान के लिये जहां इसे काम करना है इसका एक बोर्ड है । यह केवल सरकारी निगम है और इसे लगभग सरकारी ढंग पर ही चलाया जायेगा । हां, जितनी कुछ ढिलाई किसी निगम द्वारा बरती जा सकती है वह तो रहेगी ही ।

श्री टी० एन० सिंह : इस समवाय की अंश-पूंजी क्या होगी, अर्थात् अधिकृत पूंजी, प्रार्थित पूंजी, इत्यादि ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अधिकृत पूंजी १० लाख रुपया है। यह राशि केवल काल्पनिक मात्र है । सरकार इस निगम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिये यथावश्यक धन की व्यवस्था करने को तैयार है ।

नमक

*३५१. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **उत्पादन** मंत्री ५ मई, १९५५ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस एकड़ या दस एकड़ से कम नाप के क्षेत्रों से नमक के निर्माण पर किस दिनांक से उपकर इकट्ठा नहीं किया जायेगा;

(ख) क्या ऐसे छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिये अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी; और

(ग) ऐसे नमक के गुण और प्रकार की अच्छाई की किस प्रकार पड़ताल की जाती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) १० एकड़ या १० एकड़ से कम के क्षेत्रों में बिना अनुज्ञप्ति के नमक निर्माताओं को २३ अप्रैल, १९४८ से उपकर का भुगतान करने से मुक्त कर दिया गया था। १० एकड़ या इससे कम के क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति-प्राप्त निर्माताओं को, जिन में ऐसे उत्पादक भी सम्मिलित हैं जिन्हें सहकारी समितियों के सदस्यों के रूप में संगठित किया जाता है, चाहे ऐसी प्रत्येक समिति में १० एकड़ से अधिक क्षेत्र में नमक का उत्पादन किया जाता हो, १५ मई, १९५५ से उपकर का भुगतान करने से मुक्त कर दिया गया था ।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसे नमक के गुण प्रकार की इस समय कोई पड़ताल नहीं पर सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि किस प्रकार ऐसा नियंत्रण लगाया जा सकता है ।

चौधरी मुहम्मद शफ़ी : इससे सरकार को क्या हानि हुई ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार की हानि का कोई प्रश्न नहीं है। इस छूट से, सरकार को नमक उपकर के रूप में लगभग १० लाख रुपये कम मिलेंगे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या क्षेत्रों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बनाये जाने लगे हैं कि वे मुक्ति सीमा में ही रहें और इस वर्तमान सुधार का बड़े निर्माताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री नानादास : क्या नमक निर्माताओं की ओर से ऐसी कोई मांग है कि १० एकड़ से अधिक क्षेत्र को भी उपकर से मुक्त कर दिया जाय, और यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रुख है ?

श्री के० सी० रेड्डी : स्वभावतः, सभी नमक निर्माताओं की ओर से यह मांग है कि उन्हें उपकर के भुगतान से मुक्त कर दिया जाय । सरकार के निश्चय के सम्बन्ध में मैं आप को अभी बता चुका हूं । अन्य निर्माताओं की मांग के सम्बन्ध में, मामला सरकार के विचाराधीन है ।

राज्य व्यापार निगम

*३५२. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके भव्य कार्य क्या होंगे; और

(ग) कब तक उसके स्थापित हो जाने की आशा है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार को इस प्रकार के किसी निगम की आवश्यकता और उपयोगिता के सम्बन्ध में पूरा विश्वास है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विश्वास का हमारे लिये कोई बहुत महत्व नहीं है । हम विश्वस्त हो सकते हैं; पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसके लिये कुछ करेंगे । सरकार इस मामले पर विचार कर रही है । विश्वास का कोई भी प्रश्न नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मंत्रालय को कराधान जांच समिति की सिफारिशों का पता है ? उसने एक राज्य व्यापार निगम की सिफारिश की है । क्या सरकार ने कराधान जांच समिति की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कराधान जांच समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में, वित्त मंत्री से प्रश्न किया जाना चाहिये ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार बिना राज्य व्यापार निगम की स्थापना किये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस प्रकार के राज्य व्यापार चलाने का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम इस मामले के सम्बन्ध में सोच सकते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अभी अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है ।

पटेल भाषण

*३५४. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी "पटेल भाषण" के नाम से एक भाषणमाला प्रारम्भ करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) भाषणमाला का उद्घाटन १४ अगस्त, १९५५ को बम्बई विश्वविद्यालय के दीक्षान्त कक्ष में श्री सी० राजगोपालाचारी के एक भाषण से होगा ।

श्री जेठालाल जोशी : किन किन विद्वानों ने आकाशवाणी को इन भाषणों में अपने ज्ञान और विद्वता का योग देने का प्रस्ताव किया है ?

डा० केसकर : प्रति वर्ष दी जाने वाले भाषणमाला के लिये इतने पहले से कोई योजना नहीं बनाई जा सकती । यह प्रथम भाषण तो केवल उद्घाटन है । प्रति वर्ष किसी ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, वैज्ञानिक या साहित्यिक या अन्य व्यक्ति को आमंत्रित किये जाने का विचार है । उपयुक्त व्यक्तियों के नामों पर कालान्तर में विचार किया जायेगा ।

श्री जेठालाल जोशी : यह भाषण किस भाषा में दिये जायेंगे, और क्या प्रादेशिक भाषाओं को भी इससे कोई लाभ होगा ?

डा० केसकर : भाषा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । सामान्यतया अंग्रेजी और हिन्दी मुख्य भाषायें होंगी । ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि किसी प्रादेशिक भाषा में भाषण न दिया जाये ।

श्री एस० सी० सामन्त : यदि बाहर के व्यक्ति स्वेच्छा से इस विषय पर भाषण देने के लिये आवें तो क्या उन्हें अनुमति दी जायेगी ?

डा० केसकर : इसमें आवेदन-पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं । यह व्यक्ति ऐसे ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होंगे जिन्हें हम भाषण देने के लिये उपयुक्त समझते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आकाशवाणी

*३२१. **श्री डाभी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राक्कलन समिति के बारहवें प्रतिवेदन में आकाशवाणी के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गयी थीं उनमें से किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ।

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति (बारहवें प्रतिवेदन) की सिफारिशों की संख्या काफी है और सरकार उन पर सक्रिय विचार कर रही है । सरकार का विचार प्राक्कलन समिति के पास शीघ्रातिशीघ्र भेज दिया जायेगा ।

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

*३३३. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत अब तक आंध्र राज्य को कितनी राशि मंजूर हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यापार संस्थाओं को भी अनुदान दिया जा रहा है जिन्होंने इस योजना के बनने के बहुत पूर्व मकान बना लिये थे ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अनुदान किस आधार पर दिये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ५,७०,४६२ रुपये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

*३३६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १९५४ में उत्तर प्रदेश सरकार को कानपुर में म्युनिसिपल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के निमित्त १५ लाख रुपये का अग्रिम धन दिया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी नहीं । ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये राज्य के स्थानीय निकायों (केवल कानपुर को नहीं) को, उनके अल्प वेतन-भोगी कर्मचारियों के आवास बनाने के निमित्त १५ लाख रुपया निर्धारित किया गया है । जिसमें से वर्ष १९५४–५५ में, केवल ३ लाख रुपये अग्रिम धन के रूप में दिये गये ।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने ५ लाख रुपये, विकास बोर्ड, कानपुर को देने के लिये निर्धारित किये हैं जिसमें से वह निकट भविष्य में बोर्ड को एक लाख रुपये देना चाहते हैं ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

*३३९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा निश्चित समय पर जहाज न दे सकने के कारण जहाज मालिकों

को जो कठिनाइयां उठानी पड़ीं उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही को ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : शिपयार्ड की उत्पादन क्षमता में जो कि पहले २ जल पोत प्रति वर्ष थी मार्च १९५२ से जबकि सरकार ने इसे हाथ में लिया ५० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है । इस बढ़ी हुई क्षमता का प्रयोग साधारण जलपोतों से अधिक आधुनिक तथा जटिल डीजल इंजिन के उत्पादन में किया गया है । उत्पादन क्षमता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त औद्योगिक सेविवग की भर्ती के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । एक नई प्रनिर्मित समुद्र कुक्षि (खाड़ी) बर्थ और जैटी पर अतिरिक्त क्रेनें, हुलशाप में अतिरिक्त मशीनरी और क्रेनों, इत्यादि के निर्माण कार्य को हाथ में ले लिया गया है । ऐसी आशा है कि उपरोक्त निर्माण कार्यों में से कुछ १९५६ के आरम्भ में ही पूर्ण हो जाएंगे । इस निर्माण कार्य की पूर्ति जिसे कि एक वर्ष से अधिक समय लगेगा, के पश्चात् ही अत्यधिक उत्पादन की आशा की जा सकती है । इस आशय का एक समझौता जहाजी कम्पनियों से किया गया है कि वह शिपयार्ड को दिये गये आर्डर को वापस न लें और इसके लिए उन्हें कोई भी अग्रिम शोधन (अदायगी) करने की आवश्यकता नहीं जब तक कि उनके पोतों का निर्माण नहीं हो जाता और उन्हें दे नहीं दिये जाते । ४८ लाख रुपये की अग्रिम प्राप्ति जो कि एक कम्पनी से ली गई है वापस कर दी जाएगी ।

महानदी परियोजना

***३४१. श्री संगण्णा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री महानदी परियोजना में हुए व्यय के सम्बन्ध में ६ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १९९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वंशधरा परियोजना

***३५३. श्री संगण्णा :** क्या योजना मंत्री १६ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से आंध्र राज्य की वंशधरा परियोजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार का है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) श्रीमान्, अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गंदी बस्तियों की समाप्ति (मद्रास)

*३५५. { **श्री नानादास :**
श्री गोपाल राव : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने नगर की गंदी बस्तियों के सुधार के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों को गन्दी बस्तियों में कार्य करने के लिये कितनी और किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जाय, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि

*३५६. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दिल्ली स्थित प्रतिनिधि बेतार के तार के ट्रांसमीटर (संवाद-प्रेषक) का उपयोग करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस प्रयोजन के लिये अनुमति अथवा अनुज्ञप्ति ली है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयार्क के महासचिव के ध्यान में लाया जा चुका है ।

भारत स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

१४८. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में इस समय शिक्षा की क्या सुविधायें हैं ; और

(ख) क्या सरकार शक्ति के विधानतः हस्तांतरण के पश्चात् भी ये सुविधायें जारी रखना चाहती है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पांडिचेरी में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली १०४ प्रारम्भिक तथा ५ माध्यमिक पाठशालाओं के अलावा एक डाक्टरी स्कूल, एक विधि कालेज एक कला तथा शिल्प स्कूल हैं । इसके अलावा वहां ६१ गैर-सरकारी पाठशालायें हैं, जिनमें से ८५ को राज्य सरकार से सहायता अनुदान मिलता है ।

प्रारम्भिक पाठशालाओं के ४०३५ विद्यार्थियों को प्रारम्भिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा तथा मुफ्त मध्याह्न भोजन मिलता है । सरकार १६२ विद्यार्थियों को स्थानीय पाठशालाओं में अध्ययन के लिये तथा २० विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति देती है ।

(ख) यद्यपि इस मामले में कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है, किन्तु इन सुविधाओं के बन्द किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है ।

सड़क कूटने के इंजिन

१४९. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन एककों (कारखानों) के क्या नाम हैं जो कि सड़क कूटने के इंजिनों के बनाने में लगे हैं ;

(ख) वर्ष १९५२, १९५३ और १९५४ में कुल कितनी संख्या और कीमत के सड़क कूटने के इंजिन बने ; और

(ग) सड़क कूटने के इंजिनों की औसतन वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस समय कोई सार्थ सड़क कूटने के इंजिन बनाने का निर्माण नहीं कर रहा है । हाल ही में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्ज जैसप एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता को डीजिल के सड़क कूटने के इंजिनों के निर्माण की अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है ।

(ख)

वर्ष	निर्यात इंजिनों की संख्या	कीमत
		रुपये
१९५२	६७	२५,१२,०००
१९५३	६२	२३,२४,५००
१९५४	१	३७,५००

(ग) लगभग १२० से २०० सड़क कटने वाले इंजिनों की आवश्यकता होती है ।

शिमला का आकाशवाणी केन्द्र

१५०. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में आकाशवाणी केन्द्र खोलने में कुल कितना व्यय हुआ तथा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत इस केन्द्र का संचालन करने में अनुमानतः कितना मासिक व्यय होगा ;

(ख) इस स्टेशन के उद्घाटन समारोह पर कुल कितना व्यय हुआ ;

(ग) उन कलाकार तथा कलाकार समूहों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया ; और

(घ) इस स्टेशन को चलाने के लिए कुल कितने स्थायी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केतकर) : (क) शिमला स्टेशन को खोलने में हुए व्यय के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी इस परियोजना के लिये कुल २.११ लाख रुपये का व्यय मंजूर किया गया है ।

स्टेशन १६ जून, १९५५ से ही चालू हुआ है, इसलिये इस स्टेशन को चलाने में होने वाले व्यय का यथार्थ अनुमान बताना अभी समय से पहले की बात होगी । पहिले वर्ष परिवर्तन तथा समन्वय इत्यादि होते रहेंगे । तो भी चालू वित्तीय वर्ष के साढ़े ९ महीनों में, स्टेशन चलाने के लिये बजट में की गई व्यवस्था के अनुसार औसत मासिक व्यय नीचे लिखे विस्तृत विवरण के अनुसार कुल २६,३०० रुपये होगा :—

पदाधिकारियों का वेतन	१,५००	रुपये
संस्थानों का वेतन	९,०००	रुपये
भत्ते तथा मानदेय, इत्यादि	४,१००	रुपये
कलाकारों को भत्ते	५,३००	रुपये
अन्य व्यय	६,३००	रुपये
स्वामित्व	१००	रुपये
	२६,३००	रुपये

(ख) स्टेशन के उद्घाटन समारोह पर हुए व्यय के कुल आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अब तक किया गया कुल व्यय २,१९३ रुपये ११ आने है ।

(ग) कलाकार, अथवा कलाकार समूहों के नाम जिन्होंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया इस प्रकार हैं :—

१. श्रीमती सुशीला देवी और उनकी पार्टी (११ सदस्य)
२. श्री शोनिकिया और उनकी पार्टी (४ सदस्य)
३. श्री बालाराम
४. श्रीमती कान्ति देवी और उनकी पार्टी
५. कुमारी इंदु मेहता
६. श्री मोही राम और उनकी पार्टी (१४ सदस्य)
७. श्री मेताराम और उनकी पार्टी (६ सदस्य)
८. कुमारी कृष्णा देवी और उनकी पार्टी (३ सदस्य)
९. श्री विनय कुमार पंडित
१०. श्री नारायण दत्त और उनकी पार्टी (४ सदस्य)

११. श्रीमती शकुन्तला रानी और उनकी पार्टी

१२. श्री पूर्ण चन्द्र और उनकी पार्टी (२ सदस्य)

१३. श्री वी० जो० जोग

(घ) आज तक नियुक्त किये गये नियमित रूप से काम करने वालों का विवरण इस प्रकार है :—

सहायक स्टेशन डायरेक्टर (निदेशक)		१
सहायक स्टेशन	इंजीनियर	१
सहायक	इंजीनियर	१
कार्यक्रम	सहायक	२
टेकनिकल	सहायक	४
ट्रांसमिसन (संवाद-प्रेषण)	सहायक	१
लेखापाल		१
प्रधानलिपिक		१
स्टेनोग्राफर (शीघ्रलिपिक)		१
कार्यक्रम सचिव		१
लिपिक श्रेणी प्रथम		१
लिपिक श्रेणी द्वितीय		४
भंडार रक्षक		१
मिस्त्री		३
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी		१३

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में सड़क निर्माण

१५१. श्री कर्णी सिंहजी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षवार, राजस्थान के सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में कुल कितने मील सड़क बन कर निर्मित हुई; तथा

(ख) उन स्थानों के नाम जहां ये सड़कें निर्मित हुई हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]

राजस्थान में औद्योगिक विकास

१५२. श्री कर्णी सिंहजी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान की सरकार ने औद्योगिक विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) किन उद्योगों को इसमें से सहायता दी गई और वे उद्योग कहां कहां हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अनुदान तथा ऋण के रूप में पृथक् पृथक् कितनी राशि दी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ग). जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है ।

भाखड़ा परियोजनाओं में राजस्थान का अंश

१५३. श्री कर्णी सिंहजी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नंगल परियोजना के पुनरीक्षित व्यय में राजस्थान का अनुमानित अंश कितना है;

(ख) राजस्थान अपने अंश में से कितना व्यय कर चुका है;

(ग) क्या राजस्थान द्वारा व्यय की गई राशि में केन्द्रीय सरकार का अंशदान तथा ऋण इत्यादि भी सम्मिलित है, और यदि हां, तो कितना; और

(घ) बीकानेर विभाग को किस समय तक निरन्तर बहने वाला जल मिल सकेगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९५३ के प्राक्कलनों के अनुसार ३०,३४,९४,००० रुपये ।

(ख) मई १९५५ के अन्त तक २६,०१९ रुपये ।

(ग) जी हां, २१५.२० लाख रुपये।

(घ) १९५९ तक ।

अवैध आप्रवासी

१५४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मार्च, १९५५ से ३१ जुलाई, १९५५ तक अवैध आप्रवास अधिनियम के अन्तर्गत श्रीलंका में से कितने व्यक्तियों को निष्कासित करके भारत भेजा गया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १ मार्च, १९५५ से २३ जुलाई १९५५ तक श्रीलंका से भारत को निष्कासित व्यक्तियों की संख्या ६६२ है ।

श्रीलंका में भारतीय आप्रवासी मजदूर

१५५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें बताई गई हों कि :

(क) १९५४ में श्रीलंका में विभिन्न उद्योगों में नियोजित भारतीय आप्रवासी मजदूरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनकी सेवा की सामान्य स्थिति कैसी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९५३ के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में भारतीय मजदूरों की कुल संख्या ८,४०,४५८ थी । इन में से ४,४१,००२ व्यक्ति १९५४ में इन उद्योगों में नियोजित थे :—

१. चाय	३९१,६३४
२. रबड़ .	४४,८०९
३. नारियल	२,०४१
४. अन्य उत्पाद .	२,५१८

पत्तनों, मिलों, फैक्ट्रियों तथा अन्य औद्योगिक कार्यों में नियोजित भारतीय आप्रवासी मजदूरों की पृथक् जानकारी प्राप्त नहीं है । मजदूरों के बच्चों तथा वयस्क आश्रितों की, जो बेरोज़गार थे, संख्या ३३७,२६८ थी ।

(ख) उन की सेवा की स्थिति साधारणतः संतोषजनक बताई जाती है ।

कालकाजी स्थित हाई स्कूल की इमारत

१५६. **श्री राजवैया** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालकाजी में हाल ही में बनवाई गई हाई स्कूल की इमारत पिछले कई महीनों से खाली पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं । इस स्कूल की इमारत का निर्माण २०-५-५५ को पूरा हो गया था । ४-७-५५ को उसे दिल्ली राज्य सरकार के हाथों सौंप दिया गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विस्थापितों को बसाना

१५७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में अब तक कितने विस्थापितों को बसाया गया है; और

(ख) अभी और कितने विस्थापितों को बसाया जाना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

सिन्द्री उर्वरक कारखाना

१५८. **श्री इब्राहीम** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से

जून १९५५ तक सिन्द्री कारखाने में निर्मित कृत्रिम उर्वरकों का परिमाण कितना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : १,५४,१२१ टन अमोनियम सल्फेट ।

सूती मिलें

१५९. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय चलने वाली सूती मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) विदेशी पूंजी के विशेष विवरण सहित, इन मिलों में विनियोजित पूंजी कितनी है; और

(ग) दिसम्बर, १९५४ में इन मिलों में काम करने वाले अधिकारियों तथा मजदूरों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक ।

(ख) १९५३ के अन्त में इस मिल में कुल परिदत्त पूंजी ३·४० लाख रुपये थी । इसमें कोई विदेशी पूंजी नहीं लगी हुई है ।

(ग) **अधिकारियों तथा मजदूरों की संख्या** :—

प्रबन्ध सम्बन्धी .	४
अधीक्षण सम्बन्धी . .	६
सितम्बर १९५४ में सूची में दिखाये गये मज़दूर	७५०

विस्थापितों को भरण-पोषण भत्ता

१६०. **श्री इब्राहीम** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने वाले विस्थापितों की संख्या कितनी है;

(ख) यह योजना स्वीकार किये जाने के समय से लेकर अब तक दिये गये वार्षिक भत्ते की रक़म कितनी है; और

(ग) जिन लोगों का भत्ता रोक दिया गया है, उनकी संख्या कितनी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ३१५ ।

(ख) जून १९५५ तक लगभग १ करोड़ ३२ लाख रुपये ।

(ग) १६,९५३ ।

रेडियो सेट

१६१. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में भारत-निर्मित रेडियो सेटों की संख्या कितनी है;

(ख) भारत-निर्मित रेडियो के औसत उत्पादन व्यय और विक्रय मूल्य क्या हैं; और

(ग) १९५३–५४ और १९५४–५५ में जिन स्थानों में नई रेडियो फैक्ट्रियां स्थापित की गईं उनकी संख्या कितनी है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क)	१९५३–५४	५६,९१२ सेट
	१९५४–५५ .	५७,०७७ ,,

(ख) ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है । फिर भी रेडियो के ढांचे तथा अन्य प्राविधिक वस्तुओं की किस्म के अनुसार ५ बाल्व और ३ बैंड रेडियो सेट का औसत उत्पादन व्यय १५०) रुपये से २५०) रुपये तक माना गया है और तदनुसार विक्रय मूल्य २५०) रुपये से ३५०) रुपये तक है ।

(ग) एक, कलकत्ते के पास ।

कोयले का विनियंत्रण

१६२. **श्री पी० सी० बोस** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न स्तर के कोयले की खानों तथा उन में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : संभवतः माननीय सदस्य का संकेत बंगाल और बिहार क्षेत्र की द्वितीय और तृतीय स्तर के कोयले की खानों से है । ऐसी लगभग ३०० कोयला खानें हैं और उन में लगभग ६०,००० मजदूर सेवा नियोजित हैं ।

चाय

१६३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ और १९५३ की तुलना में, विदेशों मे भारतीय चाय से अर्जित तथा देशी बाजारों में कमायी गई कुल रकम पृथक्-पृथक् कितनी है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

	१९५२	१९५३	१९५४
	(रुपये हजार की संख्या में)		
निर्यात	८०९,१०४	१,०३०,९८८	१,३१२,८५६
देशी खपत	२६९,५६४	१७७,५८३	४२२,८४४

(देशी खपत के आंकड़े मोटे तौर पर दिये गये हैं)

विश्व की आर्थिक स्थिति

१६४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" ['उद्योग और व्यापार'] पत्रिका के "वर्ल्ड इकानोमी" ['विश्व की आर्थिक स्थिति'] नामक अध्याय में सोवियत रूस, चीनी गणराज्य तथा पूर्वी यूरोपीय प्रजातंत्रों की आर्थिक दशाओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है; और

(ख) क्या अन्य देशों सम्बन्धी सूचना भारत में प्राप्त साहित्य से एकत्र की गई है अथवा उन देशों की भारत स्थित व्यापार एजेन्सियों के साथ सम्पर्क बनाने से ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) यह अध्याय प्रमुख वित्तीय तथा आर्थिक पत्रिकाओं, भारत सरकार के व्यापार-दूतों के सामयिक प्रतिवेदनों तथा विदेशी सरकारों के भारत स्थित व्यापार दूतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर लिखा गया है ।

कुटीर उद्योग

१६५. **श्री हेम राज :**
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने १९५५--५६ में ग्राम क्षेत्रों में निम्नलिखित कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कोई योजनायें भेजी हैं :—

(१) खादी विकास,
(२) हाथ से धान कूटना,
(३) गुड़ और खांडसारी,
(४) मधुमक्खी पालन,
(५) हाथ से बना कागज,
(६) गांव का चमड़ा उद्योग,
(७) अखाद्य तेलों से साबुन बनाना.
(८) हाथ से दियासलाई बनाना,
(९) गांव का तेल उद्योग,
(१०) ताड़ गुड़ उद्योग,

(११) हथकरघा उद्योग, और
(१२) हस्तशिल्प; और

(ख) उन्हें राज-सहायता अथवा ऋण के रूप में कितनी रक़म दी गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) पंजाब तथा पेप्सू राज्य सरकारों से १९५५–५६ के लिये इन कुटीर उद्योगों की योजनायें प्राप्त हुई हैं :—

पंजाब ग्रामोद्योग

(१) हाथ से धान कूटना
(२) तेल निकालना
(३) मधुमक्खी पालन
(४) चमड़ा
(५) गुड़ और खांडसारी; और
(६) अखाद्य तेलों से साबुन बनाना ।

हस्तशिल्प

इन के संस्थापन की योजनायें मिली हैं :—

(१) लकड़ी अभिसाधन संयंत्र,
(२) लकड़ी पर रन्दा करने का संयंत्र,
(३) लकड़ी पर कारीगरी करने का केन्द्र
(४) जेकर्ड करघों को आर्थिक सहायता देना, और
(५) मिट्टी के सुन्दर बर्तनों का केन्द्र ।

पेप्सू ग्रामोद्योग

(१) हाथ से बना कागज,
(२) तेल निकालना,
(३) मधुमक्खी पालन,
(४) चमड़ा,
(५) गुड़ और खांडसारी; और
(६) अखाद्य तेलों से साबुन बनाना ।

अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई योजना नहीं आई है ।

हथकरघा उद्योग सम्बन्धी योजना आई है या नहीं, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है । वह यथा-समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) इन योजनाओं की जांच की जा रही है ।

भारतीय फिल्में

१६६. **श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५२ से ३१ मार्च, १९५५ तक, प्रत्येक देश के पृथक् आंकड़ों सहित, उन फिल्मों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जो विदेशों में प्रदर्शन के लिये विदाचकों द्वारा रोक दी गई या बीच बीच में काट दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

लोहा और इस्पात मंत्रालय

१६७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके इस मंत्रालय के निर्माण के साथ और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक सेक्शन आफिसर (उपविभाग अधिकारी) और २ क्लर्क (लिपिक) ।

(ख) अभी तक लगभग ५५०) रुपये प्रति मास ।

लोक-सभा

मंगलवार,
२ अगस्त, १९५५

वाद - विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

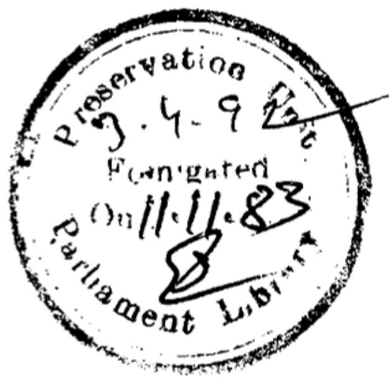

दशम सत्र, १९५५

(खंड [redacted] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश–चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

स्तंम्भ

वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प--
असमाप्त ४६८–५१०

अंक ६--सोमवार, १ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र--
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश ५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना . ५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) आध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . . ५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति ५१२
समिति के लिये निर्वाचन--
लोक लेखा समिति ५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२--
वापस लिया गया ५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५--
पुरःस्थापित . . . .
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . . ५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . . ५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक-- ५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत
खंड २ से १४ तथा १ ५३६–५६६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव--पारित ५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . . ५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--
स्वीकृत . ६००–६०२

अंक ७--मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव--
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . . ६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग ६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य ६०६–६०९

स्तम्भ

उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . . ६०६–६१२

दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६१२–६१७

खण्ड २ से ६ और १ ६३७

संशोधित रूप में पारित . ६३७–६३८, ६६१

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य ६८७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६८७

पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य ६८८–६८९

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . ६८९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधेयक—पुरःस्थापित . ६८९–६९०

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ६९०–७६०

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य ७६१–७६३

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित ७६३

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण ७६३

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)

विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया ७६३–८१८

श्री पाटस्कर ७६३–८१७

दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ८१९–८५१

खण्ड २ से २२ और १ ८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१–८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४–८९६
अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७–९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६ और १	९००–९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१–९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	९०५–९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६–९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१–९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)—पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२–९४३, ९५८–९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३–९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७–९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक-.	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	९८०
अंक ११--सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र--	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति-- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२--मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३--बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	११३८–१२१०

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुरःस्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

लोक-सभा

मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग)

१२ बजे मध्यान्ह

स्थगन प्रस्ताव

पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एन० नान्देडकर पर पुर्तगाली पुलिस द्वारा किये गये आमानुषिक अत्याचार के प्रश्न पर मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना मिली है।

इस सम्बन्ध में सभी दल एकमत हैं कि गोआ का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल में प्रधान मंत्री इस विषय पर एक वक्तव्य दे चुके हैं और सभा में वाद-विवाद भी हो चुका है। ऐसी अवस्था में एक एक घटना पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना मैं उचित नहीं समझता।

ऐसी विशेष घटनाओं के सम्बन्ध में सब से अच्छा उपाय यह है कि प्रधान मंत्री से पत्र-व्यवहार किया जाय। वह सभी संभव जानकारी देंगे। फिर ऐसे मामलों में जब तक तथ्यों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त न कर ली जाय केवल तार या समाचारपत्रों की खबरों पर

निर्भर रहना उचित नहीं। अतः मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना उचित नहीं समझता।

संसद भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग

अध्यक्ष महोदय : मुझे हिन्दी में एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना इन शब्दों में प्राप्त हुई है कि दि० १ अगस्त, १९५५ को दोपहर को १२ बजे दिन संसद भवन की सीमा में अहिंसक सत्याग्रहियों पर आरक्षकों द्वारा अत्याचार किये गये। क्या श्री देशपांडे यह बतायेंगे कि क्या अत्याचार किये गये ?

श्री बी० जी० देशपांडे (गुना) : अत्याचार का अर्थ है कि शान्तिपूर्ण और अहिंसक सत्यग्रहियों पर पुलिस ने लाठी चलाई और उन के साथ दुर्व्यवहार किया।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देना चाहता, पर मैं माननीय मंत्री से इस विषय में कुछ तथ्य जानना चाहता हूं ताकि लोगों को यह गलतफहमी न रहे कि कोई अत्याचार किया गया था।

गृह-कार्य मंत्री (**पंडित जी० बी० पन्त**) : मुझे बहुत दुःख है कि श्री देशपांडे ने एक ऐसे स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना देना समुचित समझा। मैं समझता हूं कि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। जहां तक मुझे पता है श्री देशपांडे ने जो कुछ भी बताया वह बिल्कुल गलत है। पुलिस ने न तो कोई दुर्व्यवहार किया न लाठी चलाई। बल्कि इसके विपरीत प्रदर्शनकारियों ने दुर्व्यवहार किया और उन्हों ने

[पंडित जी० बी० पन्त]

अपने झंडों के डंडों से पुलिस पर आक्रमण किया। इस प्रकार यदि कोई अत्याचार किया गया तो उन उपद्रवकारियों द्वारा जो या तो प्रदर्शनकारियों के साथ सम्मिलित हुए थे या वे सभी जिन्हों ने प्रदर्शन किया था ।

पर, इस समस्या का एक गम्भीर पहलू भी है । इन लोगों की वीरता एक महिला को भी अपने साथ लाने और गाय जैसे पशु की सहायता लेने में है। इस का प्रयोग भूतकाल में अत्याचारियों से रक्षा पाने के लिये भी किया गया था । मुझे बताया गया कि १५ व्यक्ति थे । वह नियम को भंग करना चाहते थे और पुलिस द्वारा अनुनय के साथ रोकने पर भी वह नहीं रुके और बाद में गिरफ्तार किये गये । इस पर भी पुलिस ने धैर्य नहीं छोड़ा और बड़ी सहनशीलता के साथ संसद की सीमा में प्रदर्शित ऐसे अनुचित और असभ्य दृश्य को संभाला ।

मैं समझता हूं कि यह सभा के अपमान का प्रश्न है और मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पहलू पर भी विचार करें कि क्या लोगों को वैध रूप से प्रख्यापित उन आदेशों का उल्लंघन करना चाहिये जो इस देश की सर्व प्रभुत्व सम्पन्न शक्ति के शान्तिपूर्ण और सुचारु-कार्य-संचालन के लिये बनाये गये हैं और क्या उन लोगों का यह व्यवहार संसद के लिये अपमानजनक नहीं है । इस प्रश्न पर कभी-न-कभी विचार करना ही होगा।

मुझे और कुछ नहीं कहना है । इन मामलों को शायद न्यायालय में ले जाना पड़ेगा । पुलिस के कुछ सिपाहियों को भी चोटें आई हैं । मुझे बहुत दुःख है कि प्रपंची व्यक्ति जो न गाय का सम्मान करते हैं और न उस की रक्षा करते हैं बल्कि अशान्ति और कठिनाइयां पैदा करते रहते हैं निर्दोष लोगों को इस प्रकार छलते हैं । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वह ठीक व्यवहार करेंगे ।

श्री वी० जी० देशपांडे : चूंकि गृह-कार्य मंत्री ने बताया है कि यह मामला संसद से संबंधित है अतः मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में स्वयं एक जांच करें क्योंकि मैं ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस के लोग सत्याग्रहियों को मार रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को माननीय मंत्री की बातों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि उन्हें कुछ शिकायत हो तो वह मेरे कक्ष में आ कर मुझ से कहें ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोट्टै) : पर एक बात की ओर तो सभा का ध्यान आकर्षित होगा । आज एक समाचार पत्र में एक चित्र छपा है जिस में पुलिस एक सत्याग्रही को हाथ और पैर से पकड़ कर जमीन पर घसीट रही है । यह चित्र स्वयं एक प्रमाण है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें विवरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । अब हम अगले विषय पर विचार करेंगे ।

एयर इंडिया इंटरनेशनल के विमान का दक्षिण चीन सागर में गिरना

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १४ अप्रैल को माननीय संचार मंत्री ने एयर इंडिया इंटरनेशनल के विमान "काश्मीर प्रिंसेस" के ११ अप्रैल को उस समय दक्षिण चीन सागर में जब वह हांग कांग से जकार्ता तक एक शासित उड़ान पर जा रहा था और चीनी और वियतनामी अधिकारियों और पत्रकारों को बांडुंग सम्मेलन को ले जा रहा था, दुर्भाग्यपूर्ण पतन के बारे में उस समय तक उपलब्ध समाचारों पर आधारित एक वक्तव्य दिया था ।

बाद में हुई बातें समाचार-पत्रों में विस्तार से छप चुकी हैं और यहां पर उन का सविवरण सिंहावलोकन करना मेरे लिये आवश्यक नहीं है। चूंकि दुर्घटना ग्रेट नेतुना द्वीप समूह के पास इंडोनेशिया के प्रादेशिक समुद्र में हुई थी। इसलिये इंडोनेशिया सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उडडयन संघ के अभिसमय के अनुसार दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये एकजांच समिति नियुक्त की थी। समिति में इण्डोनेशिया के संचार मंत्रालय के पदाधिकारी और भारत और संयुक्त राजतन्त्र (इंग्लड) सरकारों के मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि थे। समिति में उपमहानिदेशक, असैनिक उडडयन श्री के० एम० राहा, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में थे।

समिति न अपनी जांच पूरी कर ली है। प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। पर इंडोनेशिया सरकार ने भारत, इंडोनेशिया, इंग्लैंड और हांगकांग में साथ-साथ प्रकाशित होने के लिये २७ मई को उस का एक सारांश निकाल दिया था। सदस्यों ने इस सारांश को समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। मैं उस की एक प्रति सभापटल पर रख रहा हूं।

इंडोनेशिया की जांच समिति इस संशयरहित नतीजे पर पहुंची है कि दुर्घटना विमान के स्टारबोर्ड चक्रकूप (ह्वीलैवल) में रखे गये समय पर चलने वाले गुप्त विस्फोटक यंत्र (इनफर्नल मशीन) के कारण हुई थी। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण विमान के चालकों में से बचे हुए लोगों के इस संदेह की थी चलते-चलते पुष्टि कर देती है कि दुर्घाटना तोड़-फोड़ के लिये रखे गये टाइम बम के कारण हुई थी। विमान में गुप्त-विस्फोटक यंत्र को किसने रखा था और वह कहां रखा गया था, ये प्रश्न जांच समिति की जांच की क्षेत्र के बाहर थे। फिर भी चूंकि विमान पिछली बार हांग कांग में ही उतरा था और विमान में टाइम-बम को विस्फोटक से सीमित समय पूर्व ही रखा जा सकता था, इस लिये इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि वह विमान में हांगकांग में ही रखा जा सकता था। इस अपराध के लिय उत्तरदायी व्यक्तियों का निर्णय करने के लिये हांगकांग के अधिकारी एक पृथक जांच कर रहे हैं। चीन सरकार ने षडयंत्र के बारे में कुछ निश्चित जानकारी एकत्र की है और उन्हों ने वह हांगकांग सरकार को द दी है। कई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। पर जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

जांच समिति की रिपोर्ट बताती है कि दुर्घटना के पहले के गंभीर क्षेत्रों में भी "काश्मीर प्रिंसेस" के चालकों ने अपना कर्त्तव्य शान्ति और सक्षमतापूर्वक निबाहा था। वमान के चालकों द्वारा विशेषतः कैप्टन जतार और एयर होस्टेस मिस बरी द्वारा दिखाये गये अदभुत साहस और आत्म-बलिदान के लिय राष्ट्रपति ने कैप्टन जतार को अशोक चक्र वर्ग १ और एयर होस्टस को अशोक चक्र वर्ग २ मरणोत्तर प्रदान किया है। सहचालक-कैप्टेन दीक्षित को अशोक चक्र वर्ग २ और अन्य चालकों को अशोक चक्र ३ प्रदान किया गया है।

मैं इस अवसर पर चालक-वर्ग के स्वर्गीय और जीवित बचे हुए सदस्यों द्वारा सामने आये हुए संकट के समय प्रदर्शित वीरता के लिये उन की प्रशंसा करना चाहता हूं। एयर इंडिया इंटरनेशनल ने मृत व्यक्तियों उत्तराधिकारियों और चालक वर्ग के तीन बचे हुए सदस्यों को उदारतापूर्वक क्षत्तिपूर्ति प्रदान की है।

भारत सरकार इंडोनेशिया की सरकार को उस के द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सावधानी-पूर्वक की गई जांच और इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से सम्बन्धित सभी बातों में दिये गय सहयोग के लिये धन्यवाद देती है। हम इंडोनेशिया की नौसना और ब्रिटिश नौ सैना के द्वारा की गई समुद्धार संबंधी सफल कार्य-वाहियों के लिय उन के प्रति भी कृतज्ञता

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रकट करते हैं, जिन के फलस्वरूप विमान के अधिकांश ध्वंसावशेष प्राप्त हो गये थे ।

हमें आशा है कि हांगकांग की जांच शीघ्र ही सफल होगी और इस भयानक अपराध के लिय उत्तरदायी व्यक्ति शीघ्र ही पकड़े जायंगे और उन्हें दण्ड दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): मैं उत्तर प्रदेश में बाढ़ के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २३]**

आप की अनुमति से क्या मैं ताजे समाचारों और स्वयं किये गये सर्वेक्षण पर आधारित कुछ बातें और बता सकता हूं ?

उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिलों में गम्भीर बाढ़ के समाचार प्राप्त होने पर मैं ने तुरन्त ही पीड़ित क्षेत्रों का हवाई जहाज से स्वयं निरीक्षण किया और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री से उस परिस्थिति के बारे में बातचीत की ।

पिछले वर्षों में साधारणतः राप्ती और घाघरा नदियों में बाढ़ आती ही है, जो उत्तर प्रदेश की 'समस्या' वाली नदियां हैं। इस बार भीषण बाढ़ राप्ती और घाघरा के कारण नहीं आयी है, बल्कि दो अन्य छोटी नदियों टौंस और गौमती के कारण आयी हैं, जिन्हों ने बहुत समय से अपनी संहार-क्षमता का कोई परिचय नहीं दिया था । उत्तर प्रदेश सरकार के कथनानुसार इन नदियों में हाल में इतनी बाढ़ कभी नहीं आयी थी । टौंस पर आजमगढ़ में और गौमती में जौनपुर पर १८७१ में अर्थात् ८४ वर्ष पहले जितनी बाढ़ नापी गयी थी, इस वर्ष उससे भी ज्यादा बाढ़ आई है ।

यद्यपि उत्तर प्रचेश में बाढ़ प्राय : आती ही रहती है, पर इस वर्ष का अनुभव बिल्कुल असामान्य प्रकार का है । टौंस है और गौमती छोटी छोटी नदियां हैं, जो उत्तर प्रदेश के मैदानों से ही निकलती हैं। इन नदियों के कछार क्षेत्र में २३ जलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह में चार दिनों में बहुत ही अधिक वर्षा—१८ इंच से २४ इंच तक--हुई । यह जुलाई मास की पूरी सामान्य वर्षा से तीन चार गुनी थी। जौनपुर के पास मरिया में एक ही दिन में १४.८ इंच पानी गिरा । बड़ी नदियों की भांति इन नदियों के लिय इस थोड़े से समय में हुई वर्षा की इतनी भारी मात्रा को बहा ले जाना संभव न था । अतः पानी किनारों से ऊपर चढ़ गया और उस ने बहुत अधिक क्षेत्र को डुबा दिया । निश्चय ही यह पानी के तुरन्त और पर्याप्त निकास की कमी के ही कारण हुआ है ।

इन नदियों की बाढ़ से पीड़ित शहरों में अकबरपुर और आजमगढ़ हैं । आजमगढ़ में कई वर्ष पहले बांधा गया सुरक्षा बांध फट गया । बताया जाता है कि आजमगढ़ और गाजीपुर के बीच में एक बड़ा पुल ३० जुलाई को टूट गया और सड़क इस प्रकार टूट जाने से निम्नतर क्षेत्रों में अस्थायी बाढ़ आ गयी। गोमती घाटी में सुल्तानपुर और जौनपुर शहरों को भारी क्षति पहुंची है । भारी और निरन्तर वर्षा के कारण इलाहबाद और रायबरेली के जिलों में बहुत बड़े क्षेत्र में पानी रुक गया । बस्ती और गोरखपुर के जिलों में भी विस्तृत क्षेत्र डूब गये । नेपाल क्षेत्र में गंडक से राप्ती में जान वाली एक अतिरिक्त जल-निकास (स्पिल) ने गोरखपुर से छः मील नीचे पुराने मलोनी बांध को तोड़ दिया, जिस के फलस्वरूप कुछ गांव और गोरखपुर के निचले भाग डूब गय ।

इस बाढ़ द्वारा हुई क्षति का ठीक-ठीक निर्धारण इस समय संभव नहीं है, पर यह स्पष्ट है एक विशाल क्षेत्र में फसलों को भारी हानि पहुंची है और लाखों व्यक्ति बेघर हो गये हैं ।

यद्यपि थोड़े से समय में हुई अत्यधिक स्थानीय वर्षा से होने वाले खतरे से पूरी-पूरी सुरक्षा तो सहज में प्राप्त नहीं हो सकती पर हम उस क्षेत्र के जलनिकास में सुधार कर के इस खतरे को और उस से होने वाली हानि को न्यूनतम कर सकते हैं। इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण कदम यह है कि उन बाधक वस्तुओं को हटा दिया जाये, जो पानी के निर्बाध प्रवाह को रोकती हैं। विद्यमान शहरों की घेरे वाले बांधों से रक्षा की जा सकती है । नीचाई ऊंचाई के सर्वेक्षण के आधार पर गांवों को ऊंचे स्थान पर बसाना और शहरों का उचित आयोजन भी आवश्यक है । इन बातों के लिये सर्वेक्षण और जांच पड़ताल आवश्यक होगी । यह कार्य शीघ्र किया जाये । इस के लिये निदेश निकाल दिये गये हैं ।

बाढ़ पीड़ित लोगों को निकालने और उन्हें सहायता देने में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता से काम लिया है, उस से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ । आवश्यकतानुसार सहायता और शरण देने के लिये उस के अधिकारियों को पूरे क्षेत्र शक्ति-साधन प्रदान कर दिये गये हैं ।

जल सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठा करने में जो प्रगति हीनता रही है, उसे पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाये हैं। आरम्भिक सर्वेक्षण और भू-सर्वेक्षण और राप्ती और घाघरा के प्रदेशों को समतल करने की कार्यवाहियां साथ-साथ चल रही हैं । घाघरा के एक तिहाई भाग का सर्वेक्षण हो चुका है और उत्तर प्रदेश के आठ पूर्वी जिलों में २४०० वर्ग मील के क्षेत्र में जमीन को समतल किया गया है । बांधों की श्रृंखला निर्धारित करने के लिये ४५० मील के क्षेत्र में जमीन को समतल किया गया है । ४४०० वर्गमील क्षेत्र की हवाई फोटो ली जा चुकी है और प्रायः, एक तिहाई क्षेत्र के चल-चित्र (फोटो मौजेक) तैयार हैं। मापन और निकास के लिये पूर्वी यू० पी० के विद्यमान ३० स्थानों की जगह पर अब ४० केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस क्षेत्र में ४४ नये वर्षामापक केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है । राप्ती पर एक उपयुक्त भंडार बनाने के हेतु स्थान चुनने के लिये जांच चल रही है ।

यू० पी० राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा अब तक ४.५ करोड़ रुपये की लागत की योजनायें मंजूर की गयी हैं । १९५४–५५ में लगभग ३ करोड़ रुपये की लागत के २१ निर्माण कार्यों को शुरू किया गया था । इन निर्माण कार्यों का संबंध, जिन पर संतोषजनक प्रगति हो चुकी है, उपरांत बांध बनाने, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांवों का स्तल ऊंचा करने और रैवेटमेंट, स्पर आदि जैसे संरक्षणात्मक निर्माण कार्यों से है । पिछली ऋतु में गंडक पर बनाये गये चितौनी बांध ने लगभग १.५ लाख एकड़ जमीन को डूबने से बचाया है, यद्यपि इस वर्ष गंडक में ५.६ लाख क्युसेक्स की मात्रा में बाढ़ आई है । गांवों के स्थलों को ऊंचा करने से लगभग ६०० गांवों को प्रभावी संरक्षण मिला है ।

मैं यह भी बता दूं कि मैं बिहार, बंगाल और आसाम में बाढ़ की स्थिति के बारे में अगले कुछ दिनों में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मैं प्रस्ताव करती हूं

"कि दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) अधिनियम १९२६

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

में कतिपय प्रयोजनों के लिये अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड अधिनियम, १९२६ के अधीन दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड, दिल्ली की विभिन्न स्थानीय संस्थाओं को फिल्टर किया हुआ पानी इकट्ठा ही दे देता है और उन से संभरण की वास्तविक लागत को ले लेता है । केवल दिल्ली नगरपालिका समिति के साथ अधिनियम की धारा १२, उपधारा (१) के अधीन विशेष शर्त रखी गई है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दिल्ली नगर पालिका समिति को कम से कम १४६ करोड़ गैलन पानी के लिये या निर्गम दर से वास्तविक संभरण का या तीन आने प्रति गैलन की दर से, जो भी कम हो, भुगतान करना होता है । दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड अधिनियम की धारा १२, उपधारा (१) के परन्तुक के अधीन यदि अन्तिम निर्गम दर से जोड़ी गई राशि तीन आने प्रति हजार गैलन की दर से जोड़ी गई राशि से अधिक हो तो, उस अधिक राशि के भुगतान के लिये केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी बना दिया गया है । १९४८-४९ तक अन्तिम-निर्गम-दर तीन आने प्रति हजार से अधिक नहीं हुई पर तब से दर बढ़ गई है और दर में यह वृद्धि हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष बहुत अधिक राशि देनी पड़ रही है । दर में वृद्धि वस्तुओं की लागत बढ़ जाने और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को अधिक वेतन दिये जाने के कारण हुई है । यह बात उचित नहीं मालूम पड़ती कि केवल दिल्ली नगरपालिका समिति के ही बारे में सरकार इस प्रकार का एक अनिश्चित और आवर्ती दायित्व संभाले और वह भी तब जब कि अन्य स्थानीय संस्थायें दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड को पूरी देय राशि चुकाती हैं । प्रस्तुत विधेयक अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (१) के उस परन्तुक को हटा कर भारत सरकार को, इस दायित्व से मुक्त करना चाहता है ।

अधिनियम में एक और प्रयोजन से संशोधन करना है । नाली व्यवस्था का निःसृत जल बोर्ड द्वारा बहुत से व्यक्तियों की कुछ दरों पर दिया जाता है । हाल के वर्षों में इन में से कई व्यक्तियों ने बोर्ड को देय राशि नहीं चुकाई है । ऐसे व्यक्तियों से बोर्ड की राशि वसूल करने में सुविधा देने के लिये उन राशियों को लगान की बकाया की भांति वसूली के योग्य बना दिया जाना चाहिये ।

अतः प्रस्तावित विधान दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड अधिनियम १९२६ में निम्न दो संशोधन करना चाहता है : (१) धारा १२ की उपधारा (१) के परन्तुक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का जो दायित्व है, उसे समाप्त कर दिया जाय, और (२) स्थानीय संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से बोर्ड को प्राप्य राशियों के बकाये लगान के बकायों के रूप में वसूल किये जा सकें।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : इस विधेयक का उद्देश्य बड़ा ही सीमित है क्योंकि इस के द्वारा १९२६ के उस समझौते में परिवर्तन किया जा रहा है जिस से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली नगरपालिका समिति को दिये जाने वाले धन का कुछ अंश दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड को दिया जाता था । अब सरकार १९२६ के अधिनियम की धारा १२, १३ तथा १४ के परन्तुकों को हटाना चाहती है । सरकार का यह तर्क है कि अनिश्चित समय के लिये सरकार को यह दायित्व नहीं लेना चाहिये, दूसरे उसका

कहना है कि दिल्ली नगरपालिका समिति को ही अधिक महत्व क्यों दिया जाये। यदि हम इस पर इन दोनों दृष्टिकोणों से विचार करें तो हमें यह दोनों तथ्य ठीक दिखाई देते हैं, परन्तु दिल्ली राज्य तथा दिल्ली नगरपालिका के परस्पर सम्बन्ध के इतिहास पर दृष्टि डालने से एक दूसरा ही स्वरूप सामने आता है। १९२४ तक नगरपालिका तथा वाटर वर्क्स संयुक्त रूप से भली प्रकार कार्य करते रहे परन्तु दिल्ली के राजधानी बन जाने पर तथा इस के बढ़ने पर सरकार ने वाटर वर्क्स बढ़ाना चाहा जिस के परिणामस्वरूप जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड की स्थापना हुई। तथा १९२६ का अधिनियम बनाया गया। दिल्ली नगरपालिका तथा सरकार के बीच यह समझौता हुआ था कि यदि दर प्रति १००० गैलन पर ३ आने से अधिक बढ़ जायगा तो अधिक व्यय का भुगतान केन्द्रीय सरकार करेगी। इस से यह साफ पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार को यह धन जल तथा नाली-व्यवस्था बोर्ड को देना ही है।

इस के अतिरिक्त दिल्ली नगरपालिका का यह विचार कि उत्पादन लागत बढ़ जायेगी ठीक ही निकला है जबकि इस को कम होना चाहिये था तथा तब से यह लगातार बढ़ ही रहा है। दिल्ली नगरपालिका द्वारा बताये आंकड़ों से ज्ञात होता है कि १९३८ में उत्पादन लागत १.९५ आने थी तथा १९४८-४९ में यह ३.४८ आने हो गई। तभी से केन्द्रीय सरकार ने इस उत्तरदायित्व से बचने की सोची १९५१ में इस अधिनियम में संशोधन करनेके लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया गया परन्तु दिल्ली नगरपालिका के विरोध के कारण उस को वापस ले लिया गया।

सरकार का दूसरा तर्क यह है कि जब अन्य स्थानीय संस्थायें अपना अंश दे रही हैं तो दिल्ली नगरपालिका के प्रति वरीयता का व्यवहार क्यों किया जाये। परन्तु दिल्ली नगरपालिका तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं में यह अन्तर है कि वाटर वर्क्स का प्रारम्भ दिल्ली नगरपालिका ने ही किया था। दूसरे केन्द्रीय सरकार ने जितनी सुविधायें अन्य संस्थाओं को दी हुई हैं उतनी दिल्ली नगरपालिका को नहीं मिली हुई हैं, जैसे नई दिल्ली नगरपालिका को विद्युत् वितरण की अनुज्ञप्ति मिली हुई है तथा दिल्ली नगरपालिका को यह अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है। नई-दिल्ली के स्कूलों को ७५ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तथा पुरानी दिल्ली के स्कूलों को २८ प्रतिशत। नोटिफाइड ऐरिया कमेटी के साथ भी दिल्ली नगरपालिका की अपेक्षा उत्तम व्यवहार होता है। इस प्रकार पुरानी दिल्ली नगरपालिका तथा अन्य संस्थाओं में बहुत अन्तर है।

हमें दिल्ली नगरपालिका के कार्य पर दृष्टिपात करना चाहिये। दिल्ली में गरीब जनता रहती है तथा वह शहर के नल से पानी लेती है जिस का वह कुछ नहीं देती। इस प्रकार दिल्ली नगरपालिका को नकसान रहता है। दिल्ली में एक लाख मकान हैं तथा केवल ४०,००० मकानों में पानी के नल लगे हुए हैं। इन ४०,००० मकानों में से भी केवल २५,००० मकानों में पानी के मीटर लगे हैं।

सारी दिल्ली में जितनी दुग्धशालायें हैं वह सभी साफ छना पानी सड़क के नलों से ला कर, काम में लाती हैं इस प्रकार पानी का दुरुपयोग होता है। साथ ही यहां के निवासी भी अपने सभी कामों में साफ छने पानी को काम में लाते हैं। दिल्ली की सभी सड़कों आदि का सुधार आवश्यक है। नगरपालिका की १९४३–४४ में आय ४२.४१ लाख रुपये की तथा अब १७५ लाख रुपये है। परन्तु फिर भी निधि की कमी है और कर बढ़ाने की मांग भी ठुकरा दी है।

अब दिल्ली के प्रशासन की ओर आइये। इस में कितनी ही स्थानीय संस्थायें स्वतन्त्र

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

रूप से कार्य कर रही हैं, जिस के कारण जनता की ठीक सेवा नहीं हो पाती है। जनता करों के द्वारा पिस रही है तथा इन संस्थाओं में आपसी मतभेद है ।

इसलिये मेरा विचार है कि हमें इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व समस्त दिल्ली के चित्र पर पूर्णरूप से दृष्टिपात करना चाहिये और देखना चाहिये कि सारी संस्थाओं का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाये तथा जनता पर किस प्रकार कर लगाये जायें ।

यह भी चर्चा है कि दिल्ली नगरपालिका एक निगम बनाने जा रही है अतः हम तब तक प्रतीक्षा भी कर सकते थे । मेरा विचार है कि सरकार को यह धन दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड को अवश्य देना चाहिये । तथा निगम बनने की प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि आप दिल्ली को सुन्दर नगर बनाना चाहते हैं तो आप को दिल्ली नगरपालिक की सहायता अवश्य करनी पड़ेगी जिस से कि वह अपना कार्य सुचारु रूप से चला सके । मुझे डर है कि यदि सड़क के नलों को कम कर दिया गया तो जनता की परेशानी बढ़ जायेगी। इसलिय मेरा सुझाव है कि हमें निगम की स्थापना तक तो अवश्य ही प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती (बसिरहाट) : यह विधेयक बड़ा ही सीधा सा प्रतीत होता है परन्तु हमें राज्य पर जनता के स्वास्थ्य के सुधार का दायित्व होने के आधार पर इस पर विचार करना चाहिये । मुझे स्मरण है कि इस वर्ष स्वास्थ्य आय-व्ययक पर चर्चा के समय पीने के पानी की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा हुई थी तथा राजकुमारी जी ने बताया भी था कि सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कर रही है, तथा यदि सरकार अपनी उसी नीति को कार्यान्वित करना चाहती है तो मेरे विचार से यह विधेयक उस विचार के एकदम विपरीत है । बड़े बड़े नगरों में पानी की कठिनाई होती ही है । जैसे मेरे अपने नगर में यह बड़ी ही भारी समस्या है । इस विधेयक के सम्बन्ध में, मैं केवल यह बता देना चाहती हूं कि सरकार को नगरपालिकाओं की सहायता अवश्य करनी चाहिये जिस से कि नागरिकों को कम से कम मूल्य पर अच्छा पानी मिल सके ।

जहां तक करारोपण का प्रश्न है मेरे विचार से करों के बढ़ जाने से जनता की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है तथा हमारी यह योजना है कि जनता की क्रय शक्ति बढ़े । दिल्ली नगरपालिका के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि उसने करों की दरें कितनी ही अधिक बढ़ा दी हैं । पानी की दर १९४४ में पांच आने की तथा १९४६ में इसे बढ़ा कर आठ आने कर दिया गया । नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली की पानी की दरों में कोई अन्तर नहीं है जब कि हम जानते हैं कि दोनों के व्ययों में कितना अन्तर है तथा उन के आंकड़ों के अनुसार १९४३–४४ में प्रत्येक व्यक्ति ५ रुपये २ आने ३ पाई कर देता था परन्तु १९५३–५४ में ११ रुपये १० आने ८ पाई देता है ।

सामान्यतः पड़ौसी राज्यों की नगरपालिकाओं को आधी धनराशि अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा आधी ऋण के रूप में । यदि यहां भी यही व्यवस्था अपनाई जाये तो मुझे विश्वास है कि दर तीन आना प्रति लाख गैलन कम हो जायेंगे । मेरे विचार से माननीया उपमन्त्री ने विधेयक को प्रस्तुत करते समय कहा था कि कर्मचारियों को अधिक वेतन देने के कारण दरों को बढ़ाना पड़ा है । परन्तु यदि आधा अनुदान दे कर तथा आधा ऋणरूप में दे कर हम कर्मचारियों को इस से अधिक वेतन भी दे सकते

थे तथा पानी की दर भी तीन आना प्रति लाख गैलन से अधिक नहीं बढ़ते ।

कुछ दिन पूर्व शिमले में स्वायत्त शासन सम्मेलन हुआ था जिस की सभानेत्री श्रीमती, राजकुमारी जी थीं । उस में एक संकल्प पारित हुआ था जिस के अनुसार कार्य पूंजी व्यय के आधार पर किया जाना चाहिये था । यदि राजकुमारी जी का यही विचार है तो इस प्रकार के संकल्पों पर भी हमें विचार अवश्य करना चाहिये । इस समय इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये जबकि दिल्ली नगरपालिका जल कर बढ़ा रही हो ।

उस के अधिक व्यय दिखाने का एक कारण यह भी है कि नई दिल्ली का विकास दिन प्रति दिन अधिक होता जा रहा है । तथा पानी के जलाशयों का स्थान परिवर्तन करना पड़ता है । इस प्रकार दिल्ली नगरपालिका को इन स्थानों के निर्माण के लिये कर्ज लेना पड़ता है । जिस पर सूद देने के कारण व्यय बढ़ जाता है और इसी कारण जल की दर अब १·५९ आना प्रति गैलन के स्थान पर ३·२९ प्रति गैलन हो गई है ।

मेरे विचार से यह कहना कि जब अन्य संस्थायें भुगतान करती हैं तो दिल्ली नगरपालिका को क्यों भुगतान नहीं करना चाहिये, व्यर्थ है तथा इस का उत्तर भी श्रीमती सुचेता कृपलानी ने दे दिया है कि अन्य संस्थाओं को बहुत सुविधायें प्राप्त हैं । इसी प्रकार के तर्क वितर्क प्रस्तुत किये जाते हैं जिन के परिणामस्वरूप कर देने वालों को ही पिसना पड़ता है । मेरा तात्पर्य यह है कि जल जैसी आवश्यक वस्तुओं पर और अधिक कर नहीं लगाया जाना चाहिये ।

अन्तिम प्रश्न यह है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली के लिये हमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था रखनी चाहिये । यह बहुतां सी नगरपालिकायें तथा बोर्ड हैं जिन के कारण व्यय बढ़ता ही जाता है । एक ओर तो हम १९२६ के समझौते के अनुसार धन नहीं देना चाहते, दूसरी ओर नये नये बोर्ड बना कर व्यय बढ़ाते जा रहे हैं। हमें इस का शीघ्र निर्णय करना चाहिये ।

अन्त में, मैं यह बता देना चाहती हूं कि हम ने कोई संशोधन क्यों प्रस्तुत नहीं किया है । हम खंड ९ का संशोधन करना चाहते थे परन्तु वह प्रस्तुत विषय ही नहीं है । हम इस विधेयक के विरोधी हैं तथा सरकार से यह चाहते हैं कि वह इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करे जिस से कि नगरपालिका को सहायता पहुंचे ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : यह बिल जो आज सदन के सामने है, उस के विषय में मेरे से पूर्व दो संसद् सदस्याओं ने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं । यह हमारी बदकिस्मती है कि इस छोटे से बिल में जो बातें रक्खी गई हैं, उन के विषय में हमारे द्वारा विचार विरोध सामने रक्खा जाय । मगर जिन हालात में यह बिल सामने आ रहा है और जो दिक्कतें पुरानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को हैं, या जो दिल्ली म्युनिसपल कमेटी के अधीन जनता रहती है, उन को भोगना पड़ता है, उन को सामन रखते हुए हमें विवश हो कर कुछ बातें इस बिल के खिलाफ कहने की हिम्मत होती है । हम यह चाहते हैं कि हमारी सरकार जो जनता की सरकार है और जनता के दुःखों को हमेशा दूर करने का प्रयत्न करती है, उन बातों पर गौर करे और उन पर गौर करने के बाद इस बिल में चाहे संशोधन किया जाय और चाहे इसे वापिस लिया जाय और चाहे इसे ठहराया जाय ।

मैं समझता हूं कि संसद् के सभी सदस्यों को इस बात का पूरा परिचय है कि पुरानी दिल्ली की इस समय क्या हालत है और उस के जब हम सामने रखते हैं तो हमें यह सोचना पड़ता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो विधेयक के रूप

[श्री राधा रमण]

में हो चाहे अन्य किसी रूप में जो सदन के सामने आता है कि जिस से जनता की परेशानी बढ़े तो उस का विरोध करना हमारे लिये अनिवार्य होना चाहिये ।

हम देखते हैं कि इस विधेयक के अनुसार सरकार यह चाहती है कि जो ऐग्रीमेंट उस ने देहली म्युनिसपल कमेटी से बहुत वर्ष पहले किया था और उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो पानी की दर दिल्ली म्युनिसपल कमेटी को देनी पड़ती थी वह भविष्य में न रहे बल्कि जो रकम खर्च के अनुसार आती हो उसी के मुताबिक पानी का रेट कमेटी को देना पड़े हमारा कहना यह है कि देहली म्युनिसपल कमेटी एक ऐसी संस्था है कि जिस संस्था को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है और जो उस के साधन अथवा आमदनी सीमित है, और साधनों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उन प्रतिबन्धों के कारण जो म्युनिसपल कमेटी की आमदनी होनी चाहिये थी, वह नहीं होती है । आज आप देखते हैं कि सारे भारतवर्ष में जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां की म्युनिसपैलिटियों की आमदनी के साधन में एक बिजली का वितरण है, पानी का वितरण जमीन की बिक्री होते हैं, यह तीनों जरिये यहां पर केन्द्रीय सरकार के हाथ में हैं और उन से जितनी भी आमदनी किसी एक म्युनिसपैलिटी को हो सकती है, उस से दिल्ली की म्युनिसपैलिटी वंचित है । बार बार यह प्रश्न देहली की सरकार के सामने और भारत सरकार के सामने लाया गया लेकिन इस प्रश्न पर एक ही उत्तर कमेटी को मिलता रहा है कि यह साधन केन्द्रीय सरकार अपने ही हाथ में रखेगी। नतीजा उस का यह है कि उन की शक्ति बहुत सीमित है और इस कारण दिल्ली में रहने वाली लगभग १९ लाख जनता की ठीक सेवा नहीं हो पाती और तकलीफ बढ़ती जाती है ।

यहां सैंकड़ों ऐसी जगहें हैं कि जहां पर इंसान हैवान से भी बुरी तरह रहते हैं। उन के पास न कोई पानी पहुंचता है और न बिजली है, और न उन के पास कोई अच्छा स्वस्थ्य मकान हैं कि जिन मकानों के अन्दर रह कर वह अपनी जिन्दगी को एक इंसानी जिन्दगी की तौर पर बसर कर सकें। आज चारों तरफ से मैं देखता हूं कि इस बात पर बहुत दुःख प्रकट होता है परन्तु हालत वैसी ही बनी है।

इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय सरकार और दिल्ली म्युनिसपल कमेटी के बीच में जो समझौता हुआ उसे समाप्त किया जा रहा है। यह समझौता काफी सोच विचार के बाद हुआ और उक्त बातों को दृष्टि में रखते हुए हुआ जहां अन्य कमेटियों से खर्च के अनुसार पानी की दर ली जाती है वहां दिल्ली म्युनिसपल कमेटी से तीन आना प्रति हजार गैलन से अधिक नहीं लिया जाता । इस विधेयक के द्वारा खर्च के अनुसार वह एक जरूरी चीज है, और होनी चाहिये, इस को समझौते के विपरीत दिल्ली म्युनिसपल कमेटी से वार्षिक मांगा जायेगा । मैं यह समझता हूं यह बिल्कुल अनुचित है । सन् १९२६ में जो समझौता हुआ था उस को आज ठुकराया जा रहा है, इस केन्द्रीय सरकार को दिल्ली के हालात को देखते हुए दिल्ली म्युनिसपैलिटी को सहायता देनी चाहिये, परन्तु विधेयक के द्वारा जो सहायता उस समय दी गई थी उस को भी आज वापिस लिया जा रहा है ।

ऐसा करने का नतीजा लामुहाल यह होगा कि दिल्ली की जनता को जिस को वैसे ही पानी की कमी का अनुभव है, और भी ज्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा । क्योंकि म्युनिसपल कमेटी पानी की दर बढ़ाने पर बाध्य होगी और यह एक ऐसी सख्ती होगी, ऐसी तकलीफ होगी जिस को दिल्ली की आम जनता बर्दाश्त कर सकेगी, इस में मुझे शक है। मैं समझता हूं

कि कोई भी सरकार यदि इस प्रकार के समझौते करती है और जिन विचारों के अधीन वह समझौते होते हैं, जब तक वह विचार कायम रहते हैं, तब तक उस को उन समझौतों को निभाना चाहिये। आज तक आप के सामने जो आंकड़े रक्खे गये हैं उन से यह पता चलता है कि पिछले ५, ६ वर्षों में, जब से निर्खों में कुछ इजाफा हुआ, यानी जो निर्ख म्युनिपसल कमेटी पहले देती रही है, और जो आज तमाम खर्च को ले कर पड़ता है, उस में बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है और सारी रकम जो कि इस मद में हमारी केन्द्रीय सरकार को दिल्ली म्यनिसपल कमेटी पर खर्च करनी पड़ेगी वह २, ३ लाख के बीच में आती है। हो सकता है कि यह रकम आगे कुछ थोड़ी ज्यादा हो जाय, लेकिन यह इतनी थोड़ी रकम है कि इस बात का ध्यान करते हुए कि ९, १० लाख जनता इस से लाभ उठाती है केन्द्रीय सरकार को ऐसा विधेयक ला कर हमें इसे मंजूर करने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये।

हम यह भी जानते हैं कि दिल्ली के भविष्य के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चर्चा चलती है। यह कहना कठिन है कि इस का भविष्य क्या रहता है दिल्ली में कारपोरेशन हो यह भी चर्चा चल रही है और इस का फैसला जल्दी ही होने वाला है फिर सरकार इस विधेयक को इतनी जल्दी से क्यों पास करना चाहती है। मैं समझता हूं कि अगर मैं अपनी स्वास्थ्य मंत्राणी जी या उपमंत्राणी जी से यह दर्खास्त करूं तो बिल्कुल वाजिब होगा कि इस विधेयक को यहां ला कर वह इतनी जल्दी इस को हम से पास कराने की कोशिश न करें।

सारे दिल्ली शहर के अन्दर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दूसरी और तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच नहीं पाता और पानी का हाहाकार खास तौर से गर्मी में, ऐसे मौके पर और इन हालात में जब कि हम देखते हैं कि शहर के लोगों को इतनी तकलीफें हैं और हम पूरी तौर पर उन को पानी पहुंचा नहीं सकते हैं, यह दानिशमंदी होगी कि हम इस विधेयक को पास करने पर इसरार न करें और दिल्ली वालों की तकलीफों को न बढ़ायें।

अन्त में मेरी स्वास्थ्य मंत्राणी जी से फिर यह प्रार्थना है कि वह आज इस विधेयक को इस सदन में पास न करें, बल्कि इस को और ज्यादा गौर के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके पर ठहर कर लायें, जल्दी करने से जनता की तकलीफें बढ़ जायेंगी और आम लोगों में असन्तोष होगा।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित अनुसूचित जातियां) : यह जो विधेयक हमारे सम्मुख है, देखने में तो ठीक है और इस में केवल यही है कि जो ३ आ० की दर मुकर्रर की गई थी, यदि वह ३ आ० तक रहेगी तो म्युनिसिपल मेटी उसे बर्दाशत करेगी, और यदि ३ आ० से ऊपर उस की कीमत जायेगी तो वह भारत सरकार देगी। यह मसला हमारे सामने है।

मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली म्युनिसपल कमेटी का जो क्षेत्र है उस में नई दिल्ली की तरह की अवस्था नहीं है। उस में सब तरह के आदमी रहते हैं। पर दिल्ली म्युनिसपल कमेटी के क्षेत्र में अधिकांश गरीब लोग रहते हैं। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जो गरीब मजदूरों की हैं। उन गरीबों और मजदूरों में यह क्षमता नहीं है कि वह अपने यहां नल लगवा सकें और नल लगवा कर उस से पानी ले सकें। इसलिये उन तमाम स्थानों पर दिल्ली म्युनिसपल कमेटी ने नल लगाये हुए हैं जिन का व्यवहार वह गरीब लोग करते हैं। इस विधेयक को पास करने का परिणाम यह होगा कि दिल्ली म्युनिसपल कमेटी के ऊपर कुछ लाख रुपयों का बोझ आ जायेगा और वह पानी की सप्लाई में कटौती करने के साधन

[श्री नवल प्रभाकर]

ढूंढ़ेगी। और ऐसे साधनों को ढूंढ़ने के लिये जिन लोगों ने नल के कनेक्शन लिये हुए हैं, उन को तो वह काट नहीं सकेगी, हो सकता है कि कुछ रेट बढ़ा दे, लेकिन जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं और जो फ्री पानी ले रहे हैं, जो निःशुल्क पानी प्राप्त करते हैं, उन के प्रयोग के नलों को कम कर दिया जायेगा। इस के कारण यह होगा कि लोगों में असन्तोष की भावना जागेगी, और उन में ऐजिटेशन होगा, वह प्रदर्शन वगैरह करेंगे और दूसरों में भी असन्तोष की भावना बढ़ेगी। चन्द लाख रुपयों के लिये इतना बड़ा असन्तोष हमारी सरकार उत्पन्न करे, यह कोई सूझ वाली बात हमें दृष्टिगत नहीं होती है। अतः मैं माननीय मंत्राणी जी से यह प्रार्थना करूं कि या तो वह इस विधेयक को वापस ले लें या उस पर पुनः विचार करें और इस को एक अच्छे ढंग में इस सभा के अन्दर पेश करने की कृपा करें।

देहली म्यूनिसपल कमेटी के कुछ सीमित साधन हैं और उन सीमित साधनों से ही वह पैसा इकट्ठा कर सकती है। इन साधनों में से एक तो टर्मिनल टैक्स है जिस के जरिये से जो बाहर से आती हैं उन पर साधारण भी चुंगी चीजें लगती है और उस से पैसा इकट्ठा किया जाता है। इस के अलावा हाउस टैक्स जो है वह आज अपनी पूरी सीमा तक पहुंच चुका है और इस टैक्स को अब और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसी तरह से और जितने भी टैक्सेज़ हैं वह पहले ही इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि न तो उन में और ज्यादा बढ़ौतरी की गुंजाइश है और न जनता ही इन को बरदाश्त करने के काबिल है। अतः अगर यह सोचा जाए कि टैक्सेज को कुछ और बढ़ा कर दिल्ली म्यूनिसपल कमेटी अपना काम चला लेगी तो मेरे विचार में यह असम्भव सी बात है। हां कुछ दूसरे टैक्स लगाने के लिये दिल्ली म्यूनिसपल कमेटी ने कुछ सुझाव भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे थे लेकिन भारत सरकार ने उस की इन तजवीजों का ठुकरा दिया है और कहा है कि उन के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे ऐसे टैक्स लगाने की स्वीकृति दें। अतः मैं माननीय मंत्राणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वह उन गरीब लोगों का अवश्य ख्याल रखें जो कि दिल्ली म्यूनिसपल कमेटी के क्षेत्र में रहते हैं और उन की भलाई को ध्यान में रखते हुए इस बिल को पास न करवायें। यह बात तो आप निश्चित सी ही समझिये कि जैसे ही यह बिल पास हो जायेगा तो सब से पहले देहली म्यूनिसपल कमेटी की निगाह उन नलों में से कुछ को बन्द कर देने की तरफ जायेगी जहां से कि आज तक गरीब लोगों को मुफ्त पानी मिलता था। इसलिये मैं मंत्राणी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह या तो इस विधेयक को बिल्कुल ही वापस ले लें और यदि उन के लिये इस विधेयक को वापस लेना सम्भव न हो तो मेरी प्रार्थना है कि इस के ऊपर पुनः विचार कर के फिर इस को इस सदन में लाया जाये।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : जिस समय दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड स्थापित किया गया था, बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार और दिल्ली नगरपालिका की सम्पत्ति इस शर्त पर ले ली थी कि उस का मूल्य ५० वर्षों में अर्धवार्षिक किश्तों के रूप में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली नगरपालिका को दिया जायेगा, और उस पर छः प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज लिया जायेगा। पचास वर्ष का वह काल अभी समाप्त नहीं हुआ। इस अधिनियम में एक यह उपबन्ध था यह बोर्ड लागत की गढ़ना करेगा और लागत दिल्ली नगरपालिका का तथा अन्य क्षेत्रों से जिन्हें लाभ होगा, ली जायेगी। परन्तु सरकार ने देखा कि समिति द्वारा किये जाने वाले व्यय का

भुगतान करना दिल्ली नगरपालिका के लिये असम्भव होगा, अतः उस ने कहा कि सरकार दिल्ली नगरपालिका की ओर से भुगतान करेगी ; १९२६ से जबकि दिल्ली नगरपालिका की ओर से कमी होती है, सरकार उसका भुगतान करती है ।

इस समय जब कि विस्थापित लोगों को पुनः बसाने के दिल्ली और नई दिल्ली का इतना विस्तार हो रहा है, यदि केन्द्रीय सरकार बोर्ड को सहायता देना बन्द कर देती है, तो यह उचित न होगा। जब कि विस्थापित लोगों के लिये मकान बनाये जा रहे हैं, तो उन्हें जल-सुविधा भी देनी होगी। अतः इस समय दिल्ली नगरपालिका इस बोर्ड द्वारा किये जाने वाले व्यय किस प्रकार उठा सकती है। अतः सरकार इस पर विचार करे और कम से कम उस समय तक प्रतीक्षा करे जब तक कि विस्थापित लोग पूर्णतया पुनः स्थापित न हो जायें ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : समस्त माननीय सदस्य विद्यमान संविहित उपबन्ध के लागू रहने और केन्द्रीय सरकार पर उत्तरदायित्व के रहने के पक्ष में हैं। यह सर्वथा समझ में आने वाली बात है कि कोई भी स्थानीय संस्था प्रसन्नतापूर्वक भुगतान करने का उत्तरदायित्व जो अब तक केन्द्रीय सरकार के ऊपर था अपनी मर्जी से अपने ऊपर न लेना चाहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वार्षिक अंशदान की औसत राशि क्या है ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : इस का औसत लगभग २½ लाख रुपये आता है, क्योंकि पिछले वर्षों की राशियां १,९०,०००रुपये, १,८८,०००रुपये और २,७१,००० रुपये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या केन्द्रीय सरकार के लिये यह बहुत बड़ी राशि है ?

श्री एम० सी० शाह : क्या मैं कुछ मिनटों में उत्तर दे सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय क्या स्वास्थ्य उपमंत्री सहमत हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हां ।

श्री एम० सी० शाह : बात बड़ी साधारण है। प्रश्न यह है कि क्या यह जल व्यवस्था ऐसी सेवा है जिस पर कर लगाया जाये या नहीं। यदि जल व्यवस्था ऐसी सेवा है जिस पर कर लगाना चाहिये तो देश भर में समस्त प्राधिकारों को जो वे जल व्यवस्था पर व्यय करते हैं मिलता है। हो सकता है कि उन्हें कोई काम न होता हो, और वास्तव में दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड को कोई लाभ नहीं होता। वे पानी देते हैं। उन्हें व्यय करना पड़ता है और इसलिये उस का भुगतान अवश्य होना चाहिये। दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में लगभग एक लाख मकान हैं और सब को पानी मिलता है, परन्तु केवल ३१,००० मकानों में पानी के नल हैं और उन में से केवल १८००० मकानों में मीटर हैं। लगभग ६९,००० मकान सार्वजनिक नलों से पानी लेते हैं और वे इस के लिये कोई भुगतान नहीं करते। यदि आप अन्य बड़े नगरों में जायें तो आप देखेंगे कि जब भी कोई सार्वजनिक नलों से पानी लेता है, उसे साधारण जल मूल्य देना पड़ता है । जिन मकानों में पानी के नल नहीं हैं, वहां बिना पानी के काम नहीं हो सकता, वे सार्वजनिक नलों से पानी लेते हैं। अतः उन सब लोगों से भी कुछ कर अवश्य लिया जाना चाहिये जिन के घरों में पानी के नल नहीं हैं और जो सार्वजनिक नलों का प्रयोग करते हैं ।

नगर में जल व्यवस्था सम्बन्धी योजना के विस्तार के सम्बन्ध में, स्वाभाविक है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार अनुदान या ऋण देंगी। वह विस्तार योजना के लिये है और उसे विचारास्पद प्रश्न से नहीं मिलाया

[श्री एम० सी० शाह]

जा सकता। विचारास्पद बात नगरवासियों को पानी देने की है न कि जल व्यवस्था सम्बन्धी योजनाओं के विस्तार की। यह ठीक है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को जल-व्यवस्था सम्बन्धी योजनाओं के विस्तार के लिये व्यवस्था करनी पड़ेगी, परन्तु यहां प्रश्न यह है कि क्या उस सेवा के लिये भुगतान न किया जाये। मैं पहिले बता चुका हूं कि इस जल व्यवस्था से कोई लाभ नहीं कमाया जाना चाहिये, परन्तु पानी लेने वालों को उस की वास्तविक लागत का भुगतान अवश्य करना चाहिये। सरकार उस से अधिक कराधान नहीं करना चाहती जितना कि वास्तव में जल तथा नाली व्यवस्था बोर्ड को भुगतान करना पड़ता है। प्रश्न यह है कि सदा सरकार पानी का मूल्य क्यों देती रहे। इस सम्बन्ध में वैधानिक आभार नहीं है क्योंकि हम ने विधि मंत्रालय से परामर्श कर लिया है।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : यह वैधानिक आभार है। अधिनियम में यह शर्त है।

श्री एम० सी० शाह : विधि मंत्रालय का परामर्श ले लिया गया है और हमें बताया गया है कि कोई वैधानिक आभार नहीं है।

श्री सी० के० नायर : वैधानिक आभार है।

श्री एम० सी० शाह : यदि वैधानिक आभार है तो दिल्ली नगरपालिका न्यायालय में दावा कर सकती है और केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त कर सकती है। १९५१ से पिछले चार या पांच वर्ष से इस मामले पर विचार विनिमय हो रहा है और विधि मंत्रालय से परामर्श लेने के उपरान्त सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि उस में कोई वैधानिक आभार नहीं है। पानी की व्यवस्था करने पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिये दिल्ली नगरपालिका को यह अनुदान देते रहने में कोई औचित्य नहीं है। मेरा ख्याल है कि यह दिल्ली नगरपालिका का कर्तव्य है कि वह जल तथा नाली व्यवस्था बोर्ड को दिये जाने वाले अतिरिक्त धन की प्राप्ति के लिये साधन खोजे।

श्री सी० के० नायर : अधिनियम में स्पष्ट शर्त है कि तीन आने प्रति एक हजार गैलन के अतिरिक्त धन का भुगतान भारत सरकार करेगी।

श्री एम० सी० शाह : इस बारे में मुझे कोई भ्रम नहीं है। हम ने विधि मंत्रालय से भी परामर्श कर लिया है और उन्हों ने कहा है कि कोई वैधानिक आभार नहीं है। १९२६ में कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार ने इस अतिरिक्त धन का भुगतान करना स्वीकार किया था। अब परिस्थितियां पूर्णतया बदल गई हैं। उस समय सरकार का यह विचार कभी न था कि किसी अतिरिक्त धन का भुगतान करना पड़ेगा, परन्तु सामग्री के मूल्य में कुछ वृद्धि होने के कारण, जैसा कि माननीय उपमंत्री बता चुके हैं, इस अतिरिक्त धन राशि का भुगतान करना पड़ा। इस के अतिरिक्त, केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि होना भी इस का एक कारण है। आज कल उस अनुदान को देते रहने में कोई औचित्य नहीं है जो अधिनियम पारित करते समय, १९२६ में, आवश्यक था। अतः मैं यह कहता हूं कि कोई वैधानिक आभार नहीं है और १९२६ के अधिनियम में जो आभार है उसे इस संशोधन द्वारा समाप्त करना है। इसी कारण यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

श्री सी० के० नायर उठे

उप ध्यक्ष महोदय : प्रत्यक्ष है कि इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम हुआ है। माननीय मंत्री के कहने का अभिप्राय यह है कि इस सम्बन्ध में कोई संविदा आभार नहीं है, केन्द्रीय सरकार

यह अंशदान किसी चीज के बदले में नहीं दे रही है। परन्तु इस अधिनियम में सरकार ने स्वेच्छापूर्वक सहायता देने का आभार ले लिया है। यदि यह अधिनियम समाप्त कर दिया जाता है तो वे भुगतान करों के आभारी न होंगे। यदि केन्द्रीय सरकार यह सहायता किसी चीज के बदले में कर रही है तो इस अधिनियम को समाप्त करने का उसे कोई अधिकार न होगा। फिर भी यदि वे इस अधिनियम को समाप्त करते हैं तो दिल्ली नगरपालिका को न्यायालय में दावा करने का अधिकार होगा। यदि नगरपालिका ने इस के उपलक्ष में कि सरकार, ने यह भुगतान करना स्वीकार कर लिया है कुछ कर दिया है तो इस अधिनियम को समाप्त भी नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में यह एक भिन्न मामला होगा और कदाचित फिर इस के निर्णय के लिये न्यायालय में जाना पड़े।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरु): इस वैधानिक आभार के अतिरिक्त, नैतिक आभार के बारे में क्या विचार है ?

श्री एम० सी० शाह : कोई नैतिक आधार नहीं है :

एक माननीय सदस्य : सामाजिक आधार के बारे में क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : सरकार ने उस समय की कुछ परिस्थितियों में यह धन दिल्ली नगरपालिका को देना स्वीकार किया था। अब हम कहते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अब हम महसूस करते हैं कि इस का भुगतान करना दिल्ली नगरपालिका का कर्तव्य है। मैंने बताया था एक लाख मकान हैं और उन में से केवल ३१,००० मकान कर देते हैं। अन्य ६९,००० मकान कोई भी कर नहीं देते।

श्री नवल प्रभाकर : जिन घरों का आप जिक्र कर रहे हैं, वे तो अन-अथाराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैं। अगर आप उन पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिये।

श्री एम० सी० शाह : स्थानीय संस्थाओं का मुझे लगभग २५ वर्ष का अनुभव है। अन्य स्थानों में वे यह करती हैं कि वे सार्वजनिक नलों को प्रयोग करने वालों से जल का साधारण कर लेती हैं। अतः मैं यह नहीं कहता कि वे उतना भुगतान करें। जितना कि पानी के नल वाले मकानों में रहन वाले करते हैं। दिल्ली नगरपालिका को यह पानी लेने वालों से लेना चाहिये, यद्यपि यह थोड़ा सा ही धन हो। जल व्यवस्था सम्बन्धी योजनाओं के विस्तार के लिये नगरपालिका का राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता, अनुदान या ऋण मांग सकती है। उन्हें अनुदान मिल सकता है, ५० प्रतिशत ऋण आदि दिल्ली नगरपालिका के लिये ये सारी बातें हैं, परन्तु कम से कम सेवा का सारा व्यय नगरपालिका को करना चाहिये। इस साधारण कारण से यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा था कि पानी व्यवस्था की देख रेख करना स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य है। उन्हें राष्ट्रीय जल व्यवस्था और स्वच्छता योजनाओं का अवश्य बोध होगा जिन के अनुसार नगरीय क्षेत्रों को १२.८६ लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों को ६ लाख रुपये ऋण दिये गये थे.....

श्री एम० सी० शाह : करोड़।

श्रीमती चन्द्रशेखर: ....मुझे खेद है, करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक सहायता के रूप में।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं ? क्या सरकारी दीर्घा में बैठने वाला कोई व्यक्ति कोई शुद्धि कर सकता है या सुझाव दे सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतया सरकारी दीर्घा में बैठने वाले किसी भी व्यक्ति को ज़ोर से हिदायत नहीं करनी चाहिये । कोई भी अन्य माननीय सदस्य वहां जा सकते हैं, सचेतक वहां जा सकता है । इस मामले में, कदाचित उन्हों ने यह सोचा होगा कि हम उन की बात न सुन पायेंगे । इस के बाद ऐसे खुले रूप से और ज़ोर से कोई बात नहीं कही जानी चाहिये ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस के अलावा दिल्ली में पानी की कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है । यहां पर १ आना ९ पाई से बढ़ कर ३.२९ आना हो गई है जबकि अन्य नगरपालिकाओं में यह ४½ आने से ले कर १ रुपया तक है ।

यह भी कहा गया है कि दिल्ली नगरपालिका के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है जबकि अन्य स्थानीय निकायों को शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों आदि के विषय में अधिमान दिया जा रहा है । लेकिन ये सब बातें यहां संगत नहीं हैं । यदि ये सब बातें मंत्रालय को बताई जायें तो अगले अवसर पर उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा । जहां तक मुझे पता है, सरकार ने दिल्ली नगरपालिका को मकानों में मीटर लगाने के लिये ऋण देने से कभी इन्कार नहीं किया । इस के अतिरिक्त, दिल्ली में मकान-कर (हाउस टैक्स) भी बहुत कम है । लगभग १० प्रतिशत जल-कर (वाटर टैक्स) कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने नगरपालिका को जल-कर (वाटर टैक्स) लगाने की हिदायत दी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां । हिदायत दी गई है ।

अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली नगरपालिका के सम्मुख जो वित्तीय कठिनाई उपस्थित है वह मीटरों पर साधारण कर या विशेष कर लगा कर दूर की जा सकती है । इस प्रकार वह अपनी कमी केन्द्रीय सरकार पर निर्भर रहे बिना ही पूरा कर सकती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : परन्तु, मेरा कहना यह है कि जब तक पूंजीगत व्यय कम नहीं होगा तब तक पानी की दर कैसे घटाई जा सकेगी । हां, भविष्य में सरकार यह नीति अपना सकती है कि आधी राशि अनुदान के रूप में तथा आधी ऋण के रूप में दी जाये ।

श्री एम० सी० शाह : जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, यहां जल व्यवस्था के लिये एक विशेष प्रबन्ध है । सभी जगह स्थानीय निकाय जल व्यवस्था के लिये कोई न कोई प्रबन्ध करते हैं वे इस सम्बन्ध में किसी अन्य अभिकरण से संविदा कर लेते हैं । दिल्ली को ही लीजिये । यहां जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड है । यदि बोर्ड पानी की दर से कोई लाभ कमाता है तब तो माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा उस में कोई औचित्य हो सकता है । यदि बोर्ड पानी के पाइप बिछाना चाहे या और अधिक जलाशय बनाना चाहे या ऐसा ही कोई अन्य कार्य करना चाहे । जिस से जल व्यवस्था में सुधार हो तब तो इन पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिये अनुदान और ऋण दिया जा सकता है । जहां तक जमुना नदी से पानी की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, यह कार्य जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड द्वारा किया जा रहा है जोकि एक अलग निकाय है । जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं, यदि कोई यह समझा सके कि जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड का व्यय अधिक है, तब तो यह व्यय कम किया जा सकता है और पानी की कीमत भी ३ आने से कम की जा सकती है । आप को जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड के हिसाब को देखना पड़ेगा जोकि आजकल कितने ही स्थानीय निकायों को पानी देता है ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : डिप्टी मिनिस्टर साहब ने अभी जवाब देते हुए बताया कि दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में जो लोग रहते हैं उन में से बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन के मकानों में पाइप नहीं लगे हैं । कुछ थोड़े से लोगों ने अपने यहां पाइप लगाये हुए हैं और वह लोग मीटर के ज़रिये से रेंट अदा करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने यहां पाइप नहीं लगाये हुए हैं उन में कितनी तादाद उन रिफ्यूजियों की है जो दिल्ली में आ कर बसे हैं ।

श्री एम० सी० शाह : वस्तुतः १ लाख मकानों में से ३१,००० मकानों में पानी के नल हैं और ६९,००० मकानों में नहीं हैं । इन ३१,००० मकानों में से भी १८,००० मकानों में मीटर लगे हुए हैं, बाकी में नहीं । मेरा कहना यह है कि ये ६९,००० मकान जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड से प्राप्त पानी लेते हैं और उन्हें उस की कीमत नहीं देनी पड़ती । जब मकान में नल होता है या मीटर लगा हुआ होता है तब प्रति हजार गैलन के हिसाब से पानी की कीमत देनी पड़ती है । जो व्यक्ति सार्वजनिक नलों आदि से पानी लेते हैं उन्हें भी एक साधारण कर देना पड़ता है परन्तु उस की दर बहुत कम है । आखिर, दिल्ली नगरपालिका जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड से इकट्ठा पानी ले कर औरों को देती है । जो लोग अपने मकानों में लगे नलों से पानी लेते हैं उन्हें कुछ अधिक कीमत देनी पड़ती है । जो लोग सार्वजनिक नलों से पानी लेते हैं उन्हें अन्य दर पर कर देना पड़ता है । दिल्ली नगरपालिका को यह पता लगाना होगा कि नई दिल्ली में दर क्या होगी । यह दिल्ली नगरपालिका के साधनों तथा उस के द्वारा किये जाने वाले व्यय के अनुसार १ रुपया या २ रुपया हो सकती है । वह उस से कोई लाभ नहीं उठायेगी । मेरा कहना भी यह है कि जल व्यवस्था से कोई लाभ नहीं कमाया जाना चाहिये । कम से कम वह उतना तो लेगी जितना कि उसे जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड को देना पड़ता है ।

श्री राधा रमण : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से लोग अपने अपने मकानों में नल लगवाना चाहते हैं । परन्तु इस में जो कठिनाई होती है वह स्पष्ट है । आप ने हाल ही में समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि हम इन गन्दी बस्तियों की समाप्ति पर ज़ोर देते रहे हैं । नगरपालिका की विधियां ऐसी हैं कि इन बस्तियों में रहने वालों के घरों में नल नहीं लग सकते और वे सार्वजनिक नलों का ही प्रयोग करते हैं । युद्धकाल में पानी के मीटर नहीं मिला करते थे परन्तु अब वे मिलने लगे हैं । लेकिन जब तक पानी के नल इन बस्तियों में नहीं डाले जाते तब तक प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना और मीटर लगाना भी सम्भव नहीं है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय अभी इस विधेयक के पास किये जाने पर ज़ोर नहीं देगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह विधेयक रखने से पहले इस सम्बंध में दिल्ली नगरपालिका से परामर्श किया था और यदि इस के पास होने पर नगरपालिका को नियमित रूप से धन की सहायता न दी गयी तो क्या जनता को पानी नियमित रूप से मिलता रहेगा या नहीं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : पानी की व्यवस्था भंग नहीं होगी । इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगरपालिका से परामर्श कर लिया गया है और तभी यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा था कि शिमले में स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के सम्मेलन में

[श्रीमती चन्द्रशेखर]

यह संकल्प पास किया गया था या सिफारिश की गई थी कि पानी की व्यवस्था के लिये उन्हें न केवल ऋण बल्कि अनुदान भी दिये जायें। परन्तु इस सम्मेलन की सिफारिश वास्तव में यह थी कि २५,००० से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को केवल ऋण दिये जायें जब कि आजकल केवल छोटे नगरों को अनुदान दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड अधिनिय १९२६ में कतिपय प्रयोजनों के लिये अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव सवीकृत हुआ।

खण्ड २ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

अधिनियमन सूत्र तथा खण्ड १ किये गये संशोधन :—

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १ में "Fifth Year" ["पांचवें वर्ष"] के स्थान में "Sixth Year" ["छठे वर्ष"] रखा जाय।

(२) पृष्ठ १, पंक्ति ४ में "1954" ["१९५४"] के स्थान में "1955" ["१९५५"] रखा जाय।

—(श्रीमती चन्द्रशेखर)

खण्ड १, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

जो इस के पक्ष में हैं वे "हां" कहें और जो इस के विरुद्ध हैं "ना"।

कुछ माननीय सदस्य : "हां"

कुछ माननीय सदस्य : "ना"

उपाध्यक्ष महोदय : "हां" वाले जीत गये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : "ना" वाले जीत गये। हमारी मांग है कि मत विभाजन हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मत विभाजन की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सी० के० नायर : मैं बोलना चाहता था परन्तु आप ने इसे सभा के मत के लिये प्रस्तुत कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है परन्तु यह प्रश्न समाप्त हो चुका है। यह तो कोरी औपचारिकता है कि इस पर अब मत न लिये जायें बल्कि हम ढाई बजे तक इंतजार करें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : यह इतनी जल्दी हुआ कि हमें पता ही न चला कि तीसरा वाचन हो चुका।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी बाकी नहीं है। पहले वाचनों में बहुत कुछ कहा जा चुका है। माननीय सदस्य फिर पुरानी बातें कहेंगे।

व्यवहार पक्रिया संहिता संशोधन) विधेयक

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को सदनों के ४५ सदस्यों से बनी एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिस में ३० सदस्य इस सभा के हों, अर्थात् श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन, श्री देवेश्वर सर्मा, श्री चिमनलाल चाकूभाई शाह, श्री यू० आर० बोगावत, श्री टी० आर० नेसवी,

श्री सी० डी० गौतम, श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव, श्री राधेलाल व्यास, चौधरी हैदर हुसैन, डा० कैलाश नाथ काटजू, श्री शोभा राम, श्री कैलास पति सिन्हा, श्री टेक चन्द, श्री के० परिया स्वामी गौंडर, श्री पैडी लक्षमय्या, श्री दिगम्बर सिंह, श्री जार्ज थामस कौट्टुकपल्ली, श्री लोकनाथ मिश्र श्री गणेश लाल चौधरी, श्री राम सहाय तिवारी, श्री एन राचय्या, डा० ए० कृष्णस्वामी, श्री भवानी सिंह, श्री साधन चन्द्र गुप्त, श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्, श्री के० एम० वल्लथारास, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री विजय चन्द्र दास, श्री एन० आर० मुनिस्वामी और प्रस्तावक, और १५ सदस्य राज्य सभा के हों,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की समस्त सदस्य संख्या के एक तिहाही होगी;

कि समिति इस सभा को १५ नवम्बर, १९५५ तक प्रतिदिन देगी,

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

इस विधेयक का उद्देश्य व्यवहार प्रक्रिया संहिता अर्थात् देश के व्यवहार न्यायालय सम्बन्धी विधि का संशोधन करना है । इस में १८ खण्ड हैं जिन में २४ परिवर्तन हैं जोकि संहिता में करने का विचार है ।

संहिता की धारा १३३ में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह गजट में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को, जिस का पद सरकार की राय में उसे न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने से विमुक्ति का विशेषाधिकार पाने का अधिकारी बनता हो, न्यायालय में उपस्थित होने से विमुक्ति दे दे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि यह शक्ति परस्तत है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद १४ के विरुद्ध है विधेयक के खंड १४ में प्रस्थापित संशोधन का उद्देश्य यह है कि मूल अधिनियम की इस धारा में संशोधन कर के इसे संविधान के अनुसार वैध बना दिया जाय । इसलिये यह परिवर्तन आवश्यक है ।

संविधान के अनुच्छेद १३३ में उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी उच्च न्यायालय के किसी निणय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील सुन सकता है यदि उच्च न्यायालय ने इस धारा के उपबन्ध के अनुसार प्रमाणपत्र दे दिया हो । व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा १०९ में ऐसी अपीलों का उपबन्ध तो है परन्तु उस में आज्ञिप्तयों या अन्तिम आदेशों के विरुद्ध अपीलों की चर्चा है, निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की नहीं जो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं उन में कुछ अन्तर है । इस विधेयक के खण्ड १२ को रखने का उद्देश्य यह है कि संहिता की धारा १०९ को संविधान के अनुच्छेद १३३ के समनुरूप बना दिया जाय और इस प्रकार स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाय । यह परिवर्तन भी लगभग सा है ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३९ एक न्यायालय की आज्ञप्तियों के, निष्पादन के लिये, दूसरे न्यायालय को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है । भूतपूर्व भारतीय रियासतों के न्यायालय २६ जनवरी, १९५० को संविधान के प्रारम्भ से पहले विदेशी न्यायालय समझे जाते थे और उन की आज्ञप्तियां साधारणतया, निष्पादन के लिये तत्कालीन बृटिश भारत के न्यायालयों को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती थीं और न ही तत्कालीन

[श्री पाटस्कर]

बृटिश भारत के न्यायालयों की आज्ञप्तियां निष्पादन के लिये भूतपूर्व भारतीय रियासतों के न्यायालयों को हस्तान्तरित की जा सकती थीं। मुझे मालूम है कि कुछ रियासतों में कुछ समझौते थे। जिन के अधीन आज्ञप्तियां हस्तान्तरित की जा सकती थीं। परन्तु यह सभी मामलों में नहीं होता था। संविधान के प्रारम्भ के बाद यह भेद नहीं रहा और भारत में सभी न्यायालय भारतीय हैं २६ जनवरी, १९५० से पहले स्थिति यह थी कि यदि कोई व्यक्ति हैदराबाद के किसी न्यायालय में किसी ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा करता जो कि बम्बई राज्य का निवासी हो, तो सम्भव था कि वह हैदराबाद राज्य के न्यायालय में उपस्थित ही न हो क्योंकि उस के विरुद्ध दी गई कोई आज्ञप्ति बम्बई राज्य के किसी न्यायालय को निष्पादन के लिये हस्तांतरित नहीं की जा सकती थी। उस के विरुद्ध आज्ञप्ति लेने वाले व्यक्ति को बम्बई राज्य में विदेशी न्यायालय के निर्णताय के प्रवर्तन के लिये मुकदमा करना पड़ा और आज्ञप्ति ले कर वह उस के निष्पादन के लिये प्रार्थना कर सकता था। उस से बम्बई राज्य में रहने वाले व्यक्ति को अपनी सफाई पेश करने का अवसर मिल जाता। बम्बई राज्य के किसी व्यक्ति की भी वही स्थिति होती जो कि हैदराबाद के किसी व्यक्ति के विरुद्ध एकपक्षीय आज्ञप्ति लेता। इन परिस्थितियों में यह न्याय नहीं है कि राज्यों के विलय और संविधान के लागू होने के फलस्वरूप ऐसी एकपक्षीय आज्ञप्तियों का निष्पादन २६ जनवरी, १९५० से पहले होने दिया जाय। खण्ड ५ इस उद्देश्य से रखा गया है और इस का प्रयोजन वर्तमान व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३९ में एक और उप-धारा जोड़ना है।

अब खण्ड २ और ३ को लीजिये। खण्ड २ का उद्देश्य यह है कि न्यायालय को ब्याज दिये जाने का उद्देश्य दे सकते हैं उस की सीमा ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष रखी जाये और खण्ड ३ द्वारा न्यायालयों को यह शक्ति नहीं रहेगी कि वे खर्चे पर ब्याज दिये जाने की आज्ञा दे सकें। साधारणतया न्यायालय खर्चे पर ब्याज दिये जाने का आदेश नहीं देते परन्तु कुछ मामलों में ऐसा किया जाता है। मेरे विचार में हम जो उपबन्ध करने की सोच रहे हैं वह सामाजिक न्याय की वर्तमान धारणा और बदली हुई आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप है। इस विचार से ये खण्ड रखे जाने का विचार है।

संहिता की धारा ३५-क वर्तमान संहिता में १९२२ के अधिनियम ९ द्वारा सम्मिलित की गई थी जिस के कि न्यायालय झूठे या परेशान करने वाले दावों या सफाइयों में प्रतिकरात्मक खर्चा दे सके परंतु केवल उन्हीं मामलों में जहां इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी आपत्ति की गयी हो। जो सदस्य वकील हैं उन्हें मालूम है कि यह धारा ३५क १९०८ के अधिनियम में नहीं थी बल्कि बाद में इस निश्चित उद्देश्य से संहिता में समिलित की गई और उस के साथ में यह परन्तु क जोड़ दिया गया कि आपत्ति जल्दी से जल्दी की गई हो। अनुभव से पता चलता है कि इस उपबन्ध का उद्देश्य पूरा करने के लिये अर्थात् झूठी और परेशान करने वाली मुकद्दमेबाजी रोकने के लिये, इन मामलों में न्यायालयों की शक्तियां इतनी बढ़ा देनी चाहिये कि वे ऐसा खर्चा दिला सकें चाहे आपत्ति जल्दी से की गई हो या न की गई हो और साथ ही ऐसे मामलों में भी खर्चा दिला सकें जिन में वे ऐसा करना उचित समझें। जो संशोधन रखा गया है उस के अधीन किसी भी मुकद्दमे में जिस में या तो आपत्ति उठाई ही न गई हो या बाद में उठाई गई हो यदि न्यायालय यह देखे कि ऐसा प्रतिकरात्मक खर्चा दिलाना उचित तथा न्याय्य है तो वह ऐसा कर सकता है। इस परिवर्तन का उद्देश्य यही है। यह भी जरूरी समझा गया है कि

ऐसा उपबन्ध न केवल मुकदमों बल्कि निष्पादन कार्यवाही पर भी लागु हो, विधेयक के खण्ड ४ का उद्देश्य यह है ।

संहिता की धारा ६८ के ७२ तक में यह उपबंध किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में अचल सम्पत्ति के विक्रय द्वारा आज्ञाप्तियों का निष्पादन कलेक्टर को हस्तान्तरित कर दिया जाय । संहिता की तीसरी अनुसूची में भी तत्सम्बन्धी उपबन्ध हैं । सम्भव है कि साहूकारों द्वारा अनजान और आवश्यकता ग्रस्त किसानों के विरुद्ध आज्ञाप्तियों के लिये यह उपबन्ध सम्भवतः लाभदायक रहे हों चाहे कलेक्टरों कों ऐसे हस्तांतरण से, आज्ञप्तियों के निष्पादन में अनुचित देर हो जाती थी । परन्तु वह किसानों की ऋणिता की समस्या का हल नहीं था । अब राज्यों ने उस समस्या को निश्चित ढंग से और विभिन्न आधार पर हल करना प्रारम्भ कर दिया है और सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियां इतनी बदल गयी है कि इस सीमित प्रयोजन के लिये भी इन उपबन्धों को जारी रखना आवश्यक नहीं रहा है । कलेक्टरों के पास पहले इतना अधिक काम नहीं था जितना कि अब है और अब उन के पास इस काम को करने का समय नहीं है । सच तो यह है कि जैसा कि मेरे वकील मित्र मानेंगे कि शायद किसी विशेष उद्देश्य से यह उपबन्ध एक समय व्यवहार प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया था, परन्तु अनुभव से पता चलता है कि कई हालतों में पहले भी कलक्टर इस मामले की ओर इतना ध्यान नहीं दे सके जितना कि देना चाहिये था । जब कोई व्यक्ति आक्षप्ति लेता है तो स्वाभाविक ही है कि वह यह आशा करता है कि समयानुसार उस के निष्पादन द्वारा वह उस से कुछ न कुछ प्राप्त कर सकेगा । परन्तु उस समय एक और समस्या थी । यह समझा जाता था कि शायद कलेक्टरों को भूमि के मूल्यों आदि के सम्बन्ध में अधिक जानकारी थी परन्तु अनुभव से पता चलता है कि यह काम कलेक्टरों के कार्यालयों में किसी ऐसे व्यक्ति पर डाल दिया जाता था जो उस से बहुत नीचे पद का होता था और कहा नहीं जा सकता कि ऐसा व्यक्ति इस मामले पर कितना ध्यान दे सकता होगा । इसलिये बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं कि शायद कई वर्षों तक निष्पादन कार्यवाही विचाराधीन ही रही और उस की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया ।

इसलिये उचित तो यह है कि निष्पादन का यह कार्य न्यायालयों को ही फिर सौंप दिया जाय । मुझे विश्वास है कि न्यायालय इस कार्य को, जो मुख्यतः उन्हीं का है, शीघ्रता से न्यायपूर्वक और न्यायाधीश होने के नाते अपनी नई जिम्मेदारियों को ठीक समझते हुए करेंगे । इस विधेयक के खण्ड ८ से १५ तक का उद्देश्य संहिता की धारा ६८ से ७२ तक को और तीसरी अनुसूची को हटाना है ।

संहिता की धारा ९२ सार्वजनिक पूर्ति के सम्बन्ध में है । अब यह विचार है कि विधेयक के खण्ड १० द्वारा इस में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया जाय कि कुछ कार्यवाहियों में न्यायलय यह निदेश दे सकता है कि न्यास सम्पत्ति पुराने न्यासी से, जिसे हटाने का आदेश दे दिया गया हो, नये न्यासी को दिलवायी जाये । वर्तमान उपबन्धों के अधीन होता यह था कि यदि किसी न्यासी को अक्षम होने के कारण हटा दिा गया हो और उस के स्थान में किसी अन्य न्यासी को नियुक्त किया गया हो तो नये नये न्यासी को सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिये फिर कार्यवाही प्रारम्भ करनी पड़ती थी ।

अतः अब यह उपबन्ध बनाया जा रहा है कि उसी कार्यवाही में न्यायालय न केवल एक न्यासी को हटा कर दूसरे को नियुक्त कर सकता है किन्तु यह भी आदेश दे सकता है कि न्यास सम्पत्ति का कब्जा पहले न्यासी से लेकर नये न्यासी को दे दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आदेश निष्पाद्य होगा ?

श्री पाटस्कर : वह स्वयं आदेश दे सकता है। इस कारण कार्यवाही बढ़ेगी नहीं पहले न्यासी को बार बार न्यायालय जाना पड़ता था और सम्भवत: अभियोग चलाना होता था और उसमें अत्याधिक समय लग सकता था। इस बीच में हम नहीं कह सकते कि न्यास सम्पत्ति का क्या हो जाये। इस प्रकार ये सब जटिल बातें थीं। इन सब चीजों को बचाने के लिये अब अच्छा यह समझा जा रहा है कि यह उपबन्ध किया जाये जिस से यह सारा अनावश्यक और नया झगड़ा न हो।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की दूसरी महत्व-पूर्ण धारा ४७ है। यह धारा इसलिये बनाई गई है कि कार्यवाही लम्बी न हो और विवादों के निपटारे में विलम्ब को रोका जा सके। जैसाकि जो सदस्य वकील हैं वे जानते होंगे कि कुछ मामले ऐसे हो चुके हैं जिस में सम्भवत: जो बातें पहले उठाई गई थीं उन को निष्पादन कार्यवाहियों में उठाया गया, और प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि क्या वे बातें जो निष्पादन कार्यवाहियों में उठाई गई थीं, उन की जांच निष्पादन न्यायालय कर सकता है अथवा उन को अलग रखा जाय। इस प्रश्न के सम्बन्ध, में कि क्या कुर्की के नीलाम में खरीदने वाला व्यक्ति अभियोग का एक पक्ष है या नहीं है भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने अपने अलग अलग निर्वाचन दिये हैं, और यदि खरीदार एक पक्ष है तो किन परिस्थितियों में। जब कभी आज्ञप्ति होती है और सम्पत्ति का ठीक समय पर नीलाम होता है, और सम्पत्ति खरीद ली जाती है तो हो सकता है कि खरीदार स्वयं प्राज्ञप्तिधारी हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति। स्वाभाविक है कि न्यायालयों में इस पर बड़ा मतभेद उठा कि क्या खरीदार को उस कार्यवाही का ही एक पक्ष समझा जा सकता है। इन सारी आशंकाओं का समाधान मूल अधिनियम की धारा ४७ के इस संशोधन के द्वारा किया जा सकता है जो विधेयक के खंड ६ में प्रस्थापित है।

आगे चल कर यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा ११ के अधीन मुकदमें में जिस पूर्वनिर्णीत सिद्धान्त की व्यवस्था की गई है वह निष्पादन कार्यवाही में भी लागू होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह दूसरी में भी लागू नहीं होना चाहिये।

श्री पाटस्कर : यद्यपि यह सिद्धान्त केवल खण्ड ११ के अधीन मामलों में ही लागू होता है, फिर भी न्यायालयों ने इसे निष्पादन कार्यवाहियों में भी लागू करने का प्रयत्न किया है। किन्तु यह अधिक अच्छा समझा गया है कि हम इस बात की भी व्यवस्था करें कि खण्ड ११ की भांति पूर्वनिर्णीत वाला सिद्धान्त निष्पादन कार्यवाहियों में भी लागू हो। मैं समझता हूं कि इस से इस मामले का सारा वाद-विवाद समाप्त हो जायेगा। इस का उप-बन्ध कर देना ही अधिक अच्छा होगा क्योंकि अन्यथा न्यायालय इस का अर्थ लगा सकते हैं।

इस का अन्तर्निहीत विचार यह है कि हम पूर्वनिर्णीत के सिद्धान्त की व्यवस्था अन्य कार्यवाहियों में भी करना चाहते हैं।

ऐसा करने से उच्च न्यायलयों में दुबारा की जाने वाली अपीलों की संख्या कम हो जायेगी। पहले सीमा ५०० रुपये रखी गई थी, जिसे अब हम १,००० रुपये करना चाहते हैं। खण्ड १३ का प्रभाव यह होगा कि उन अभियोगों की संख्या में कमी हो जायेगी जिन में उच्च न्यायालय को पुनर्विचार करने का अधिकार है। यह एक छोटी सी चीज है जिस पर मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

संहिता की धारा १४४ से न्यायालय को आज्ञप्ति के मामलों में प्रतिस्थापन का आदेश

देने का अधिकार प्राप्त है ? खण्ड १५ से न्यायालय को आदेशों के मामले में भी प्रतिस्थापन का आदेश देने का अधिकार है क्योंकि वह भी इतना ही आवश्यक है जितना कि आज्ञप्तियों के मामलों में प्रतिस्थापन ।

आह्वान या सूचना के निर्वहण से बचना व्यवहार कार्यवाहियों को विलम्बित करने का एक साधारण उपाय है । खण्ड १६ में यह उपबन्ध है कि कुछ परिस्थितियों में बेलिफ के द्वारा निर्वहण के बदले या साथ-साथ सूचना अथवा आह्वान का निर्वहण डाक द्वारा होना चाहिये । सम्भवतः संयुक्त समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या डाकघर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति में और अधिक सुधार किया जाना सम्भव नहीं है ।

उस समय दस्तावेजों को सिद्ध करने में भी काफी समय लग जाता है । संहिता के नियम २, आदेश १२ के अधीन पक्ष चाहे इस मामले में कुछ करें या न करें, न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह पक्षों से पूछ सके कि जो दस्तावेज पेश की गई हैं वह उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं । और ऐसे स्वीकरण का अधिलेख रख सके । संहिता के नियम २, आदेश १२ के अधीन यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को दस्तावेज स्वीकार अथवा न स्वीकार करने के लिये सूचना देता है, तो उस के बाद कुछ और कार्यवाही भी की जानी होती है ।

उदाहरण के लिये यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता, तो दूसरे पक्ष को इसे सिद्ध करना होता है और यदि वह सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो अन्य पक्ष को उस का व्यय देना पड़ता है । किन्तु यह देखा गया है कि वास्तव में न्यायालयों में बहुत से मामलों में पक्ष ऐसी सूचनायें नहीं देते । अतः यह प्रस्थापना की गई है कि न्यायालय को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह पक्षों से पूछ सके कि वे जो दस्तावेजें पेश की गई हैं उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं और ऐसे स्वीकरणों यह अभिलेख रख सकें । न्यायालय को हम पक्ष अधिकार देने का प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे इस सम्बन्ध में कुछ करें या न करें ।

एक दूसरा आवश्यक परिवर्तन यह कि . गया है कि पक्षों को इस बात के लिये प्रोत्साहन दिया जाये कि वे अपने गवाहों को न्यायालय में उपस्थित रखें । अब भी पक्ष अपने अपने गवाहों को उपस्थित रख सकते हैं । किन्तु हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्या तुम ने गवाह उपस्थित किया था, और न्यायालय को सुझाव दिया जाता है कि इस गवाह पर विश्वास न किया जाये क्योंकि इस को आह्वान के द्वारा नहीं लाया गया है वरन् पक्ष स्वयं इस को ले आया है । यदि इस प्रकार का उपबन्ध बना दिया जाये तो पक्ष द्वारा उस के उपस्थित किये जाने पर इस सम्बन्ध में कोई विपरीत परिणाम नहीं निकाला जा सकेगा । इस उपबन्ध का यही प्रयोजन है ।

बहुधा सुनवाई हो जाने और बहस हो जाने के बहुत समय बाद फैसले सुनाये जाते हैं । मैं कहूंगा कि बड़ी गलत चीज है । कि फैसले में इतना विलम्ब हो क्योंकि विलम्ब होने से सारी बातें भल जाने की सम्भावना रहती है । फैसला कब सुनाया जाना चाहिये इस के सम्बन्ध में कोई कठोर नियम बनाना भी तो सम्भव नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि एक पक्ष के भीतर फैसला न हो जाये तो उस अभियोग को दूसरे न्यायाधीश के पास हस्तांतरित समझा जाना चाहिये और न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये ।

श्री पाटस्कर : यह बड़ी आवश्यक बातों में से एक है और मैं समझता हूं कि सभा में यह चर्चा न्यायाधीशों के लिये चेतावनी का

[श्री पाटस्कर]

काम करे और वे इस प्रकार का विलम्ब न किया करें ।

ये तथा अन्य उपबन्ध इसलिये किये गये हैं जिस से अभियोगों को और कार्यवाहियों को शीघ्र निबटाने में सुविधा मिल सके । मैं ने केवल उन्हीं आवश्यक उपबन्धों को लिया है जिन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया है । अतः इस विधेयक का उद्देश्य व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अविलम्बनीय संशोधन करना है ।

व्यवहार न्याय के प्रशासन में बढ़ते हुए विलम्ब, व्यय और जटिलताओं के विषय में जनता में काफी असन्तोष फैला चुका है । मूल न्यायालयों द्वारा जांच और निर्णय, अपीलों के निर्णय, दुबारा की गई अपीलों, पुनर्विचार आवेदनपत्रों के तथा अन्तिम आज्ञप्तियों और आदेशों की निष्पादन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विलम्ब की शिकायतें की गई हैं । यह सच है कि विलम्ब प्रक्रिया में दोष होने के कारण नहीं, वरन अन्य कारणों से भी होता है । हम जानते हैं कि इसी विद्यमान प्रक्रिया के रहते हुए भी कुछ न्यायाधीश ऐसे भी हैं जो वास्तव में बड़ी शीघ्रता से अभियोगों का निर्णय कर लेते हैं । इस के साथ ही कुछ और भी बातें हैं, जैसे न्यायपालिका द्वारा उचित रूप से कार्य किया जाना, विलम्ब दूर करने के लिये वास्तविक प्रयत्न, सम्मुख आने वाली जटिल समस्याओं को समझाने की कुशलता और मामलों को अविलम्ब निबटाने की चेष्टा, जिन की आवश्यकता है । परन्तु इस के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि यथासम्भव पूरा पूरा न्याय हो । जैसा कि हम जानते हैं, कुछ मामलों में न्याय में विलम्ब होन से न्याय नहीं होता किन्तु दूसरी ओर यह भी सच है कि केवल शीघ्रता करने से भी, बहुत से मामलों में न्याय नहीं किया जा सकता । अतः व्यवहार न्याय के प्रशासन की समस्या बड़ी नाजुक और जटिल है, किन्तु उस को उचित हल से ही जन साधारण का कल्याण हो सकता है और वह सन्तुष्ट हो सकता है । व्यवहार न्याय प्रशासन से जन-साधारण में यह भावना और विश्वास उत्पन्न होना चाहिये कि मानव का मानव के प्रति व्यवहार और नागरिक अधिकारों के रक्षण में बिना अधिक विलम्ब और व्यय के उस के साथ न्याय किया जायेगा । वास्तव में न्याय सुलभ, सस्ता वास्तविक और शीघ्र प्राप्त होना चाहिये ।

इस पर मुख्य आपत्ति यह की जा सकती है कि आप इस प्रकार का विधान इस समय क्यों ला रहे हैं ? मैं जानता हूं कि व्यवहार न्यायिक प्रशासन की सम्पूर्ण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, किन्तु यह ऐसी चीज है जिस पर महत्वपूर्ण परिणामों वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार करना होगा । यह कार्य ऐसा है जो बड़ी सावधानी से जांच पड़ताल करने और अन्य अनेक प्रणालियों से पूर्णरूपेण तुलना करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा । यह परिवर्तन का कार्य प्रस्थापित विधि आयोग के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिये । यदि यह परिवर्तन करना निश्चय हो गया अथवा आयोग ने सिफारिश भी की, तो भी इसे कार्यान्वित करने में समय लगेगा ।

इस वृहत् प्रश्न को एक ओर रख कर हमें इस विधेयक के अन्तर्गत आ जाने वाले मामलों में व्यवहार न्याय के प्रशासन की वर्तमान प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयत्न तो करना ही चाहिये ।

पिछले कई वर्षों से समय समय पर इस विषय में विचार होता आ रहा है । इस समस्या पर विचार करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर विभिन्न समितियों की स्थापना की गई थी । १९२४ में जस्टिस रेंकिन के सभापतित्व में

भारत सरकार ने एक व्यवहार न्याय समिति की स्थापना की थी। उक्त समिति ने १९२५ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अप्रैल, १९५० में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जस्टिस वांचू के सभापतित्व में न्यायिक सुधार समिति स्थापित की थी। इस समिति ने १९५१ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार की एक समिति पश्चिमी बंगाल ने भी स्थापित की थी। १९५३ में राज्य सरकारों को व्यवहार प्रशासन और दाण्डिक न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में एक ज्ञापन परिचालित किया गया था। सम्भवतः माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव भी उसी समय राज्य सरकारों को परिचालित किये गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में सब से अधिक महत्वपूर्ण खंड कौन सा है जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही में विलम्ब होने की सम्भावनायें कम करता हो ?

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : एक भी खंड ऐसा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण मामला आता है तो लोग तुरन्त ही उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से लेख निकालने की प्रार्थना करते हैं और लेख निकलते ही सम्पूर्ण कार्यवाही रुक जाती है।

श्री पाटस्कर : लेख निकालने तथा विलम्ब होने के मामले से वस्तुतः सरकार भी चिंतित है। परन्तु इस का इलाज केवल व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन करना मात्र नहीं है। क्योंकि लेख तथा कई प्रकार की रोक आज्ञायें ऐसे उपबन्धों के अन्तर्गत निकाली जाती हैं जो संविधान में मौजूद हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : इस विधेयक की क्या जल्दी है .....

श्री पाटस्कर : मैं यही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस अवस्था पर इस प्रकार का विधेयक क्यों लाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर हुए वाद विवाद के दौरान में माननीय सदस्यों द्वारा की गई आपत्तियों के बावजूद भी यह विधेयक क्यों पुरःस्थापित किया गया है।

श्री पाटस्कर : पहले मैं इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। जब हम दंड प्रक्रिया संहिता पर विचार कर रहे थे तो इस बात पर बहुत जोर दिया गया था– और शायद उस में कुछ औचित्य भी था– कि जब हम विधि आयोग बना ही रहे हैं तो फिर इस प्रकार का विधेयक क्यों लाया जा रहा है। जहां तक व्यवहार प्रक्रिया संहिता का संबंध है, मैं यह बताऊंगा कि इस में समय समय पर बहुत अधिक परिवर्तनों के कारण छोटी छोटी बातों का संशोधन क्यों करना पड़ा है। परन्तु, इसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि विधि आयोग केवल व्यवहार अथवा दंड प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों तक सीमित नहीं रहेगा। उसे और भी कितने ही मामलों पर विचार करना होगा। मैं इस समय ठीक ठीक तो कुछ नहीं बता सकता, परन्तु अन्य देशों का अनुभव यह प्रकट करता है कि विधि आयोग द्वारा प्रतिवेदन किये जाने में अभी कुछ समय लगेगा। प्रतिवेदन दिये जाने के बाद भी कुछ समय यह निश्चित करने में लग जायेगा कि उन मामलों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करे। हो सकता ह कि व्यवहार प्रशासन प्रणाली का पुनर्नवन करना पड़े। और उस में परिवर्तन करने पड़ें। इस कार्य में और अधिक समय लग सकता है। तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस दौरान में वर्तमान व्यवहार प्रक्रिया संहिता में, जो कम से कम १९०८ से विद्यमान है –सच पूछो तो यह १८५९ से चली आ रही है– आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें यद्यपि इस से वह प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा जो हम चाहते हैं।

[श्री पाटस्कर]

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यह चीज़ ठीक नहीं होगी कि हम प्रत्येक कार्य को केवल इसलिये उठा रखें कि भविष्य में कुछ और होने वाला है। इस विधेयक का अभिप्राय केवल यही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहता रहा हूं कि १९२४ में एक व्यवहार न्याय समिति नियुक्त की गई थी। उस का प्रतिवेदन मौजूद है। इस के अतिरिक्त दो समितियां उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों द्वारा भी नियुक्त की गई थीं। परन्तु हालत ज्यों कि त्यों बनी हुई है क्योंकि कोई सारवान चीज नहीं की जा रही है। अन्ततः, सम्पूर्ण प्रणाली में ही परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान परिस्थिति में हम न्यायिक कार्यवाही में विलम्ब की सम्भावनाओं को कम करने, व्यय घटाने और कार्यवाही को संक्षिप्त बनाने के लिये जो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। मुख्य रूप से इस के तीन उद्देश्य हैं। दो उपबन्ध अधिनियम को संविधान के अनुरूप बनाने के लिये है। निष्पादन कार्यवाही के सम्बन्ध में यह आपत्ति की गई है कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। और अब कतिपय आज्ञप्तियों के निष्पादन का कलैक्टर को हस्तांतरण किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अन्य उपबन्ध परक्रामक लिखितों आदि सम्बन्धी वादों की संक्षिप्त प्रक्रिया के विषय में है जिस की चर्चा मैं ने नहीं की है। वादों की यह संक्षिप्त प्रक्रिया, मैं समझता हूं, सिर्फ बम्बई तथा कुछ अन्य उच्च न्यायालयों में ही है। बम्बई उच्च न्यायालय के मूल व्यवहार क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रक्रिया यह है कि परक्रामक लिखितों सम्बन्धी वादों में यदि प्रतिवादी प्रतिभूति न दे तो उसे प्रतिवाद नहीं करने दिया जाता।

यही विहित संक्षिप्त प्रक्रिया है। अब इस बात का प्रयत्न किया गया है कि कई न्यायाधीशों को संक्षिप्त वाद सुनने की यह शक्ति प्रदान की जाय। यह कहां तक ठीक है और कहां तक ठीक नहीं है, इस की जांच की जायगी। इन परिवर्तनों से व्यवहार न्यायिक प्रशासन के ढ़ंग में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा। यह कार्य कई वर्षों से विचाराधीन था अतः यह आवश्यक समझा गया कि ये परिवर्तन किये जायें जिन से सुविधा हो सके।

हम ने इन समितियों के प्रतिवेदनों पर तथा परिचालित ज्ञापन के उत्तर में राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं की राय पर भली भांति विचार किया है और उन्हीं के आधार स्वरूप प्रस्तुत विधेयक बनाया गया है। मैं ने पहले ही इस के उपबन्धों का और इस कर उद्देश्य को सभा के अनुमोदनार्थ समझा दिया है। ऐसे उपबन्धों की यथासमय आवश्यकता के हेतु वर्तमान व्यवहार प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त इतिहास इस समय बता देना अनुचित न होगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का विधेयक क्यों आवश्यक है।

हमारे देश में प्रथम व्यहार प्रक्रिया संहिता की अधिनियमन १८५९ में हुआ जो उस वर्ष का आठवां अधिनियम था और वह केवल मुफस्सिल अदालतों पर लागू हुआ।

श्री एस० एस० मोरे : इस बात को तो सभी वकील (विधिवेत्ता) जानते हैं।

श्री पाटस्कर : मैं उन से कह रहा हूं जो वकील नहीं हैं। यदि ऐसा न होता तो मैं विधेयक को प्रस्तुत कर के बैठ जाता। वकीलों के विरुध भी काफ़ी द्वेष भावना है। मैं तो अन्त में यह कहने वाला था कि यह विधेयक वकीलों के लिये नहीं है।

मैं व्याख्या में अधिक समय नहीं लूंगा। हां, तो मैं ने कहा है कि सर्व प्रथम १८५९ में यह विधेयक पारित हुआ। यह उस समय के उच्चतम न्यायालयों तथा बम्बई, मद्रास

और कलकत्ता प्रेजीडेंसी नगरों की सदर दीवानी अदालतों में लागू नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय अधिनियम १८६१ द्वारा ये अदालतें बन्द हो गईं और इन की शक्ति उन अधिकृत उच्च न्यायालयों में निहित हो गई। १८६५ के आदेशानुसार उन्हें व्यवहार मामलों में प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार दिया गया किन्तु उन के लिये वह आवश्यक था कि वे यथासंभव १८५९ की संहितानुसार काम करें। इसीलिये मुफ़स्सिल अदालतों और उच्च न्यायालयों में अब भी कुछ अन्तर है। १८५९ से अब तक व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अनेक बार संशोधन हो चुके हैं।

१८५९ और १८७२ के बीच में इस का दस अधिनियमों द्वारा संशोधन किया गया और अन्त में इस के स्थान पर १८७७ की संहिता आई। इस का भी १८७८ और १८७९ में संशोधन हुआ और फिर १८८२ की संहिता ने इस का स्थान ग्रहण किया। १८८२ और १८९५ के बीच में पन्द्रह बार इस का संशोधन किया गया। अंततोगत्वा १९०८ में वर्तमान व्यवहार प्रक्रिया संहिता पारित हुई। इन छोटे छोटे परिवर्तनों के लिये सरकार सदैव इसे सभा के सम्मुख प्रस्तुत करती रही है। इस संहिता का भी तीस बार संशोधन किया जा चुका है किन्तु मुख्य बातें यथावत् रखी गई हैं जैसे कि धारा ३५क में सुधार किया गया है। हम ने १९५२ में यह अनुभव किया कि इस धारा पर और भी विचार की जरूरत है। यही कारण है कि हम ने इसे पुनः सभा में प्रस्तुत किया है। चाहे विभिन्न दल इसे उचित समझें या अनुचित, धारा ३५क में परिवर्तन होना चाहिये।

इस इतिहास से पता चलता है कि समयानुसार, प्रक्रिया में परिवर्तन आवश्यक होता है। जब कभी हमें किसी कठिनाई का पता चलता तो हम संशोधन ले कर प्रस्तुत होते हैं। जनहित को देखते हुए हमें संहिता में आमूल-चूल परिवर्तन करने तक के समय की प्रतीक्षा न कर के इसी समय इसी संहिता को श्रेयस्कर बना देना चाहिये। यही हमारा उद्देश्य है।

देश की जनता में कुछ लोगों की धारणा है कि प्रक्रिया एक अनावश्यक सी वस्तु है। श्री मोरे भी मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि साधारण मनुष्य इसी प्रकार सोचता है। यह तो ठीक है कि प्रक्रिया को वैधिक अधिकारों में रोड़े नहीं अटकाना चाहिये कि फिर भी उस का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिये कि विधि के उद्देश्य अधिक शीघ्रता और अधिक उपादेयता के साथ पूरे हो सकें।

कुछ संशोधन इस संहिता को संविधान के उपबन्धों के अनुकूल बनाने के लिये आवश्यक हो गये हैं। इसी प्रकार जो उपबंध अनावश्यक हैं उन का निकाल दिया जाना भी वांछित है। शेष संशोधन ऐसे उपबंधों के बारे में हैं जिन के कारण विलम्ब हो जाता है और मुकदमेबाजी बढ़ जाती है। प्रस्तावित उपबंध बड़े सरल हैं और उन पर अधिक बहस नहीं होगी।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता तो अपने में बड़ा ही शुष्क विषय है। मैं ने इस के लिये सभा का जो समय लिया वह उन सदस्यों को इन प्रस्तावित परिवर्तनों को समझाने के लिये लिया जो वकील नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस के बारे में कुछ संशोधन भी हैं। श्री अग्रवाल अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला रायबरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव में "and 15 Members from Rajya Sabha" ["राज्य

[श्री एम० एल० अग्रवाल]

सभा से १५ सदस्य"] के बाद "with instructions to suggest and recommend amendments to any other sections of the said Code not covered by the Bill, if in the opinion of the said Committee, such amendments are necessary"

["उन्हें इस विधेयक के अतिरिक्त अन्य धाराओं पर भी यदि उक्त समिति की राय में इस प्रकार के संशोधन आवश्यक हों, संशोधनों का सुझाव देने और उन की सिफ़ारिश करने का अनुदेश दिया जाय ।"]

मेरा उद्देश्य यह है कि इस संहिता के दोष यथासंभव दूर कर दिये जांय और विधि आयोग प्रतिवेदन तक प्रतीक्षा न की जाय ।

पूर्व अनुभव से हमें पता चला है कि रेंकिन समिति और वांचू समिति की सिफ़ारिशें अभी तक संसद् के सामने पड़ी हुई हैं और व्यवहार प्रक्रिया संहिता में आमुलचुल परिवर्तन करन में बहुत समय लगेगा । पहले विधि आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी । फिर एक वृहत् विधेयक बनेगा और उसे संयुक्त समिति को सौंपा जायेगा । फिर उसे पारित किया जायगा । इस कार्य में कई वर्ष लग जायेंगे, अतः मैं माननीय मंत्री के उद्देश्य से सहमत हूं किन्तु केवल इतना और चाहता हूं कि समिति केवल उन्हीं उपबन्धों पर विचार न करे जिन को माननीय मंत्री न प्रस्तुत विधेयक में दिया है । हो सकता है कि समिति को अन्य त्रुटियां दृष्टिगोचर हों । इसीलिये मैं ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

उदाहरण के लिये वर्तमान संहिता के अनुसार किसी निर्णीत ऋणी को आज्ञप्ति के पालन हेतु गिरफ्तार किया जा सकता है यद्यपि कोई स्त्री ऋणी हो तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । आज के युग में यह बड़ा ही शोचनीय विषय है कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिये गिरफ्तार कर लिया जाय कि वह धन सम्बन्धी आज्ञप्ति का पालन नहीं करता । यह संविधान के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । साथ ही स्त्री और पुरुष का जो भेद रखा गया है वह भी असंवैधानिक है ।

इसी प्रकार और भी अनेक बातें विचारणीय हैं जैसे आदेश संख्या २१ के नियम २ के उपनियम (१) के अनुसार आज्ञप्ति धारी के लिये यह आवश्यक है कि यह भुगतान प्राप्त करने पर उस का प्रमाण पत्र दे क्योंकि प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में अदालत भुगतान को स्वीकार नहीं करती किन्तु प्रायः ऐसा होता है कि उस के द्वारा कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता । इस के लिये भी उपबन्ध होना चाहिये ।

आदेश संख्या २१ के नियम ८६ के अनुसार नीलाम में खरीदार को सम्पत्ति खरीदने के लिये उसका २५ प्रतिशत विक्रय मूल्य जमा कराना पड़ता था । और शेष रकम १५ दिन के भीतर देनी पड़ती थी । ऐसा न करने पर वह सारी रकम सरकार जब्त कर लेती थी । बाद में यह संशोधन किया गया कि केवल उस अग्रिम धन को ही जब्त किया जाय किन्तु ये सब बड़े कठोर उपबन्ध हैं और इन में संशोधन की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें । प्रस्तुत विधेयक के खंडों पर आप ने एक शब्द भी नहीं कहा है । यदि आप सम्पूर्ण संहिता की बात करने लगें तो इस विधेयक के सम्बन्ध में उस की अनुमति कैसे दी जा सकती है ।

श्री एस० एस० मोरे : इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता के समय श्री सिंहासन सिंह के इस संशोधन को स्वीकार किया गया था कि प्रवर समिति

अन्य खंडों पर भी विचार कर सकती है ? मैं स्वयं उस समिति का सदस्य था और उस की बैठक में जो परिवर्तन सुझाये गये थे उन के बारे में डा० काटजू ने कहा था कि वे महत्वपूर्ण हैं किन्तु राज्य सरकारों की राय जानने के बाद वे तदनुसार संशोधन करना पसन्द करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम संयुक्त समिति को कोई अनुदेश दें तो हमें किसी धारा विशेष का उल्लेख करना चाहिये । यह कहना उचित नहीं कि सारी व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आद्योपान्त विचार हो तो, इतना तो समझा जा सकता है कि मूल अधिनियम की दो एक धाराओं पर विचार करने का संशोधन हो । जब हम यह कहते हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि सम्पूर्ण विधान की छानबीन की जा सके तो इस का मतलब यह है कि हम इस संशोधन विधेयक को पुनरीक्षण विधेयक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यही मेरी कठिनाई है । मैंने यह नहीं कहा कि यह संशोधन नियम-विरुद्ध है । यह तो नियमित रूप में है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप यह चाहते है कि जब संशोधन विधेयक में समाविष्ट सुधारों के अतिरिक्त धाराओं में हम कुछ और सुधार करना चाहें तो हम उनका वर्णन अपने संशोधनों में किया करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन में धारा १, २, ३, ४ और ५ की चर्चा की जा सकती है । अन्यथा, सम्पूर्ण अधिनियम पर अविराम रूप से विचार किया जा सकता है । हम केवल कुछ बातों को लेंगे । माननीय सदस्य अपना सुझाव दे सकते हैं ।

श्री पाटस्कर : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह यथासंभव इस मामले के हल के सम्बन्ध में अपने सुझावों में अधिक व्यावहारिक रहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कुछ महत्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं, उस के बाद प्रवर समिति यदि चाहे तो कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को उठा सकती है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : मैं आप की कठिनाई को समझता हूं । जो संशोधन मैं ने मूल रूप से भेजा था उस का एक सीमित उद्देश्य था । उसका अभिप्राय यह था कि सदस्यों के सुझावों पर प्रवर समिति विचार करे । मैं ने ५, ६ सुझाव दिये हैं । मैं उन के विस्तार में नहीं जाना चाहता ।

मैं नियम २७, आदेश ४१ के उपबन्ध के सम्बन्ध में एक और सुझाव रखूंगा । यह सुझाव अपीलीय न्यायालयों द्वारा अतिरिक्त साक्ष्यों की अनुमति देने के अधिकारों के संबंध में है । इस समय अतिरिक्त साक्ष्य उसी स्थिति में लिया जा सकता है जब निम्न न्यायालय ने उस की अनुमति न दी हो या न्यायालय उसे किसी अन्य प्रयोजन या निर्णय के लिये आवश्यक समझता हो । मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में जहां निम्न न्यायालय ने इस की अनुमति न दी हो और अब न्यायालय उसे महत्वपूर्ण और आवश्यक समझता हो न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्यों की अनुमति देने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये । यह निश्चयात्मक होना चाहिये और मुकदमे के निर्णय पर इस का प्रभाव पड़ना चाहिये । अतः न्यायालय को पूर्ण अधिकार सौंपे जाने चाहियें ।

मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इन बातों पर विचार करे । मैं माननीय मंत्री द्वारा रखे गये विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों का नाम प्रवर समिति में है उन्हें नहीं खड़ा होना चाहिये । अन्य माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा ।

दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस विधेयक को सभा के सामने औपचारिक रूप में रक्खूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम व्यवहार प्राक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को लेंगे । समय का ध्यान रखते हुए विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर प्रत्येक माननीय सदस्य २० मिनट लेंगे ।

श्री ए० एम० थामस : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं पर इस के कारणों और उद्देश्यों के विवरण को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे खोदा पहाड़ निकला चूहिया । क्योंकि इस विधेयक के बहुत से उपबन्ध या तो भारत के विभिन्न न्यायालयों के प्रथानुसार ग्रहीत है या केन्द्र द्वारा पारित किये गये व्यवहार प्रक्रिया संहिता के संवर्धित रूप हैं ।

माननीय विधि मंत्री द्वारा बताई गई कठिनाई को आसानी से समझा जा सकता है कि ऐसे अवसर पर जब कि एक विधि आयोग नियुक्त किया गया है व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सम्पूर्ण कायाकल्प करना समुचित नहीं होगा । पर कारणों और उद्देश्यों के विवरण से बताया गया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सम्पूर्ण कायाकल्प एक कठिन कार्य है । उसे एक विशेषज्ञ समिति को सौंपा जाय पर व्यय और विलम्ब दोनों में कमी करने के दृष्टिकोण से संहिता में कुछ संशोधन करना उचित मालूम होता है । मैं इतना बतना चाहता हूं कि व्यय और विलम्ब में कोई कमी इस विधेयक के उपबन्धों से नहीं होगी पर थोड़ा लाभ अवश्य होगा । जैसे समाहर्ता (कलक्टर) को आज्ञप्ति के पालन करने का अधिकार देना, डाक सेवा की उपलब्धता का उपबन्ध किसी भी अवस्था में अभिलेखों को उपस्थित करने की अनुमति और न्यायालय के बुलाये बिना ही किसी साक्ष्य को उपस्थित होने की अनुमति, आदि अच्छे उपबन्ध हैं ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

"खोदा पहाड़ निकली चूहिया" की बात मैं ने इसलिये कही कि डा० काटजू जब गृहकार्य मंत्री थे, तो उन्हीं ने भारत के न्यायिक प्रशासन में बहुत से सुधार करने की एक सूची बनाई थी और उस पर विभिन्न राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं की राय मांगी थी । पर, यद्यपि माननीय विधि मंत्री ने बताया है कि इस विधेयक को तैयार करने में उस ज्ञापन और राज्य सरकारों तथा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श को भी पूर्ण प्रकार से ध्यान में रखा गया है, मैं देखता हूं कि डा० काटजू द्वारा निश्चित की गई कोई भी बात, एक दो छोटी छोटी बातों को छोड़ कर, इस विधेयक में नहीं ली गई है ।

उक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति इस विधेयक से नहीं होसकती । डा० काटजू स्वयं न्यायालयों की प्रक्रिया में विलम्ब और रुकावटों के कारण बहुत उब चुके थे ।

श्री पाटस्कर : सभा की जानकारी के लिये मैं बताना चाहता हूं कि जो ज्ञापन परिचालित किया गया था वह डा० काटजू का ही था ।

श्री ए० एम० थामस : डा० काटजू के ज्ञापन के उत्तर में जो टिप्पण आये हैं वे सब लगभग एकमत हैं । अतः मैं यह कहता हूं कि वस्तुतः इस संहिता द्वारा निश्चित की गई प्रणाली में कोई मूल त्रुटि नहीं है । व्यवहार प्रक्रिया संहिता के भाग १० के अधीन विभिन्न उच्च न्यायालयों को नियमों के निर्माण का अधिकार देते हुए भी आप देखेंगे कि उस के मूल ढांचे में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है । इस से भी स्पष्ट होता है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के स्वरूप में कोई मूल त्रुटि नहीं है । बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने भी अपने परामर्श में यही बताया है कि हमारी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के ढांचे में कोई मूल दोष नहीं है । स्पष्ट है कि हम व्यवहार प्रक्रिया संहिता ऐसे अधिनियम पर विचार करते समय किस दृष्टिकोण से काम लेना चाहिये । विलम्ब और व्यय की जो कठिनाई हमारे सामने है उस का कारण यह है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बहुत से उपबन्धों को लागू नहीं किया जाता । उदाहरण के लिये पूछताछ, जानकारी और शपथपत्र आदि के सम्बन्ध में उपबन्ध है, पर उन का ठीक प्रयोग हम लोग नहीं करते । यदि हम उन का प्रयोग करें तो अनावश्यक साक्ष्यों की परेशानी में काफी कमी हो जाय ।

टिप्पणी में अधिकांश लोगों का यह मत है कि न्यायिक प्रशासन की कठिनाइयों का कारण निम्न न्यायालयों में कुशल और पर्याप्त न्यायाधीशों का अभाव है और न्यायिक प्रशासन में न्यायाधीश ही सब से अधिक महत्वपूर्ण अंग है ।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ कहुंगा । डा० काटजू ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि वास्तविक कठिनाई आज्ञप्ति प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस को कार्यान्वित करने में होती है । प्राप्त हुये अनेक टिप्पणों में भी यही मत प्रकट किया गया है । मैं नहीं समझता कि विधि मंत्री ने कार्यान्वित सम्बन्धी इस अध्याय को फिर भी क्यों नहीं छुआ ।

श्री पाटस्कर : मामलों को समाहर्ताओं के पास हस्तान्तरित करने वाले खंडों का वर्णन किया गया है ।

श्री ए० एम० थामस : बहुत से न्यायालयों में यह प्रथा नहीं है ।

आज्ञप्ति प्रशासन की विभिन्न अवस्थाओं में—सूचना जारी करना या अन्य प्रकार की औपचारिक कार्यवाही करना, आदि उपबन्धों का परीक्षण विधि मंत्रालय को करना चाहिये था और विधेयक में उचित संशोधन करना चाहिये था । क्या माननीय विधि मंत्री यह बतायेंगे कि क्या विधि आयोग को प्रक्रिया संहिताओं के पुनरीक्षण करने का अधिकार होगा ?

श्री पाटस्कर : स्वभावतः ; मैं ऐसा कोई कारण नहीं समझता कि इस कार्य को आयोग के सामर्थ्य के बाहर रखा जाय ।

श्री ए० एम० थामस : जब यह प्रश्न विधि मंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने ऐसा नहीं बताया था ।

श्री पाटस्कर : मैं यह बात नहीं समझता । संशोधन को प्रस्तुत करने के पूर्व मैं नहीं बता सकता कि उस में क्या है । पर इस बात का कोई कारण नहीं कि यह काम विधि आयोग की व्याप्ति के बाहर रखा जाय ।

श्री ए० एम० थामस : इस के अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं जैसे यदि कोई मुकदमेबाज किसी कार्यवाही को रोकवान के लिये आवश्यक आदेश चाहता है तो उसे अपील ज्ञापन के साथ साथ न्यायालय के निर्णयों और आज्ञप्तियों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को भी जमा करना पड़ता है । पर इस काम के लिये सूचना जारी करनी पड़ती

[श्री ए० एम० थामस]

है। अभिलेखों को ढूंढा जाता है त जाकर इसकी व्यवस्था हो पाती है। अतः मैं नहीं समझता कि इस उपबन्ध पर कि निर्णयों और आज्ञप्तियों की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा की जाय, क्यों बहुत ज़ोर डाला जाय।

पूर्व निर्णनित मामलों के सम्बन्ध में इस विधेयक में जो कहा गया है उस के संबंध में मुझे यह कहना है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा चलायी गयी रचनात्मक पूर्व निर्णय की प्रणाली को आज्ञप्ति के पालन करवाने की कार्य-वाही में भी लागू किया जाता है। पर इस विधेयक के द्वारा तो उसे व्यवस्था से स्थापित आधार पर बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि धारा ११ को संशोधित कर के कुछ उपबन्ध इस विधेयक में क्यों नहीं रखे गये। ऐसा करने से बहुत सी कठिनाइयां दूर हो गई होतीं।

उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में और अवयश्कों के संरक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी कुछ उपबन्ध इस विधेयक में दिये जाने चाहिए थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि श्री अग्रवाल का संशोधन बहुत विस्तृत है और सम्पूर्ण संहिता पर विचार करना प्रवर समिति के लिए कठिन होगा पर प्रवर समिति पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं उठाना चाहिए कि वह केवल अमुक अमुक धाराओं और आदेशों पर ही विचार करे।

सभापति महोदय : यदि किन्हीं माननीय सदस्य के पास कोई ठोस सुझाव है तो उन्हें चाहिये कि वह मेरे पास लावें। सभा की अनुमति से प्रवर समिति सभी विषयों पर विचार करने के लिये समर्थ होगी।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हम लोग ऐसे संशोधन पेश करें जिन में उन विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया हो, जिस संबंध में हमें रचनात्मक सुझाव देना है या हमें प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव के लिये गुंजाइश छोड़नी चाहिये। यदि उपाध्यक्ष महोदय का सुझाव मान लिया जाय तो सदस्यों को बहुत कठिनाई होगी।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : बिना गणपूर्ति के चर्चा नहीं हो सकती।

श्री पाटस्कर : यह एक संक्षिप्त विषय है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इसीलिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं ?

श्री पाटस्कर : इस सम्बन्ध में सभापति ही निर्णय कर सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : वित्त मंत्रालय गणना करे। उपसचेतक भी यह काम कर सकते हैं।

श्री राधवाचारी (पेनुकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय ने पहले ही कहा है कि विधेयक को पारित कराने के उद्देश्य से गणपूर्ति की स्थापना का कर्त्तव्यभार सरकार पर है।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है।

श्री ए० एम० थामस : मैं भी श्री मोरे की भांति ही यह सुझाव रखना चाहता था कि प्रवर समिति को किसी भी धारा में हस्तक्षेप करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त होना चाहिये।

मैं अब विधेयक के कुछ खण्डों के सम्बन्ध में कहूंगा। सब से पहली बात ब्याज के सम्बन्ध में है। प्रस्तुत संहिता के अन्तर्गत न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है कि वे उचित ब्याज के पक्ष में निर्णय कर सकते हैं। अब कुर्की की तिथि से ब्याज के सम्बन्ध में यह शक्ति न्यायालय से ली गई है। मुकदमे की तिथि से कुर्की की तिथि तक ब्याज का

प्रश्न पर संशोधक उपबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रस्तुत विधेयक में एक उल्लेखनीय बात यह है कि कुर्की के मूल्य पर ब्याज उचित नहीं समझा गया है। मैं नहीं समझता कि सरकार ने क्यों ऐसा निर्णय किया है। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि मूल्य के रूप में जितनी रक़म की कुर्की की जाती है वह साधारणतया किसी पक्ष द्वारा वहन की जाने वाली रक़म से कम होगी। मैं नहीं समझता हूं कि मुकदमा जीतने के बाद उस पक्ष को क्यों इस प्रकार का दंड दिया जाये कि प्रस्तुत जिस रकम की कुर्की की जा चुकी है उस के मूल्य पर ब्याज नहीं दिया जाये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : यह समाजवादी ढंग पर समाज की रचना है।

श्री ए० एम० थामस : यदि माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी के अनुसार यह समाजवादी ढंग का प्रश्न है तो कुछ इस प्रकार का उपबन्ध होना चाहिये कि किसी भी अवस्था में ब्याज की रक़म मूल रकम से अधिक अथवा मूल रक़म के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

मेरे राज्य--त्रावनकोर--में विलीनीकरण के पूर्व इस आशय का एक उपबन्ध था। यदि इस प्रकार का उपबन्ध समाहत कर लिया जाये तो सम्बन्धित पक्षों को कुछ सीमा तक सहायता मिलेगी। हम इस प्रश्न पर विचार करना है कि बन्धक सम्बन्धी मामलों पर ब्याज से सम्बन्धित यह उपबन्ध लागू किया जाये अथवा नहीं।

प्रतिकर मूल्य के सम्बन्ध में यह शक्ति क्रियान्वित करने की प्रक्रिया पर भी लागू की गई है। मैं यह जानने के लिये उत्सुक हूं कि इस उपबन्ध से अपील क्यों अपवर्जित कर दी गई है।

इस के बाद एक पक्षीय कुर्की की निष्पादन-योग्यता का प्रश्न है जिसे २६ जनवरी, १९५० के पूर्व पारित किया गया था। यह अभिनन्दनीय उपबन्ध है। बम्बई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय के निर्णय २६ जनवरी, १९५० के पश्चात निष्पादित कुर्कियों को भी मान्य स्वीकार किया गया है।

जब निर्णीत विषय के सिद्धान्त को निष्पादन प्रक्रिया पर लागू किया गया है तो यह समझ में नहीं आता कि धारा ११ में उल्लिखित अर्हतायें इस मामले में क्यों निकाल दी गई हैं। निष्पादन प्रक्रिया की स्थिति में यदि सम्बन्धित पक्षों ने कोई दावा अथवा बचाव का आधार प्रस्तुत नहीं किया तो वह भी उस धारा के अन्तर्गत आना चाहिये। मेरी दूसरी आपत्ति उच्च न्यायालय में द्वितीय अपीलों के क्षेत्र को प्रतिबन्धित करने से सम्बन्धित है। संहिता की वर्तमान स्थिति के अनुसार यदि मुकदमे की रक़म ५०० रुपयों से कम है तो उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील नहीं हो सकती है।

श्री एस० एस० मोरे : यह लघुवाद मामलों में है।

श्री ए० एम० थामस : यह बात मैं समझता हूं। मेरा निवेदन है कि इस रक़म को ५०० रुपयों से बढ़ा कर १,००० रुपये करना अपेक्षणीय नहीं है। हमें यह मालूम होना चाहिये कि भारत में साधारण व्यक्ति के लिये ५०० रुपये की रक़म एक सारभूत रक़म है। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को अपने दावे के लिये संघर्ष का अवसर नहीं मिलता है तो वस्तुतः यह न्याय का अनंगीकार है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय द्वितीय अपीलों पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध के विरुद्ध हैं। अनेक प्रख्यात व्यक्तियों की यही सम्मति है। प्रकाशन

[श्री ए० एम० थामस]

के पृष्ठ ३२७ पर उच्चतम न्यायालय के मरुप न्यायाधीश का मत दिया गया है :

> "मेरा यह निश्चित मत है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में वर्तमान में उल्लिखित द्वितीय अपीलों का उन्मूलन करने में वस्तुतः कोई औचित्य नहीं है ।"

न्यायाधीश श्री महाजन का भी यही विचार था । अतः यह मेरी प्रबल धारणा है कि अपीलों के क्षेत्राधिकार में अग्रेतर प्रतिबंध नहीं होने चाहियें ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरी धारणा है कि यह सुधारपूर्ण है और स्वागतयोग्य भी :

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट): उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यह विधेयक व्यवहार न्याय की प्रक्रिया तथा प्रशासन में विलम्ब को दूर करने, व्यय घटाने तथा जटिलताओं को कम करने के लिये प्रस्तुत किया गया है ; किन्तु विधेयक का अध्ययन करने से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती । उपाध्यक्ष महोदय ने इन खंडों को जानने का प्रयत्न किया था जोकि उक्त लक्ष्य की पूर्ति करते हैं । उस समय एक दो सदस्योंने कहा था कि प्रत्यास्थापित तामील के द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति होती है ।

प्रत्यास्थापित तामील से सम्बन्ध रखने वाले खण्ड १६ के सम्बन्ध में मेरा अनुभव यह है कि यद्यपि इस से समय की बचत होती है तथापि जालसाज़ी भी की जा सकती है क्योंकि वादी समन (आह्वान) के लौट आने पर यदि प्रत्यास्थापित तामील की अनुमति होगी, तो वादी डाकखाने के प्राधिकारियों से मिल कर उन से यह लिखवा सकता है कि प्रतिवादी को भेजा गया रजिस्ट्री पत्र अस्वीकृत कर दिया गया तथा इस प्रकार अनजाने में ही प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञप्ति हो सकती है । इस प्रकार इस खण्ड से जनता को लाभ के स्थान पर हानि होने की सम्भावना अधिक है।

इस प्रकार इस विधेयक में उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण की पूर्ति करने वाली कोई भी बात नहीं । इसलिये कम-से-कम इस स्थिति में प्रवर समिति के क्षेत्र को इतना व्यापक बनाया जाय कि वह विधेयक के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति कर सके ।

इस विधेयक को इस की त्रुटियां एवं बुराइयों के निवारणार्थ प्रवर समिति में योजना अनिवार्य है, चाहे प्रवर समिति इसे कुछ विलंब से भी भेजे तो भी अधिक हानि नहीं होगी, क्योंकि व्यवहार न्यायालय में तत्काल रद्दोबदल की आशा बहुत कम है। जब कि यह एक मान्य तथ्य है कि जनता असन्तुष्ट है तो माननीय मंत्री को एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये और इसी बीच प्रवर समिति को यह अनुदेश देना चाहिए कि वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रत्येक क्षेत्र का यथासंभव संशोधन करे

अब मैं खंडों की विस्तृत आलोचना करूंगा । वस्तुतः संशोधन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और न उन से विधेयक में बुनियादी परिवर्तन होने की आशा ही है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस में १९०८ से लेकर अब तक ३५ बार संशोधन हो चुके हैं। यह प्रक्रिया एक विदेशी शक्ति ने अपने हितों की रक्षा के लिये प्रारम्भ की थी किन्तु अब समय आ गया है कि हमें इस का निरसन करना चाहिये ।

निःसंदेह खंड ६ में सुझाये गये संशोधन के द्वारा बहुत सी विपरीत बातों का निराकरण होता है । निर्णीत विषय का सिद्धान्त वहां

पर लागू किया गया है, जहां मामला पहिले कार्यवाही में निर्णीत किया जा चुका है। किन्तु यदि मामले का उसी कार्यवाही में पहिले निर्णय हो चुका है किन्तु तत्पश्चात् दोनों पक्ष उसी मामले को पुनः उठाते हैं तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या उस मामले में भी निर्णीत विषय का सिद्धान्त लागू होगा।

मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति मामले के इस पहलू पर गौर करेंगी।

अब मैं खंड १४ को लेता हूं। यह संशोधन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारा १३३ को अधिकार के बाहर घोषित किये जाने के फलस्वरूप किया गया है। इस संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि की एक सूची दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहता हूं जिन पर धारा ८७ख लागू होती है। इस धारा के अनुसार हमारे भूतपूर्व शासकों को विदेशी शासक मान कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित न रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। मैं नहीं जानता कि उन्हें इस प्रकार का विशेषाधिकार किस आधार पर दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद १४ की भावना के विरुद्ध है। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त समिति इस मामले पर विचार कर इस धारा को हटाने की सिफारिश करेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण खंड ७ है जो कि धारा ६० का संशोधन करता है। यह धारा कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों की कुर्की तथा संरक्षण से सम्बन्ध रखती है। मूल संहिता से कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों यथा केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनों का रक्षण किया जाता है। किन्तु कुछ अन्य व्यक्तियों तथा शिक्षण संस्थाओं अस्पतालों व अन्य दान से चलने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों को इस से संरक्षण नहीं मिलता। मैं संयुक्त समिति से यह निवेदन करूंगा कि वह विधेयक में ऐसी व्यवस्था करे कि उक्त वर्ग के कर्मचारियों को भी संरक्षण प्राप्त हो सके। यद्यपि इस विधेयक में मामलों के निपटारे में शीघ्रता करने तथा मुकदमा करने वाली जनता को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया है फिर भी मेरे विचार से इस से प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है अतः संयुक्त समिति को कार्य प्रणाली से सम्बन्ध रखने वाले मामलों की व्यवस्था में भी परिवर्तन का अधिकार मिलना चाहिये।

इस विधेयक में आदेश संख्या २१ को स्पर्श नहीं किया गया है। मेरे विचार से यह आदेश कुर्की के धन तथा उन के क्रियान्वीकरण में मुख्य बाधा उपस्थित करता है। मैं संयुक्त समिति से निवेदन करूंगा कि वह इस आदेश पर सभी पहलुओं से विचार कर प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयत्न करें।

अब मैं खंड १६(६) पर आता हूं। इस में 'अभिलेख्य कारणों से' शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। उपखंड १ के मुख्य उपबन्ध में यह व्यवस्था है कि न्यायालय को यह निर्णय करने का अधिकार है कि वह वादी से उतनी रकम जमा करवा ले जितनी प्रतिवादी के उस मुकदमे को लड़ने में व्यय होने की संभावना है। किन्तु ऐसी आज्ञा जारी करते समय न्यायाधीश ऐसे आदेश दिये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगा। यदि परन्तुक मुख्य व्यवस्था का नियंत्रण करता है तो अभिलेख करने की क्या आवश्यकता है? यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे प्रत्येक मामले में जहां प्रतिवादी यह देखता है कि वादी के पास कोई सम्पत्ति नहीं है, वहीं पर वह इस प्रकार के संरक्षण की मांग कर सकता है, किन्तु यदि न्यायाधीश परन्तुक में उल्लिखित परिस्थिति में ही आदेश जारी करेगा तो आदेश देते समय कारण अभिलिखित करने का क्या प्रयोजन है।

इस विधेयक के समर्थन में इतना ही कहा जा सकता है कि यह व्यवहार प्रक्रिया

[श्री सी० आर० चौधरी]

संहिता में कुछ वांछनीय संशोधन करने वाला विधेयक है। अतः समिति को इस बात पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार प्रक्रिया सरलतम हो सकती है, और कम-से-कम मूल्य म न्याय दिया जा सकता है; तथा किस प्रकार हम व्यवहार न्याय के सम्बन्ध में जनता में विश्वास पैदा कर सकते हैं।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ-दक्षिण) : जहां तक व्यवहार न्याय के प्रशासन का सम्बन्ध है प्रस्तुत विधेयक इतना अधिक सार्थक नही, क्योंकि इस में छोटे छोटे उपबन्ध ह। मैं माननीय मंत्री की समझ और उत्सुकता का प्रशंसक तो हूं परन्तु यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा किये जाने वाले परिवर्तन हमारी आवश्यकता को पूरी नहीं करते।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता अपने यथार्थ रूप में एक अच्छी विधि है और व्यापक चीज़ है, और यदि न्यायाधीश वास्तव में काम करना चाहता हो तो वह लोगों को स्वाभाविक और स्वीकार्य न्याय दिला सकता है। विधि का इतना दोष नहीं जितना इस का निर्वचन करने वाले या इस को प्रशासित करने वाले लोगों में। दुःख की बात है कि हमारे यहां इस समय अच्छे न्यायाधीश नहीं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन का कर्तव्य के प्रति सदभिप्राय नहीं, बल्कि यह कहना चाहता हूं कि उन के पास अपेक्षित सामग्री या उपकरण नहीं। मुझे दुःख है कि मैं ऐसी बात कह रहा हूं। मैं विविध उच्च न्यायालयों के निर्णय पढ़ता रहा हूं और मुझे यहां यह बताने में दुःख होता है कि प्रायः न्याय नहीं बरता गया है। इस का यह कारण नहीं कि न्यायाधीश न्याय नहीं करना चाहता था, प्रत्युत यह है कि वह न्याय करने में असमर्थ था, इसलिये नहीं कि उस में बुद्धि नहीं थी, वरन् इसलिये कि वह उस वातावरण में प्रशिक्षित नहीं हुआ था, उस के मन में लोगों के प्रति सहानुभति नहीं थी और यों कहना चाहिये कि वह जनता से बहुत दूर था और जनसाधारण नहीं था। वह आवश्यकता से अधिक बुद्धि पर आश्रित था, और इसीलिये नागरिक के जीवन से बहुत कटा हुआ था। वस्तुतः, इस सब का उपचार करने के लिय ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को अच्छे प्रशिक्षण और जनसाधारण से सम्पर्क बनाने की आवश्यकता है, ताकि वे लोगों को समझ सकें। मैं ने ऐसा भी होते हुए देखा है कि निरीह व्यक्ति मारे भी गये किन्तु अपराधी बच निकला और इस का यह कारण नहीं था कि साक्ष्य नहीं मिला बल्कि यह कि उस साक्ष्य को समझा नहीं गया। भला, ऐसा होता भी क्योंकर जब कि जनसाधारण के जीवन को न समझने वाला, भिन्न वातावरण में पला हुआ व्यक्ति जिस में एक निर्धन के प्रति, एक कामकर, समाज में निम्नतम, जनसाधारण के प्रति कोई सहानुभूति न हो। ऐसा व्यक्ति जब न्याय के आसन पर बैठ कर निर्णय सुनाता है तो कैसे उस में सहानुभूति हो सकती है।

अब तक इस विधेयक द्वारा जो भी परिवर्तन कराये जा रहे हैं वे न्याय को शीघ्र, सस्ता और सुलभ करने के लिये ही हैं। अधिक अच्छा होता यदि मंत्री महोदय विधि आयोग की प्रतीक्षा करते। प्रस्तुत विधेयक में न्यायिक प्रशासन सम्बन्धी सारी बातों की छानबीन होनी चाहिये। किये जाने वाले इन परिवर्तनों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—अर्थात् —न्याय के हित में, प्रक्रियात्मक सुधारों के लिये ताकि न्यायनिर्णय के अधिक अवसर हों, और तीसरे इसलिये कि न्याय के प्रशासन में शीघ्रता हो। मैं इन तीनों बातों को समझता हूं और इन की प्रशंसा भी करता हूं, किन्तु मैं

पुनः यही निवेदन करता हूं कि न्याय प्रशासन की प्रणाली में आमूलभूत परिवर्तन करना ही मूलभूत प्रश्न है। मैं श्री ए० एम० थामस की इस बात से सहमत नहीं हूं कि व्यवहार प्रक्रिया के वर्तमान आकार-प्रकार में परिवर्तन नहीं किया जाय। कई ऐसी बात हैं जो समय का डट कर सामना करती रही हैं, और उन्हें स्वीकार भी किया जाना चाहिये। किन्तु कई ऐसी बातें भी हैं जो किसी विशेष वातावरण में चल कर और किसी वातावरण में और कहीं नहीं चल सकतीं। अस्तु, इन सब बातों पर विधि आयोग ही विचार करेगा। विधि आयोग का ही यह काम होगा कि किस प्रकार न्याय निर्बाध, शीघ्र, सस्ता और सुलभ हो, उसी का यह काम होगा कि न्याय नीति के स्वीकृत मान का हो और स्वाभाविक हो ताकि लोग उसे स्वीकार करें। विधि आयोग ही न्यायपालिका की भरती, प्रशिक्षण, उस के उपकरण आदि पर विचार करे ताकि वह उन में लोगों को समझने की बुद्धि जागृत कर सके सांविधानिक अधिकारों और दायित्वों को समझने का ज्ञान प्रदान कर सके। अभी कुछ समय पहले मैं बता चुका हूं कि संसार भर में सेवाओं की पदालि में परिवर्तन हुआ है और प्रशिक्षण पर अधिक ज़ोर दिया गया है—पदोन्नति के सम्बन्ध में अग्रता को महत्व नहीं दिया जा रहा—लेकिन कदाचित् भारत ही एक ऐसा देश है जहां अग्रता पर अधिक ज़ोर दिया जाता है।

सभापति महोदय : प्रस्तुत विषय से बहुत दूर की बातें कहीं जा रही हैं।

पंडित के० सी० शर्मा : बस एक मिनट के लिये मैं इस पर बोलूंगा। अन्य देशों में योग्यता, गुण काम करने की इच्छा, अर्हता, विशेष प्रतिभा, आदि के आधार पर लोगों को निम्न पदालि से उच्च पदालि पर पदोन्नत किया जाता है। और दुर्भाग्यवश भारत में वर्षों बीत जाते हैं जबकि लोगों को पदोन्नति मिलती है, भले ही उन में अर्हता न हो। यही कारण है कि वह अच्छी तरह से काम नहीं करता। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, इस अवसर पर मैं सरकारी बैंचों पर बैठने वालों के विचार के लिये कुछ महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अभी व्यवहार प्रक्रिया संहिता का इतिहास सुनाया। पहली सर्वासम्पन्न संहिता १८५९ में संविधि-पुस्तक में दर्ज हुई। उसी के १८ वर्ष बाद, १८७७ में, पहली संहिता रद्द हुई और नई संहिता प्रस्तुत हुई। वह भी बहुत देर तक नहीं चली। और ५ वर्ष में, यानी १८८२ में, वह दूसरी संहिता भी बदल गई और उस के स्थान पर एक और संहिता प्रस्तुत हुई। तत्पश्चात् १८८२ से १९०८ तक, अर्थात् २६ वर्ष के लिये, समस्त व्यवहार प्रक्रिया संहिता में सारभूत परिवर्तन हुए।

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुज़फ्फरपुर—उत्तर-पश्चिम) : गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य भाषण जारी रखें।

श्री एस० एस० मोरे : मैं कैसे भाषण जारी रख सकता हूं ?

सभापति महोदय : सरकारी पक्ष का कोई भी सदस्य यहां नहीं दिखाई देता ! श्री राने यहां हैं। लेकिन ऐसे कैसे काम चल सकता है ?

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं यह औपचारिक प्रस्ताव रखूं कि गणपूर्ति की बार-बार अनुपस्थिति को देखते हुए अब सभा स्थगित की जाती है।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : श्रीमती चन्द्रशेखर भी यहां मौजूद हैं।

सभापति महोदय : गणपूर्ति देखने का काम सरकारी दल का है।

श्री पाटस्कर : अब बहुत देर हो चुकी है । किन्तु मैं भविष्य में ऐसा नहीं होने दूंगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलरू) : संसद् कार्य मंत्री मौजूद हैं ।

सभापति महोदय : अब सभा में गणपूर्ति हो गई है, अतः कार्यवाही प्रारम्भ होनी चाहिये । भविष्य में सरकार को इस बात पर ध्यान रखना चाहिये ।

श्री पाटस्कर : मैं सभा के सभी सदस्यों से चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, निवेदन करूंगा कि जब कभी भी कोई विधेयक सभा में चल रहा हो, तो उपस्थित रहना हम सब का कर्तव्य हो जाता है। इस कारण जहां तक सम्भव हो सके हमें उपस्थित रहना चाहिये। यह केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है। विरोधी पक्ष से भी मैं कहना चाहूंगा कि वे भी ऐसे स्पष्ट विषय में कुछ रुचि दिखायें ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा कहना यह है कि अब समय आ गया है जब कि हम व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ के स्थान पर एक नई संहिता बनाना शुरू कर दें ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने समाज कल्याण और आर्थिक असमानता को दूर करने की ओर ध्यान दिये बिना पूंजीवादी दृष्टिकोण से व्यवहार प्रक्रिया संहिता तैयार की थी। इस से निहित स्वार्थों को इस बात का विशेषाधिकार मिलता है कि वे मुकदमे लड़ा कर परेशान करें। आज जब कि हम समाजवादी ढांचे की बात कर रहे हैं तो हमारे सारे विधानों में परिवर्तन होना चाहिये ।

विधि आयोग की अभी नियुक्ति होने वाली है। इसलिये मैं दो एक बातें इस विषय में कह देना आवश्यक समझता हूं ग्रेट ब्रिटेन और भारत में भी विधि आयोग में कुछ अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अथवा प्रमुख वकील रखे जाते हैं जो सदैव अतीत को देखते हुए चलते हैं। यदि हम भविष्य की ओर देखें तो हमें पता लगेगा कि हम इस आयोग में ऐसे व्यक्तियों को रखें जो समाज की बदलती हुई व्यवस्था अर्थात् समाजवादी ढांचे को सम्मुख रख कर कार्य करें। अतः केवल शैक्षिक योग्यता को ध्यान में न रख कर समाज सेवा करने वालों की ओर भी ध्यान रखना होगा। अच्छा तो यह होता कि सरकार इस समय यह विधान प्रस्तुत न कर के बाद में दंड और व्यवहार न्याय के सम्बन्ध में एक व्यापक प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत करती जिस में नवीन सामाजिक व्यवस्था का दिग्दर्शन कराया जा सकता ।

सरकार ने इन उपबन्धों को पूरे मन से तैयार नहीं किया, खण्ड दो ही लीजये जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ३४ के सम्बन्ध में है । इस में कहा गया है —"६ प्रतिशत से अधिक नहीं"। वर्तमान धारा ३४ के अनुसार आज्ञप्ति देते समय न्यायालय को मूलधन तथा निर्धारित ब्याज दर की राशि पर भावी ब्याज की दर ऐसी निश्चित करने का अधिकार है जो वह उचित समझे। उपरोक्त शब्द रख कर न्यायालय के स्वविवेक को सीमित कर दिया गया है। मेरा विचार है कि यदि निर्धारित ब्याज दर अनुचित रूप से अधिक हो तो न्यायालय को उस पर विचार करने का भी अधिकार होना चाहिये । मैं ने देखा है कि बहुत से न्यायाधीश साहूकार वंशों के होते हैं और वहादी का पक्ष लेते हैं। वह निर्धारित ब्याज दर दिलवा ही देते । चाहे वह अनुचित रूप से अधिक ही क्यों न हो । मेरे मित्र श्री थामस ने 'दामदुपट' की विधि की चर्चा की है। मेरी राय है कि किसी भी व्यक्ति को ऋणी से मूलधन के आधे भाग से अधिक राशि ब्याज के रूप में वसूल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। इस प्रकार की कोई न कोई सीमा होनी ही चाहिये। हम भूमि के स्वामित्व की सीमा निर्धारित करने की बात करते हैं ।

करारोपण जांच आयोग ने निजी आय के सम्बन्ध में सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसी प्रकार मेरा सुझाव है कि कोई व्यक्ति किसी ऋणी से निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज न ले सके।

श्री पाटस्कर : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि धारा ३४ में इस ब्याज की चर्चा है जो कि मुकदमा किये जाने के बाद दिया जायेगा।

श्री एस० एस० मोरे : मैं इसी धारा के सम्बन्ध में कह रहा हूं कि जहां तक इस के उपबन्ध हैं, वे ठीक ही हैं। प्रश्न भावी ब्याज का है। भावी ब्याज आज्ञप्ति की कुल राशि पर अर्थात् मूलधन और उस के ब्याज पर होता है। अब सरकार ने इस भावी ब्याज को ६ प्रतिशत निर्धारित किया है और उस से अधिक नहीं। मेरा कहना यह है कि ब्याज की मूल दर पर भी नियंत्रण होना चाहिये।

श्री पाटस्कर : क्या अत्याधिक ब्याज वाले ऋण सम्बन्धी अधिनियम से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं तो सुझाव दे रहा हूं। सरकार उन पर विचार करे और इस विधेयक में या बाद के विधेयकों में संशोधन कर दे।

खण्ड ४ द्वारा धारा ३५ क का संशोधन किया जा रहा है। पुरानी धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तुच्छ कारणों के आधार पर मुकदमा कर दे तो प्रतिकर का उपबन्ध है। सरकार ने निष्पादन की कार्यवाही भी इस में शामिल कर दी है। जैसा कि श्री थामस ने कहा, हम अपील को क्यों छोड़ें ? पैसे वाला आदमी तो मुकदमे के तुच्छ ठहराये जाने पर भी अपील बल्कि दूसरी अपील भी कर सकता है तो अपीलों को भी इस उपबन्ध में क्यों न सम्मिलित कर लिया जाय।

खण्ड ५ के सम्बन्ध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा १३ की ओर निर्देश करना पड़ेगा। संहिता की इस धारा के अनुसार किसी रियासत के न्यायालय का निर्णय दूसरे राज्य के किसी न्यायालय में तभी निष्पादित किया जा सकता था जबकि कुछ शर्तें पूरी कर दी गई हों। यदि शर्तें न पूरी हुई हों तो वादी को फिर मुकदमा करना पड़ता था। इस खण्ड में कहा गया है कि जिन मुकदमों में एकपक्षीय फैसला हो चुका हो या प्रतिवादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न हो तो २६ जनवरी, १९५० के बाद ऐसे मामलों में और कुछ नहीं हो सकता। इस से बहुत से लोगों को कठिनाई होगी। उदाहरणार्थ यदि ऐसी कोई आज्ञप्ति गुजारे के सम्बन्ध में किसी महिला को मिली हो तो उस का क्या बनेगा ? उस के लिये तो और कोई रास्ता नहीं रह जायगा ?

खण्ड ६ व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ४७ के संशोधन के लिये है। मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि वे संहिता की धारा ८१ का ही संशोधन क्यों न कर दें। पूर्व निर्माण का सिद्धान्त दो स्थानों पर क्यों हो, एक ही स्थान पर काफी है। मुझ से पहले वक्ता ने बताया कि धारा ११ के अधीन लागू होने वाली शर्तें इस संशोधन में दी गई शर्तों से भिन्न हैं। इस संशोधन से कुछ पुराने वाद प्रतिविवाद भले ही समाप्त हो जायें परन्तु इस के साथ साथ कुछ नये अवश्य खड़े हो जायेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि धारा ११ का संशोधन कर दीजिये, 'मुकदमे' शब्द के स्थान में 'निष्पादन कार्यवाही' रख दीजिये परन्तु शर्तें तो एक सी रहें जिस से कि निर्वचन में भूल न हो।

जहां तक खण्ड ११ का सम्बन्ध है संशोधन केवल यह है कि लघुवाद न्यायालयों द्वारा ऐसे निर्णयों की अपील नहीं हो सकगी जो १००० रुपये तक के मुकदमों के हों। पहले यह राशि

[श्री एस० एस० मोरे]

५०० रुपये थी। मने देखा है कि कई बार ऐसे मामलों में बड़े महत्व की बात उठती है और यदि इन की अपील न हो सके तो अच्छा नहीं होगा। इस के साथ ही यह उपबन्ध भी होना चाहिये कि यदि लघुवाद न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में विधि का कोई ऐसा प्रश्न है जो ऊंचे न्यायालयों में जाने योग्य है, तो ऐसे मुकदमों की अपील भी हो सके संविधान में भी कुछ ऐसा ही उपबन्ध है ।

खण्ड १४ में यह उपबन्ध किया गया है कि कुछ व्यक्तियों को न्यायालयों म उपस्थित होने से विमुक्ति दी जाय। उन में लोक-सभा के अध्यक्ष का नाम तो है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय का नहीं। मेरा निवेदन यह है कि उपाध्यक्ष महोदय का दर्जा राज्य विधान सभाओं के अध्यक्षों से कम नहीं है। उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने से विमुक्ति दे दी जानी चाहिये। साथ ही संसद् के सत्र के दौरान में संसद् के सदस्यों को भी न्यायालय में उपस्थित होने से विमुक्ति मिलनी चाहिये ।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि उस का उद्देश्य व्यवहार सम्बन्धी मुकदमेबाज़ी पर खर्च को कम करना है। इन मुकदमों से राज्य सरकारों को बड़ी आय होती है और वे मूल्यानुसार शुल्कों को बढ़ा रही हैं। मेरे राज्य में पहले वकालत नामे पर आठ आने लगते थे, अब निम्नतम न्यायालयों में भी दो रुपये लगते हैं। जब तक राज्य सरकारें इस प्रकार अपनी आय को बढ़ाने का प्रयत्न जारी रखगीं तब तक इस विवरण में कही गई बात फिजूल है। मेरा निवेदन यह है कि संविधान में कहे गये हमारे उद्देश्य——असमता को कम करना——पर न केवल केन्द्रीय सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी कार्य करना चाहिये।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक पर यहां चर्चा करने का कोई विशेष लाभ नहीं है क्योंकि जो संशोधन किये जाने हैं वे बातें पहले ही न्यायालयों में व्यवहार में आती हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हमारा विचार था कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पूरा संशोधन कर दिया जायगा परन्तु आज विधि मंत्री ने कहा कि विधि आयोग बैठ रहा है, इसलिये अभी संहिता को पूर्णरूपेण संशोधित करने की बात सोची नहीं जा सकती। यदि यह तर्क दिया जाता है तो वह सभी अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में लागू होना चाहिये। समवाय विधेयक में समवाय सम्बन्धी विधि को पूरी तरह से बदल दिया गया है। पिछली सर्दी में दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी विस्तारपूर्वक संशोधन किये गये थे तो मुझे श्री पाटस्कर की यह बात सुन कर हैरानी हुई कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिये हमें अभी ठहरना चाहिये। यदि इमें विधि आयोग की नियुक्ति के कारण इस सम्बन्ध में और ठहरना है तो इस सभा का कार्य ही बन्द कर दीजिये, बस आयव्ययक पास करने के लिये बैठक कीजिये और विधि आयोग का कार्य समाप्त होने तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिये ।

इस विधेयक के दो उद्देश्य बताये गये है, एक तो यह कि व्यवहार के मुकदमों में देर न हो और दूसरा यह कि खर्चा कम हो। कुछ सदस्य पहल ही कह चुके हैं कि इस विधेयक से तो ये द्देश्य पूरे होने के नहीं ।

व्यवहार सम्बन्धी मुकदमों में देरी के दो कारण हैं। एक तो यह कि न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है और काम बहुत जमा हो रहा है और दूसरा यह कि न्यायाधीशों की भर्ती बहुत असन्तोषजनक है। मेरे मित्र पंजित के० सी० शर्मा ने कहा था और मेरा भी यह अनुभव

है कि कई राज्यों में मुन्सिफों की भर्ती राजनीतिक आधार पर की जाती है। हाल ही में मैसूर राज्य में लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ले कर कुछ मुन्सिफों को चुना परन्तु कार्यपालिका ने उन्हें नियुक्त नहीं किया। सरकार जो ३० व्यक्ति नियुक्त करना चाहती थी वे उच्च न्यायालय को स्वीकार नहीं थे। इतने में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति निवृत्त हो गये और अब उच्च न्यायालय ने मुन्सिफों के लिये सरकार द्वारा कहे गये उम्मीदवार स्वीकार कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्री पाटस्कर : मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का न्यायपालिका से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन बातों का इस विधेयक से बहुत दूर का सम्बन्ध है। और आशा है कि माननीय सदस्य राज्य सरकारों की बात नहीं करेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा कहना तो केवल यह है कि सरकार की भर्ती सम्बन्धी नीति से मुकदमों को निबटाने में देरी होती है।

विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस में कुछ ही उपबन्धों का संशोधन करने की चेष्टा की गई है, बाकी को छोड़ दिया गया है। कुछ संशोधन तो अच्छे हैं जैसे कि ब्याज के दर का निर्धारण। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं होगा और न ही झूठे मुकदमों के सम्बन्ध में प्रतिकर देने के उपबन्ध पर मतभेद होगा।

मुझे उस संशोधन पर आपत्ति है जिस के अनुसार पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार कम हो जायगा। कई फुटकर मामलों में अपील की आवश्यकता होती है। क्या सरकार ने अपील में इन मामलों के निबटारे के सम्बन्ध में कोई जानकारी इकट्ठी की थी, यदि हां, तो वह क्या थी। यदि सरकार ने किसी जानकारी के आधार पर यह संशोधन नहीं रखा है तो वह किस आधार पर यह कहती है कि फुटकर मामलों की अपीलें उच्च न्यायालय में नहीं की जानी चाहियें? ऐसे कई मामलों में उच्च न्यायालय का निर्णय सहायक हो सकता है। मेरे विचार में सरकार को यह संशोधन रखने से पहले इस पर भली प्रकार विचार कर लेना चाहिये था।

जहां तक कुछ व्यक्तियों को न्यायालय में उपस्थित होने से विमुक्ति देने का प्रश्न है मेरा विचार है कि संसद् के सदस्यों को भी यह विमुक्ति मिलनी चाहिये क्योंकि उन का भी उतना ही महत्व है जितना कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी मंत्री का।

खण्ड ५ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में यह होना चाहिये कि २६ जनवरी, १९५० से पहले दी गयी एकपक्षीय आज्ञप्तियों का निष्पादन भारत के किसी भी न्यायालय में हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस संशोधन को सीमित करने की क्या आवश्यकता है?

श्री पाटस्कर : किसी पड़ौसी देश में एकपक्षीय आज्ञप्ति दी जाय और सम्बद्ध व्यक्ति उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को न मानता हो तो उस के बारे में आप क्या कहेंगे?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं तो ऐसे मामलों की बात करता हूं जहां कोई व्यक्ति रहता तो मद्रास में है परन्तु उस के विरुद्ध आज्ञप्ति मैसूर राज्य में ली गई। उस का निष्पादन क्यों नहीं हो सकता?

श्री पाटस्कर : क्योंकि उस व्यक्ति ने उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को नहीं माना है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा कहना यह है कि संविधान के अधीन सारे न्यायालय भारतीय न्यायालय हैं। २६ जनवरी १९५० से पहले दी गयी आज्ञप्तियों पर भी यही बात क्यों न लागू की जाय ?

श्री पाटस्कर : शायद मैं अपनी बात स्पष्टतया नहीं कह पाया हूं। मानलीजिये कि 'क' नामक व्यक्ति के विरुद्ध किसी विदेशी न्यायालय में मुकदमा किया गया। 'क' का विचार था कि विदेशी न्यायालय होने के नाते यह आज्ञप्ति उस पर लागू नहीं होती इसलिये उस ने उस का आदेश नहीं माना। अब उस आज्ञप्ति का निष्पादन किसी अन्य न्यायालय में हो जाय--यह उपबन्ध करना ठीक नहीं होगा। यह हमारा विचार है, कम से कम एक विचार यह है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: जो भी हो, यह मामला महत्वपूर्ण है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं फिर यह कहूंगा कि माननीय विधि मंत्री को व्यापक विधेयक रखना चाहिये था। माननीय मंत्री तो लोगों को इस धोखे में रखना चाहते हैं कि सुधार किया जा रहा है।

श्री पाटस्कर : हमारा यह विचार नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : आप चाहे कहें न विचार आप का यही है। जो भी हो मेरी राय है कि यह विधेयक सभा के सामने नहीं लाया जाना चाहिये था।

श्री एस० वी० रामस्वामी : (सैलम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह पूर्णतः हानिरहित है। यह बात अवश्य है कि सरकार एक अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर सकती थी। संहिता में शुरू से लेकर आखिर तक सुधार की गुंजाइश है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत विधेयक में सब मुख्य मुख्य संशोधन आ गये हैं। हां, मैं यह कह सकता हूं कि यह विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधक विधेयक से अच्छा है क्योंकि यह दंड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक की भांति संहिता को बिगाड़ता नहीं है।

यह कहा गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य खर्चे को तथा विलम्ब की सम्भावनाओं को कम करना है। कार्यवाही में विलम्ब होने के कितने ही कारण हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को यह बतायें कि यह संशोधक विधेयक इस में से कितने कारणों का समाधान करता है।

जहां तक खर्चा घटाने का प्रश्न है, मेरा निवेदन यह है कि विधेयक में सारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब जब कि विधि आयोग नियुक्त किया जाने ही वाला है, इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है। अच्छा तो यह होता कि बाद में एक अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाता।

खंड ३ को छोड़ कर मुझे अन्य किसी भी खण्ड पर आपत्ति नहीं है। खर्चे पर ब्याज न दिये जाने पर मुझे अवश्य आपत्ति है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने न्याय शुल्क किया है उस ने ऋण लिया हो और उसे उस पर ब्याज देना पड़ता हो। इस दिशा में उसे उस खर्चे पर जो उसे मिलता है ब्याज क्यों नहीं मिलना चाहिये ? अतः मेरा निवेदन है कि माननीय विधि मंत्री इस ब्याज के उपबन्ध सम्बन्धी संशोधन--खंड ३-- पर आग्रह न करें।

खंड ४--जो धारा ३५क के सम्बन्ध में है--मेरा कहना यह है कि यह स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अभी कितना समय और लेंगे ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : कोई दस मिनट।

सभापति महोदय : तो फिर वह अपना भाषण कल पर रखें।

इस के पश्चात लोक-सभा बुधवार, ३ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।